चतुर्थ माला, खंड 40 अंक 41, मंगलवार, 21 अप्रैल, 1970/ 1 बैसाख, 1892 (शक)
Fourth Series, Vol. XL, No. 41, Tuesday, April 21, 1970/Vaisakha 1, 1892 (Saka)

लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

दसवां सत्र

Tenth Session

Preservation Unit
Fumigated
On 3.2.84
Parliament Library

(खंड 40 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XL contains Nos. 41 to 50)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/ हिन्दी में दिये गये भाषण आदि का हिन्दी / अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of the Lok Sabha Debates and contains Hindi / English translation of s eeches etc. in English/ Hindi.]

Lok Sabha Debates

(Hindi)

Vol 40

Nos. 41 — 50

April 21st to 4th May

1970

PL

50

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

21 अप्रैल, 1970 / 1 वैशाख, 1892 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
130	ऊपर से 13 पंक्ति के बाद निम्नलिखित शीर्षक पढ़ा जाये : `नियम 377 के अन्तर्गत मामला Matter Under Rule 377 पश्चिमी बंगाल के सलाहकारों की नियुक्ति
130	नीचे से पंक्ति 19 के आरम्भ में `अध्यक्ष महोदय` पढ़ा जाये ।
141	आरम्भिक दो पंक्तियों को पृष्ठ 140 की पाद टिप्पणी के रूप में पढ़ा जाये ।

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 41—मंगलवार, 21 अप्रैल, 1970/1 वैशाख, 1892 (शक)

No. 41—Tuesday, April 21, 1970/Vaisakha 1, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या

S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
1111	पटना-गया सैक्शन के दैनिक यात्री संघ द्वारा डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट, दानापुर (पूर्व रेलवे) को दिया गया ज्ञापन	Memorandum by daily passengers Association of Patna Gaya Section to Divisional Superintendent, Danapur (Eastern Railway)	1-2
1112	दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन योजना	Old age pension scheme in Delhi	2-4
1113	दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में औषधालयों की आवश्यकता	Need for dispensaries in J. J. Colonies in Delhi	4-5
1118	कानपुर तथा तमिलनाडु में मिश्रित इस्पात कारखानों की स्थापना	Setting up of Alloy Steel Plants at Kanpur and in Tamil Nadu	5-7
1121	बोकारो इस्पात कारखाने के द्वितीय प्रक्रम के लिये ठेका	Contract for Bokaro Steel Plant Stage II	7-15
1122	लघु उद्योगों द्वारा आयात स्थानापन्न वस्तुओं के लिये प्रयत्न	Import substitution efforts by Small Scale Industries	16-19

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या

1114	सोनपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में डिवीजनल मुख्यालय स्थापित करने की माँग	Demand for Divisional Headquarters at Sonepur (North Eastern Railway)	19-20

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसे सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
1115	सीनियर परमानेन्ट वे इंस्पेक्टरों की ऊँचे ग्रेड में पदोन्नति न करना	Denial of promotion to Senior Permanent Way Inspectors in Higher Grade	20
1116	प्रबन्धक एजेन्सी प्रणाली समाप्त होने के फलस्वरूप कदाचारों को रोकने के लिये समवाय अधिनियम में संशोधन	Amendment of Companies Act to curb malpractices following abolition of Managing Agency system	20
1117	गुना माक्सी रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Guna-Maksi Railway Line	20-21
1119	फर्मों के पंजीकरण संबंधी विधि	Law relating to Registration of Firms	21-22
1120	मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा चुनावों के लिये कांग्रेस दल को चन्दा दिया जाना	Donation by M/s Dodsal (P) Ltd. to Congress party for Election Purposes	22
1123	भारत के औद्योगिक विकास के लिये गैर सरकारी क्षेत्र को अवसर	Opportunities for private sector for Industrial Development of India	22-23
1124	औद्योगिक विकास मन्त्रालय के भूतपूर्व सचिव की औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के चेयरमेन के रूप में नियुक्ति	Appointment of Ex-Secretary, Ministry of I. D. as Chairman of Bureau of Industrial costs and prices	23-24
1125	आयात स्थानापन्न के रूप में लघु उद्योगों दारा विदेशी मुद्रा की बचत	Saving of Foreign Exchange by Small Scale industries by way of import substitution	24
1126	बोकारो इस्पात कारखाने की निर्माण लागत में वृद्धि	Increase in construction cost of Bokaro Steel Plant	24-25
1127	ट्रैक्टरों और विद्युतचलित हलों का निर्माण	Manufacture of Tractors and Power Tillers	25
1128	बौम्बे आक्सीजन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित नये पारिश्रमिक तथा परिलब्धियां	New Remuneration and perquisites fixed by Bombay Oxygen Corporation Ltd.	25-26
1129	पश्चिम बंगाल में उद्योगों के उत्पादन में कमी	Fall in production of industries in West Bengal	26-27

ता० प्र० सं०

S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
1130	तीसरे दर्जे, पहले दर्जे और वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों से आय और उनकी सुविधाओं की व्यवस्था	Earnings from passengers of Class III Class I and Air-conditioned Coaches and provision of amenties	27
1131	डालमिया जैन एयरवेज के सम्बन्ध में विवियन बोस आयोग का प्रतिवेदन	Vivian Bose Commission's Report on Dalmia Jain Airways	27-28
1132	मुख्य मंत्रियों द्वारा छोटी कार परियोजनाएं आरम्भ करने की मांग	Demand by Cheif Ministers for Setting up small car projects	28
1133	इस्पात कारखानों द्वारा बनाई गई योजनाओं में मंत्रालयों दारा कथित हस्तक्षेप	Alleged interference by Ministries in Plans formulated by Steel Plants	28-29
1134	मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को इस्पात की चादरों का आवंटन	Allotment of steel sheets to M/s Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. (P) Ltd.	29-30
1135	भ्रष्ट अधिकारिगों से निपटने की व्यवस्था	Machinery to deal with corrupt Officers	30
1136	साइकिल उद्योग	Cycle industry	30
1137	विदेशी तकनीकी जानकारी का उपयोग करना	Utilisation of foreign Technical know-how	30-31
1138	मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा ढोल निर्माण कारखाने को सेवरी से हटा कर ट्राम्बे ले जाना	Shifting of Barrel Plant from Sewri to Trombay by M/s Standard Drum and Barrel Manufacturing Co.	31-32
1139	मेनेजिंग एजेंसी प्रणाली की समाप्ति के पश्चात प्रबन्ध निदेशकों द्वारा संस्थाओं और एजेटों की नियुक्ति	Appointment of organisation and Agents by Managing Directors consequent to abolition of Managing Agency System	32-33
1140	कांग्रेस पार्टी के चिन्ह के बारे में अर्धन्यायिक जांच के लिये विवाद पद	Issues for Semi-Judicial inquiry re: Congress Party Symbol	33

अ० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
	अतारांकित प्रश्न संख्या	**Unstarred Question Nos.**	
6851	20 अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टरों का निर्माण और वितरण	Manufacture and distribution of 20 H. P. Tractors	33
6852	परियोजनाओं के लिये मशीनों का आयात	Import of Machinery for projects	34
6853	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में इटली के सहयोग से छपाई की मशीनों का निर्माण	Manufacture of printing Machinery in H. M. T. with Italian Collaboration	34-35
6854	औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो का कार्य	Function of Bureau of Industrial Costs and Prices	35-36
6855	बाइसिक्लों का निर्यात	Export of Bicycles	36-37
6856	रेलवे बुक स्टाल पर सर्वोदय साहित्य की बिक्री	Sales of Sarvodaya Sahitya Literature at Railway Book Stalls	37-38
6857	भारत में बाल विवाह	Child Marriages in India	38
6858	रेलवे समय सारणी में आमूल परिवर्तन	Need to overhaul Railway Time Table	38
6859	रेलवे मन्त्री द्वारा स्टेशनों का दौरा और तीसरे दर्जे में यात्रा	Railway Minister's visits to Stations and Travel in Third Class Compartments	38-39
6860	गाड़ियों में पानी पिलाने वालों द्वारा कर्तव्य का सुचारु रूप से पालन	Efficient performance of duty by Watermen on Trains	39
6861	तमिलनाडु सरकार द्वारा 1951 की जनसंख्या के आधार पर राज्यों को प्रतिनिधित्व देना	Demand by Tamil Nadu Government to provide for representation to States in Parliament on the basis of 1951 Census	40
6862	पंजाब औद्योगिक विकास निगम द्वारा ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors by Punjab Industrial Development Corporation	40
6863	3 वर्ष की आयु तक के स्कूल के बच्चों के लिये पौष्टिक भोजन	Nutritious food for school children in page group 0—3	41
6864	दिल्ली में कल्याणकारी संस्थाओं की भ्रष्ट प्रथाओं के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI inquiry into corrupt practices by welfare institutions in Delhi	41
6865	नई दिल्ली में एक गैर सरकारी फर्म को रेलवे भूमि का नियतन	Allotment of Railway land to a private firm in New Delhi	42

अ० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6866	छोटी कार परियोजना	Small car project	42-43
6867	अन्न पोषाहार समिति की स्थापना	Setting up of a Committee on Food Nutrition	43
6869	मुरैना रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में पाये गये एक विद्यार्थी के शव का निपटान	Disposal of the dead body of a student found in waiting room of Morena Railway Station	43-44
6870	विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृति	Scholarships to handicapped persons	44-45
6871	पश्चिमी बंगाल और पंजाब में विधान परिषदों का समाप्त किया जाना	Abolition of Vidhan Parishads of West Bengal and Punjab	45
6872	बिहार में विधान परिषद को समाप्त करना	Abolition of Upper House in Bihar	45-46
6873	पांचवें वित्त आयोग का मद्य निषेध के बारे में राज्य सरकारों को सुझाव	Suggestion of Fifth Finance Commission to State Government re. prohibition	46
6874	उपभोक्ता उद्योगों को ऋण देने वाली संथाएं	Lending institutions for consumer Industries	46-47
6875	पूर्वोत्तर रेलवे में थाना बीहपुर में उपरि-पुल	Over bridge at Thana Bihpur (North Eastern Railway)	47
6876	निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन	Delimitation of constituencies	47-48
6877	दानापुर (पूर्व रेलवे) में रेल कर्मचारियों को नागरिक सुविधाएं	Civic amenities to Railway employees at Danapur (Eastern Railway)	48-49
6878	हैवी इंजीनियरिंग और हैवी इलेक्ट्रिकल्स के विशेषज्ञों की बैठक	Meeting of experts of Heavy Engineering and Heavy Electricals	49
6879	जम्मू तथा कश्मीर में रामगढ़ तथा अन्य विधान सभा निर्वाचित क्षेत्रों के उपचुनाव	Bye election to Ramgarh and other Assembly constituencies in Jammu and Kashmir	49-50
6880	रेलवे क्लर्कों को प्रवर्तन कर्मचारियों जैसी सुविधाएं देना	Facilities to train clerks as given to operational staff	50
6881	गैर संचालन अनुसचिवीय कर्मचारियों के वर्गीकृत ट्रेन क्लर्कों के लिये पदोन्नति के अवसर	Avenues of promotion of train clerks categorised as non operating Ministerial Staff	51

अ० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6882	ट्रेन क्लर्कों की शिकायतों का तीसरे वेतन आयोग के समक्ष रखे जाने की मांग	Demand for placing grievances of train clerks before Third Pay Commission	51-52
6883	मुजफ्फरपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में तीसरी श्रेणी के टिक्टों की बिक्री	Sale of III Class Tickets at Muzaffarpur (North Eastern Railway)	52
6884	मध्य प्रदेश में छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को बी० पी० चादरों का कोटा	Quota of B. P. sheets to small scale Industrial units in Madhya Pradesh	52-53
6885	मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग समूह की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता	Central Assistance for setting up Agricultural Industrial Complex in Madhya Pradesh	53
6886	टिकट कलेक्टरों और यात्रा टिकट निरीक्षकों (मध्य रेलवे) की पदोन्नति के अवसर	Chances of promotion of Ticket Collectors and Travelling Ticket Examiners (Central Railway)	53
6887	मध्य रेलवे में टिकट कलेक्टरों और टिकट निरीक्षकों के लिये क्वार्टर	Quarters for ticket collectors and travelling ticket examiners on Central Railway	53-54
6888	भुसावल डिवीजन (मध्य रेलवे) पर रेलवे अस्पतालों में रक्त, पेशाब और टट्टी के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं	Laboratories to test Blood, Urine and Stool in Railway Hospitals of Bhusawal Division (Central Railway)	54
6889	पूर्व रेलवे में कुछ पदों के प्रतिशत में विषमता	Disparity between percentages of certain posts on Eastern Railway	54-55
6890	उत्तर रेलवे में कुछ पदों के प्रतिशत में विषमता	Disparity between percentages of certain posts on Northern Railway	55
6891	रेल पथ निरीक्षकों तथा सहायक निरीक्षकों द्वारा लगाये जाने वाले चक्करों (बीटों) में परिवर्तन	Revision of Beats of permanent way inspectors and Assistant Inspectors	55-56
6892	गाजियाबाद (उत्तर रेलवे) के सहायक रेल-पथ निरीक्षक (यार्ड) के साथ मारपीट	Manhandling of Assistant permanent Way Inspector (Yard) Ghaziabad (Northern Railway)	56

अ० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6893	उत्कल एक्सप्रेस से नई दिल्ली से कटक जाने वाले और वापस नई दिल्ली आने वाले यात्रियों से शयन यान-शायिका शुल्क	Sleeper charges from passengers of Utkal express going to Cuttack and Back to New Delhi	56-57
6894	भिलाई इस्पात कारखाने में तार की छड़ों का उत्पादन	Production of wire Rods in Bhilai Steel Plant	57
6895	मद्रास और नागर कोइल में बसों के ढांचे तैयार करने वाले कारखानों के लिए लाइसेंस जारी करना	Issue of licences for bus body building units at Madras and Nagercoil	57-58
6896	अखिल भारतीय निर्माता संघ द्वारा आवश्यक कच्चे माल की कमी के बारे में अभ्यावेदन	Representation from All India Manufacturers' Organisation re. shortage of Essential raw materials	58-59
6897	तमिल नाडू में स्टेनलैस इस्पात की चादरों के निर्माण के लिए लाइसेंस को पुनः वैध बनाना	Revalidation of licence for manufacture of stainless steel sheets in Tamil Nadu	59
6898	निर्वाचन आयोग के लिए स्थायी कर्मचारी	Permanent staff for election commission	59-60
6899	सुवाह्य टाइप रायटरों की मांग	Demand of Portable Typewriters	60-61
6900	केरल में लघु उद्योग का विकास	Development of cottage industries in Kerala	61
6902	मध्य रेलवे (बम्बई में परेल के निकट) पर उपनगरीय गाड़ी दुर्घटना के बारे में जांच प्रतिवेदन	Report of enquiry on suburban Train Accident near Parel, Bombay (Central Railway)	61-62
6903	गाजियाबाद खुर्जा सेक्शन (उत्तर रेलवे) के डनकौर स्टेशन पर कमलगाड़ी का पटरी से उतरना	Derailment of goods train at Danakaur station on Ghaziabad-Khruja section (Northern Railway)	62
6904	भारतीय मानक संस्था द्वारा तैयार राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता को समस्त निर्माण एजेन्सियों द्वारा क्रियान्वित करना	Implementation of National Building Code prepared by ISI by All Construction Agencies	62-63

अ० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6905	कार्य निरीक्षक (जल तथा निकास) के अन्तर्गत काम कर रहे कर्मचारियों को मजूरी का भुगतान न किया जाना	Non-payment of wages to employees working under inspection of works (Water and Drainage)	63
6906	रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा जबलपुर में मध्य रेलवे कर्मचारी संघ, की गतिविधियों में हस्तक्षेप	Interference by R. P. F. personnel in the activities of Madhya Pradesh Railway Karamchari Sangh at Jabalpur	63-64
6907	दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा सन्देशहरों से संबंधित आदेशों की गलत व्याख्या	Misinterpretation of orders Re. courdiers by South Central Railway	64
6908	मध्य रेलवे के स्टोरेज विभाग में लिपिक संवर्गों का द्विशाखन	Bifurcation of clerical cadres in stores department (Central Railway)	64-65
6909	बिजली और डीजल से चलने वाले पम्पिग सेटों का मानकीकरण	Standardisation of Electric and Diesel pumping sets	65
6910	हलों और ट्रैक्टरों के लिये डिस्कों का निर्माण	Manufacture of discs for Tillers and Tractors	65-66
6911	परिवार तथा शिशु कल्याण योजना आरम्भ करना	Introduction of family and child welfare schemes	66
6912	रेलवे खानपान सेवा के कमीशन एजेंटों को खानपान विभाग में नियुक्त करना	Absorption of commission agents of Railway catering service in catering Department	67
6913	साहू जैन लिमिटेड के अन्तर्गत कम्पनियों में भारत निधि लिमिटेड द्वारा निवेश	Investment by Bharat Nidhi Limited in the companies under Sahu Jain Limited	67-68
6914	वैगनों की कमी के कारण कोयले के भण्डारों का जमा होना	Accumulation of coal stocks due to shortage of rail wagons	68
6915	रेलवे वैगनों द्वारा कोयले का कोयला खानों से निकटवर्ती स्थानों पर ले जाया जाना	Carrying of coal by Rail Wagons from Coal mines to short distance Places	68-69
6916	उत्तर रेलवे में विभिन्न बैठकों की कार्यसूचियों तथा कार्यवाही-सारांशों को दो भाषाओं (हिन्दी व अंग्रेजी) में तैयार करना	Agenda and Minutes of various meetings in Billigngual form (Hindi and English) on Northern Railway	69

अ० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6917	उड़ीसा में खनिज आधारित तथा कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना Setting up of mineral based and Agro based industries in Orissa	69-70
6918	दुर्गापुर इस्पात कारखानों में श्रमिकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि Improvement in productivity of labour in Durgapur Steel Plant	70-71
6919	पश्चिम बंगाल में इस्पात कम्पनियों के बन्द होने के नोटिस तथा इसका निर्यात सम्बन्धी जोरदार कार्यक्रम पर प्रभाव Notice for closure of steel companies in West Bengal and its effect on crash Export Plan	71
6920	मैसर्ज लियन्ज मशीनरी लिमिटेड, कलकत्ता को लाइसेंसों का जारी किया जाना Issue of industrial licences to M/s Lynx Machinery Ltd., Calcutta	71-72
6921	मैसर्ज लियन्ज मशीनरी लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा विदेशी फर्मों के साथ सहयोग Foreign collaboration entered into by M/s Lynx machinery Ltd. Calcutta	72
6922	बिहार में बरारी घाट (भागलपुर) और महादेव घाट (थाना बीहपुर) के बीच रेल पुल का निर्माण Construction of Railway Bridge between Barari Ghat (Bhagalpur) and Mahadeo Ghat (Thana Bihpur) in Bihar	72
6923	बिहार में कटिहार और मनीहारी घाट के बीच स्टेशनों का फ्लैग (झन्डी) स्टेशनों में बदला जाना Conversion of stations between Katihar and Manhari Ghat in Bihar into Flag Stations	72
6924	मैसर्स स्टैन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मेनु-फैक्चरिंग कम्पनी तथा मैसर्स हिन्द गैल्वेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयातित इस्पाती चादरों का उपयोग Utilisation of imported steel sheets by M/s Standard Drum and Barrel Manufacturing Company and M/s Hind Galvanising and Engineering Company (P) Ltd.	73
6925	आदिम जाति विकास खण्डों पर व्यय Expenditure on tribal development Blocks	73-74
6926	चौथी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में आदिम जाति विकास खण्डों की स्थापना Setting up of tribal development blocks in Rajasthan during fourth five year plan	74
6927	राजस्थान में आदिम जाति विकास खंडों की स्थापना Location of Tribal development blocks in Rajasthan	74-75

अ० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6928	उत्तर रेलवे कर्मचारी संघ, बीकानेर डिवीजन द्वारा मरुस्थल भत्ते की मांग	Demand for desert allowance by Northern Railway Employees' Union, Bikaner Division	75-76
6929	रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कुलियों का कोटा	Quota of porters reserved for scheduled castes and scheduled tribes on the Railways	76
6930	उत्तर रेलवे के मुख्यालय के अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Officers of the Northern Railway Headquarters	76
6931	सिगनल विभाग (पूर्वोत्तर रेलवे) में श्रेणी दो के पदों के लिये अधिकारियों का चयन	Selection of officers of Class II Posts of Signal Department (North Eastern Railway)	76-77
6932	राष्ट्रीय स्तर पर तथा क्षेत्रीय रेलवे में सलाहकार समितियां	Consultative Committees at National Level and in Zonal Railways	77-78
6933	रेलवे विभाग में नर्सों के लिए वेतन मान तथा भत्ते	Pay Scales and Allowances of Nurses in the Railway Department	78-79
6934	पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के अत्यावश्यक कर्मचारियों की समस्याएं	Problems being faced by "Essential" staff of North Eastern Railway, Gorakhpur	79
6935	भारतीय रेलवे में नियुक्त नर्सों की समस्यायें	Problem of nurses employed in Indian Railways	79
6936	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा बेची गई इस्पात की दोषपूर्ण चादरों और कतरनों का वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा उचित उपयोग	Proper utilisation by actual users of defective steel sheets and steel cuttings sold by Hindustan Steel Ltd.	79-80
6937	मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मन्यूफैक्चरिंग कम्पनी	M/s Standard Drum and Barrel Manufacturing Co.	80
6938	मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बेरल मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई	M/s Standard Drum and Barrel Manufcaturing Co. Bombay	80-81
6939	इस्पात के उत्पादों का निर्यात कोटा	Quota for export of steel products	81
6940	बिड़ला समवाय समूह के विरुद्ध जांच	Enquiry against Birla Group of companies	81
6941	औद्योगिक लाइसेंस नीति के सम्बन्ध में इण्डियन मरचेंट्स चेम्बर के अध्यक्ष के विचार	Views of President of Indian Merchants' Chamber on Industrial licensing policy	82

अ० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6942	ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम प्रधान उद्योग	Labour intensive industries in Rural Areas	82
6943	कोटा स्थित सूक्ष्म यंत्र कारखाने में नियोजित कर्मचारी	Staff Employed in Precision Instruments Plant, Kota	82-84
6944	कोटा स्थित सूक्ष्म यन्त्र कारखाने में पूंजी निवेश तथा उत्पादन	Investment and production in Precision Instruments Plant, Kota	84-85
6945	गाजियाबाद में डीजल इंजिन उद्योग में संकट	Crisis in Diesel Engine Industry in Ghaziabad	85
6946	भारतीय रेलों में खोये गये माल के लिये दावे	Claims for goods lost on Indian Railway	85-87
6947	उत्तर प्रदेश तथा बिहार में मध्यावधि चुनावों में मतदाताओं को डराना धमकाना	Intimidations of voters in mid-term polls in U. P. and Bihar	87-88
6948	सिकन्दराबाद में भारतीय रेलों के सिगनल तथा दूर संचार विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण	Training of staff of Signal and telecommunications department of Indian Railways at Secundarabad	88
6949	औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध जांच	Enquiry against officials of department of Industrial Development	89
6950	रूस को भारी इंजीनियरिंग निगम के उपकरणों का निर्यात	Export of Heavy Engineering Corporation Equipment to Russia	89-90
6951	चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractor with Czechoslovakia Collaboration	90-91
6952	गैर सरकारी क्षेत्र के कारखानों को टेलीफोन की तार बनाने की अनुमति	Permission to private sector units to manufacture telephone cables	91
6953	अलाभकर रेलवे लाइने	Uneconomic Railway Lines	91-92
6954	पूर्व रेलवे में डकैती, चोरी आदि की घटनायें	Incidents of dacoity, theft etc. on Eastern Railway	92-93
6955	मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, अजमेर में कर्मचारियों की संख्या	Staff strength of Machine Tools Corporation of India (Private) Limited Ajmer	93
6956	सीमेंट का उत्पादन तथा खपत	Production and consumption of Cement	93-94

अ० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6957	अनाज, दालों, तिलहन, कपास तथा कच्चे पटसन के लदान में कमी	Fall in Railway loadings, grains, pulses oilseeds, raw cotton and Raw Jute	94-95
6958	भारतीय रेलवे में रेलवे अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये परिवार पेंशन	Family pension to class IV staff Railway hospitals of Indian Railways	95-96
6959	बिट्रिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड के मामले की जांच करने वाले आयोग का प्रतिवेदन	Report of Inquiry Commission on British India Corporation Ltd.	96
6960	विदेशी सहयोग से स्थापित औद्योगिक कम्पनियां	Industrial concerns with foreign collaboration	96-97
6961	उत्तर खंड में आदिम जाति विकास खण्डों के लिये धन की मांग	Demand for funds for Tribal Development blocks in U. P.	97
6962	चलचित्र समवायों की प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी	Authorised and paid-up capital of film companies	97-98
6963	श्रम साध्य श्रेणी के नियंत्रकों के कार्य के घन्टे	Duty hours of controllers classified as 'Intensive'	98-99
6964	भारतीय रेलवे में सेक्शन नियंत्रकों से मुख्य नियंत्रक तक के वेतन मानों का पुनरीक्षण	Revision of pay scales of Section Controllers to Chief Controllers on Indian Railway	99
6965	बड़ी लाइनों और छोटी लाइनों के लिये चार पहियों वाली और आठ पहियों वाली सैलून कारें	Four-wheeler and eight-wheeler saloon cars for Broad-Gauge and Metre gauge-lines	99-100
6966	रेलवे मंत्रालय में संयुक्त निदेशक (राज भाषा) का पद	Post of joint director (Official Languages) in Railway Ministry	100
6967	रेलवे द्वारा बनायी जा रही शिक्षा संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारी	Staff employed in Educational Institutions run by Railways	100
6968	चौथी योजना में मध्यप्रदेश में रेलवे द्वारा घर पर माल पहुंचाने और घर से माल ले जाने की व्यवस्था	Door-to-door railway service in Madhya Pradesh during Fourth Plan	100-101
6969	रेलवे में अधिकारियों की कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति	Promotion of officers to Junior Administrative grade on Railways	101
6970	सतपुड़ा रेलवे (उत्तर रेलवे) के लिये बड़ी रेल लाइन	Broad-gauge line for Satpura Railway (Northern Railway)	102

अ० प्र० सं०

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6971	चोरी के कारण रेलवे को हानि	Loss to railway on account of pilferage	102
6972	सीमेंन्ट कारखानों के लिये अपेक्षित मशीनों का निर्माण	Manufacture of machinery required for cement factories	103
6973	ब्रिटिश स्वामित्व वाले जेस्टेटनरस् लिमिटेड की क्षमता के विस्तार के लिये लाइसेंस	Issue of a licence for expansion capacity of British-owned Gestetners Ltd.	103-104
6974	भारतीय रेलवे के कुलियों तथा विक्रैताओं के समद्रनघ में अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of study group for porters and vendors on Indian Railways	104-105
6976	अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्य-लिपिक संघ का प्रतिनिधि-मण्डल	Deputation of all India Railway Commercial Clerks' Association	105
6978	गृह-कार्य तथा वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये विभिन्न आदेशों की कार्यान्वित	Implementation of various orders issued by Ministeries of Home Affairs and Finance	105-106
6979	सीमेंट नियतन तथा समन्वय संगठन के विरुद्ध जांच	Enquiry against cement allocation and co-ordinating organisation	106
6981	कल्याणकारी संस्थाओं को सहायता	Aid to welfare Institution	106-107
6982	अनुसूचित आदिम-जातियों के विद्यार्थियों को दी गई धनराशि	Financial Aid given to Scheduled Tribes Students	1[illegible]
6983	देश में अंधे, बहरे और गूंगे	Blind, Deaf and Dumb in the country	107-108
6984	अंधे, गूँगे और बहरों के लिये राष्ट्रीय संस्थाएं	National Institutions for blind, deaf and dumb	108
6985	यातायात की बकाया राशि का जमा होना	Accumulation of unrealised Traffic Earnings	109
6986	यात्री डिब्बा परिचारकों का वाणिज्य विभागों से यान्त्रिक विभागों में स्थानांतरण	Transfer of coach-Attendants from Commercial Department to Mechanical Department	109-110
6987	यवतमाल-मुरताजपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Yeotmal-Murtajpur Narrow-Gauge Railway line to Broad-Gauge line	110
6988	स्वेच्छिक निकायों द्वारा खान-पान का प्रबन्ध	Catering by voluntary bodies	110

अ० प्र० सं०

U. S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6989 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	Report of commissioner for Scheduled castes and scheduled Tribes	111
6990 रेलवे सैलूनों और उनके रख-रखाव पर लागत	Cost of Railway Saloons and Annual maintenance	111-112
6991 माटुंगा रेलवे वर्कशाप (मध्य रेलवे) के कतिपय कर्मचारियों के सम्बन्ध में भविष्य निधि में सरकार के अंशदान का जब्त किया जाना	Forfeiture of Government contribution to Provident Fund in respect of certain employees of Matunga Railway Workshop (Central Railway)	112
6992 हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा लोहे के कबाड़ का विक्रय	Disposal of scrap by Hindustan Steel Ltd.	112-113
6993 रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा धातु पिंडों को तोड़ने के ठेकों का दिया जाना	Awarding of contracts by Rourkela Steel Plant to break Ingot Mould	114
6994 भारतीय मानक संस्था द्वारा थर्मामीटरों का प्रमाणित करना	Certification of Thermometers by I.S.I.	114-125
6995 भारतीय मानक संस्था द्वारा खाद्य वस्तुओं का मानकीकरण	Standardisation of food items by I.S.I.	115-116
6996 सुन्दर वन के सीमा-क्षेत्रों में रेलवे सेवा का विस्तार	Extension of railway service to Border areas of Sunderbans	116
6997 रेल डिब्बों के लिये भिन्न-भिन्न रंग तथा रेलवे प्लेटफार्मों पर सुविधायें	Different colours for Railway coaches and amenities on railway platforms	116-117
6998 गैर-मान्यता प्राप्त रेलवे कर्मचारी संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्यवाही	Action on representations received from unrecognised Railway Union	117
6999 दक्षिण-मध्य रेलवे में वाणिज्य लिपिकों की पदोन्नति के लिये तालिका	Panel for promotion of commercial clerks on South-Central Railway	117-118
7000 अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्य लिपिक संघ, सिकन्दराबाद डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) द्वारा ज्ञापन	Memorandum by All India Railway Commercial Clerks' Association Secunderabad Division (South-Central Railway)	118

अ० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
7001	सिकन्दराबाद डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) के स्टेशनों पर कमर्शियल क्लर्कों के ड्यूटी रोस्टरों तथा सूची का न लगाया जाना	Non-display of duty Rosters and list of commercial clerks at stations of Secunderabad Division (South Central Railway)	118-119
7002	दक्षिण रेलवे में कालंकरा पतिकुन्नू का सरगोड (केरल) में रेलवे फाटक के निकट ऊपरि-पुल	Over-Bridge near level crossing at Thalankarapatikunnu, Kasaragod (Kerala) Southern Railway	119
7003	मुगलसराय से पठानकोट तक अतिरिक्त रेल गाड़ी अथवा अमृतसर और हावड़ा के बीच डीलक्स रेल गाड़ी चलाने की मांग	Demand for additional Train from Mughal Sarai to Pathankot or running of Delux train between Amritsar and Howrah	119
7004	मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को रद्दी रेल पटरियों की सप्लाई	Supply of scrap Rails to Madhya Pradesh Electricity Board	119-120
7005	रेलवे लाइन का मणिपुर तक विस्तार	Extension of Railway Line upto Manipur	120
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में (प्रक्रिया)	Rc. calling attention to matter of urgent public Importance (**Procedure**)	
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाया जाना	Calling attention to matter of urgent public importance	
	भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री का कथित वक्तव्य	Reported statement of minister of defence re. resettlement of ex-servicemen.	
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the table	
	प्राक्कलन समिति कार्यवाही सारांश	Estimates committee minutes	
	नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under rule 377	
	पश्चिमी-बंगाल के राज्यपाल के सलाहकारों की नियुक्ति	Appointment of advisers to West Bengal Governor	
	अनुदानों की मांगें 1970-71	Demands for Grants 1970-71	
	शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय	Ministry of Education and Youth services	
	श्री गु० चं० दीक्षित	Shri G. C. Dixit	
	श्री कृ० मा० कौशिक	Shri K. M. Koushik	

अ० प्र० सं०

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
	श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	
	श्री म० ला० सोंधी	Shri M. L. Sondhi	
	श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma	
	श्री समर गुह	Shri Samar Guha	
	श्रीमती लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai	
	श्री अम्बाजगन	Shri Anbazhagan	
	श्री नरदेव स्नातक	Shri Nar Deo Snatak	
	श्री शिव कुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri	
	श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	
	श्री ज्योतिमय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	
	श्री मणिभाई जे० पटेल	Shri Manibhai J. Patel	
	श्री बैरो	Shri Barrow	
	श्री भक्त दर्शन	Shri Bhakat Darshan	
	श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ibrahim Sulaiman Sait	
	श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar lal Bohra	

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 21 अप्रेल, 1970 / 1, वैशाख 1892 (शक)
Tuesday, April 21, 1970 / Vaisakha 1, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*1111. **Shri Ram Avtar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be please to state :

(a) whether it is a fact that the Daily Passengers' Association of Patna-Gaya Section (Eastern Railway) had submitted a memorandum to the Divisional Superintendent, Danapur Division on the 21st March, 1970;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken so far or proposed to be taken by Government in this regard and the time by which the said action is proposed to be taken ?

The Deputy Minister in Ministry of Railways (Shri R. L. Chaturvedi) : (a) Yes, Sir.

(b) The memorandum contains a demand for introduction of a train from Gaya so as to arrive Patna at 06. 00 hrs. and a return service from Patna so as to arrive Gaya at 06,00 hrs.

(c) Timings of 2 PG were altered from 8. 4. 70 to partly meet this demand of the Daily Passengers Association as an experimental measure. The change was, however, resisted and the original timings of No. 2 PG Passenger had to be restored from 16.4.70.

Sri Ram Avtar Shastri : Mr. Speaker, Sir, Patna is the capital of Bihar and this city is connected by trains from all sides. Patna-Gaya line is a very busy line. Thousands of people including Government employees, other employees, students and people having work in courts go to Patna and come back daily. That is why the Daily Passangers' Association have requested the Government for the convenience of students and other workers for the introduction of a train so as to arrive Patna at 06.00. Recently on 17th April a joint delegation of the Passangers' Association and of other Associations met the Divisional Superintendent, Danapur and is it a fact, as has been reported in the Press that he has agreed that Hatia-Ranchi-Patna Express would stop at each and every station from Jahnabad to Patna unless a new train is introduced there ?

Sri R. L. Chaturvedi : Mr. Speaker, Sir, a memorandum was received from the Daily Passangers' Association of Patna-Gaya Section and keeping in view the demand contained therein certain changes have been made in the timings of this train. According to thier demand a train was introduced with effect from 8th instant from Gaya, starting there from at 02.40hrs and reaching Patna at 05.22hrs. Where as their demand was that the train should arrive Patna at 06.00. hrs. But this change was apposed vehemently. Even the Passangers' Association, by whom the memorandum was submitted, requested that old timings should be introduced again.

I would like to say one thing more in this regard and that is only 90 passanger travelled by the train which was started at 2.40 hrs. with effect from 8th instant, where as thousands of passangers' used to travel by the former train. After that when original timings were reintroduced, the number of passangers again rose to one thousand. I may, therefore, submit that we ourselves keep the convenience of the passangers in view.

Sri Ram Avtar Shastri : The hon. Minister is repeating the old story. My question was whether the Divisional Superintendent had agreed that Hatia-Ranchi-Patna Express would stop at each and every station from Jahnabad to Patna ?

Sri R. L. Chaturvedi : It is not the question of repeating old story. If the hon. members want and if you permit me, Sir, I am ready to read out the timings of all the seven trains running on this section. It will be evident therefrom that the passengers' interest is always kept in mind.

Sri Ram Avtar Shastri : Mr. Speaker, Sir, the Daily Passengers' Association and other Associations have complained that all the trains running on this section are invariably late and it is not possible for the employees to reach in their offices in time and as such they are punished for attending their office late. But the Divisional Superintendent have not so for paid any attention to their complaint. One of the reasons of late running of the trains is that out of date engines are attached to these trains. So I want to know whether new engines would be provided for those trains, so that they may arrive Patna in time and no inconvenience is experienced by the people ?

Shri R. L. Chaturvedi : We will see the suggestions given by the hon. Member are implimented fully and the trains run in time.

दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन योजना

*1112. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के एक कार्यकारी पार्षद ने दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन लागू करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है : और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है ।

श्री एन० शिवप्पा : मैं अपने प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को विभिन्न देशों में वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा उन देशों में वृद्धावस्था पेंशन किस आधार पर दी जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : आप किसी अन्य अवसर पर अपना सुझाव दे सकते हैं, इस समय नहीं ।

श्री एन० शिवप्पा : यदि वृद्धावस्था पेंशन देनी है, तो उसका कोई आधार होना चाहिये । यदि भारत सरकार वृद्धावस्था पेंशन के दिल्ली प्रशासन के सुझाव से सहमत हो जाती है, तो कुल कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

श्री गोविन्द मेनन : इस बात की जांच की जा रही है ।

श्री एन० शिवप्पा : हाल में बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा देश में विभिन्न राज्यों द्वारा की गई विभिन्न मांगों को देखते हुये मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार देश के वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन देने के लिये पर्याप्त राशि नियत करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री गोविन्द मेनन : दिल्ली के बारे में, जैसा कि मैंने अभी कहा है, हम इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं । भारत में पहले ही लगभग नौ राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन योजना चालू है । उन राज्यों के नाम हैं :—आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : जम्मू तथा काश्मीर भी है ।

श्री गोविन्द मेनन : जैसा कि मेरे माननीय मित्र कहते हैं, जम्मू तथा काश्मीर में भी इसकी व्यवस्था है । शायद मेरी सूची पूरी नहीं है । तदनुसार हम इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं कि क्या दिल्ली में भी यह व्यवस्था की जा सकती है ।

Shri Sheo Narain : May I know the time by which this scheme will be introduced in the rest of the States except those nine States where it already exists and the number of persons being benefited in those nine States by this scheme ?

Mr. Speaker : You are going too far.

श्री गोविन्द मेनन : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये कि कितने व्यक्तियों को लाभ हो रहा है, मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has stated that the old age pension scheme already exists in nine States. May I know whether the hon. Minister is persuading other States, where this scheme does not exist, to introduce it on the same

basis in which it is given in the said States, so that the people of those States also may get some financial assistance. It is a relief work and it has nothing to do with socialism. May I know what steps are being taken in that direction ?

श्री गोविन्द मेनन : मैंने यही कहा है कि 8 अथवा 9 राज्यों में यह योजना लागू है.....

श्री रंगा : क्या इस योजना का भार राज्य तथा केन्द्र दोनों द्वारा उठाया जाना है ?

श्री गोविन्द मेनन : राज्य इसका भार वहन करते हैं । हम दिल्ली के बारे में विचार कर रहे हैं ।

श्री बलराज मधोक : दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र है और इसका बजट केन्द्रीय बजट का ही एक भाग होता है । इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली प्रशासन ने सुझाव दिया है कि वे वृद्धावस्था पेंशन आरम्भ करना चाहते हैं और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार इस उद्देश्य के लिये धन उपलब्ध करने को तैयार है ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूँ कि हमें इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन से एक पत्र प्राप्त हुआ है और हम उस पर विचार कर रहे हैं ।

श्री बलराज मधोक : यह सुझाव बहुत पहले दिया गया था । इस पर विचार करने में कितना समय लगेगा ? आप की समाजवादी सरकार इन मामलों पर केवल विचार करती रहती है ।

श्री शिव नारायण : केवल विचार करने से समस्या हल नहीं होती ।

दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में औषधालयों की आवश्यकता

*1113. **श्री बलराज मधोक** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी कालोनी, नारायणा में तथा कुछ अन्य गन्दी बस्तियों में अभी तक एक भी औषधालय नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन बस्तियों के लोगों के अत्यधिक गरीब होने के कारण प्राइवेट चिकित्सक अपने क्लिनिक वहाँ नहीं खोलते; और

(ग) यदि हां, तो सभी झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों में समाज कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत शीघ्रातिशीघ्र औषधालय खोलने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना सम्बन्धित विभागों से एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Shri Bal Raj Madhok : Mr. Speaker, in Delhi nearly seven lakh people live in tents and nearly five lakh people live in Juggies. The Government have constructed J. J. Colonies for them and they are being shifted from their old places. This work is being done by the D. D. A. In Naraina nearly 50,000 people are living at present

and the number of those living in Najafgarh is one lakh. But there is no dispensary for them. Though the scheme of J. J. Colonies is many years old. Government was not aware of this fact that there is no dispensary in these Colonies. So I want to know how much time will be required by Government for getting this information ?

श्री गोविन्द मेनन : मैंने इस प्रश्न का उत्तर इस ढंग से दिया है क्योंकि इस प्रश्न का विषय मेरे मन्त्रालय से सम्बन्धित नहीं है । फिर भी मैंने कहा है कि औषधालयों के बारे में मैं जानकारी प्राप्त करूँगा ।

Shri Bal Raj Madhok : Will the hon. Minister assure us to open at least one dispensary in each J. J. Colony during the current year ?

Shri Ram Sewak Yadav : On a point of order, Sir.

Mr. Speaker : There can not be any point of order during question hour.

Shri Ram Charan : Mr. Speaker, Sir, I want to say that 95 percent inhabitants of all these J. J. Colonies are Harijans to whom 25 sq. yards plots have been given and these Colonies are at many places such as Naraina, Paukha Road, Modipur, and Sahadhra etc. The hon. Minister has said that he has no information, but I want to tell him that there is no dispensary or hospital within a radius of 10 miles from these Colonies. This is my information. Will the hon. Minister...

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker, Sir, it is a simple question and it pertains to dispensaries. The hon. Minister says that he has no information. Once the question is admitted, he should have collected the full information.

श्री बलराज मधोक : या तो उन्हें प्रश्न को स्वीकार नहीं करना चाहिये था और यदि इसे स्वीकार किया गया है, तो उन्हें कुछ जानकारी अवश्य देनी चाहिये । अन्ततः यह प्रश्न इस नगर के 5 लाख लोगों से सम्बन्धित है । आप उन्हें उत्तर देने को कहिये ।.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

Shri Ram Charan : Can the Government give an assurance to open dispensaries within three months in those places, where there is no dispensary within a radius of 15 miles ?

श्री गोविन्द मेनन : जहाँ तक आश्वासन का सम्बन्ध है, औषधालय खोलना स्वास्थ्य मन्त्रालय का काम है ।

श्री रंगा : जब कभी भी आप को जानकारी प्राप्त हो जाये, आप उसे सभा पटल पर रख सकते हैं ।

कानपुर तथा तमिलनाडु में मिश्रित इस्पात कारखानों की स्थापना

*1118. **श्री मुरासोली मारन्** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में एक मिश्रित इस्पात कारखाना स्थापित करने का सरकार का विचार है जैसा कि प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री ने हाल ही में बताया था ;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में मिश्रित इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । राज्य सरकार ने किसी नये मिश्र-इस्पात कारखाने की स्थापना के लिये नहीं कहा है परन्तु उन्होंने सुझाव दिया है कि मद्रास अलाए एण्ड स्टेनलेस स्टील को दिये गये लाइसेंस को पुनः वैध कर दिया जाय ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुरासोली मारन् : मेरा प्रश्न मद्रास अलाए एण्ड स्टेनलैस स्टील को दिये गये लाइसेंस से सम्बन्धित है । जब 1963 में उसने लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था तो उसे लाइसेंस दिया गया था, परन्तु किसी कारणवश इसमें देरी हो गई थी । उसके कुछ प्रवर्तकों ने समय-समय पर पत्र लिखे और लाइसेंस की अवधि 31. 12. 69 तक बढ़ा दी गई थी । परन्तु अचानक ही लाइसेंस को रद्द कर दिया गया । क्या मैं इसके कारण जान सकता हूँ ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वास्तव में, लाइसेंस रद्द नहीं किया गया था । इसे लाइसेंसिंग समिति के पास भेजा जाना था । चूंकि गत 6 वर्षों में बहुत कम प्रगति हुई है, इसलिये लाइसेंसिंग समिति इस पहलू पर विचार करेगी कि क्या लाइसेंस की अवधि बढ़ाई जानी चाहिये अथवा नहीं । परन्तु तामिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री को इस मामले में एक अभ्यावेदन भेजा है और यह हमारे मन्त्रालय में आया और मैंने मुख्य मन्त्री को यह लिखा कि भिक्षित इस्पात कारखाने के अनुभव के आधार पर भेजे गये विवरण को ध्यान में रखते हुये इस परियोजना के तकनीकी-एवं-आर्थिक पहलुओं पर फिर से विचार किया जाना चाहिये । मैंने उन्हें यह भी बताया कि यदि सेलम परियोजना स्वीकृत की जाती है तो इससे भी इस परियोजना का स्वरूप बदल जायेगा । तीसरी मैंने उन्हें मांग तथा पूर्ति सम्बन्धी स्थिति, जिसकी 1978-79 के अन्त तक स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में पैदा होने की सम्भावना, के बारे में बताई और जिसके अनुसार स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में मिश्रित इस्पात सन्यन्त्र के विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव से इस मांग की पूर्ति हो सकेगी । ये सब बातें मैंने उन्हें बताई हैं । मैंने उनके स्पष्ट विचारों को जानने के लिये लिखा है । मुख्य मन्त्री ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है ।

श्री मुरासोली मारन् : लाइसेंस 1963 में दिया गया था और इसका नवीकरण 1969 में हुआ । इन 6 वर्षों तक सरकार ने पुनरीक्षण के लिये नहीं कहा, परन्तु 1-1-70 को अचानक ही सरकार ने उन्हें यह कहा कि वे फिर से व्यावहारिकता सम्बन्धी प्रतिवेदन भेजें । मैं वे कारण जानना चाहूँगा जिनसें उन्होंने व्यावहारिकता सम्बन्धी प्रतिवेदन फिर से मांगा है । सरकार द्वारा समय-समय पर लाइसेंस की अवधि बढ़ाने के क्या कारण थे ? दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि हमें निर्णय लेने वालों तथा निर्णयों को लागू करने वालों द्वारा की गई देरी के कारण भारी दंड भुगतना पड़ रहा है । व्यावहारिकता सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन

के आधार पर लाइसेंस 1963 में दिया गया था। बिना और देरी किये क्या सरकार अब इस बात की स्वीकृति देगी ताकि परियोजना सम्बन्धी कार्य किया जा सके ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : देरी के लिये सरकार को दोषी ठहराना बिल्कुल उचित नहीं है क्योंकि इस कम्पनी ने लाइसेंस का प्रयोग नहीं किया जो उसे 6 वर्षों के लिये दिया गया था।

श्री मुरासोली मारन् : 1963 में आप मद्रास सरकार के इन्चार्ज थे। अब हमारी सरकार ने इस सरकारी क्षेत्र का उपक्रम मान लिया है। इसलिये, क्या सरकार आधुनिक आर्थिक नीति सम्बन्धी घोषणा के अनुसार इस प्रकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्राथमिकता देगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरी जानकारी के अनुसार तामिलनाडु सरकार का विचार 51 प्रतिशत शेयर लेने का है।

श्री मुरासोली मारन् : यदि आप चाहें तो वह इसे पूर्ण रूप से लेने को तैयार है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं इस सम्बन्ध में वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। सरकारी सूचना के अनुसार तामिलनाडु सरकार 51 प्रतिशत शेयर लेना चाहती है।

श्री मुरासोली मारन् : उन्होंने एक पत्र भी लिखा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : परन्तु, मैंने जो बातें आपको बताई हैं वह मैंने तामिलनाडु के मुख्य मन्त्री को एक पत्र में लिखी हैं। मैंने उन्हें 27 जनवरी, 1970 को लिखा था। जैसा कि मैंने कहा है कि इस बात पर विचार करना होगा कि 1978-79 तक स्टेनलेस स्टील की कुल मांग लगभग 30,000 मीटरी टन होगी। यह 'स्टीरिंग ग्रुप' का अनुमान है। दुर्गापुर स्थित मिश्रित इस्पात कारखाने का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है। 30,000 मीटरी टन की क्षमता का रोलिंग मिल समूह स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसलिये इस मांग की पूर्ति मिश्रित इस्पात कारखाने द्वारा 1978-79 तक की जायेगी। यह चौथी योजना का एक प्रस्ताव जिसके लिये योजना आयोग ने हाल ही में स्वीकृती दी है। इसे पहले शुरू नहीं किया जा सकता था। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसका अब पता चला है। दूसरी बात यह है कि सेलम कारखाने में भी विशेष प्रकार के इस्पात का उत्पादन होता है और यदि बाद में इसके लिये मांग हुई तो सेलम कारखाने में एल डी कन्वर्टर से स्टेनलेस स्टील के उत्पादन और हॉट रोलिंग क्षमता, जिसकी स्थापना स्टेनलेस स्टील के उत्पादन के लिये की जायेगी, के उपयोग पर विचार किया जायेगा। इस परियोजना के प्रस्तावकों ने अपेक्षित निवेश की ओर भी ध्यान नहीं दिया है। ये वे सब बातें हैं जो तामिलनाडु के मुख्य मन्त्री को बताई गई हैं। उन्हें अभी इसका उत्तर देना है।

बोकारो इस्पात कारखाने के द्वितीय प्रक्रम के लिये ठेका

*1121 **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो स्टील लिमिटेड के सेवा निवृत्त होने वाले अध्यक्ष ने जनवरी 1970 में सरकार को एक सिफारिश भेजी थी जिसमें उन्होंने सुझाव दिया है कि बोकारो, इस्पात कारखाना-प्रकम 2 के विस्तार का सारा कार्य प्रमुख सलाहकार के रूप में दस्तूर एण्ड कम्पनी को सौंप दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो बोकारो स्टील के अध्यक्ष द्वारा की गई सिफारिश का पूरा पाठ क्या है ;

(ग) क्या उस सिफारिश के अन्तिम पैराग्राफ में उन्होंने सुझाव दिया था कि "ऊपर सुझाई गई व्यवस्था को अन्तिम रूप दिये जाने से पहले, शुरू में रूसी अधिकारियों से विस्तार से बातचीत करना जरूरी है" ;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे सुझाव के कोई राजनैतिक आशय हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो बोकारो इस्पात कारखाने के विस्तार के दूसरे चरण का निर्माण कार्य रूसियों को सौंपने के लिये सरकार द्वारा उनके साथ करार किये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : बोकारो इस्पात कारखाने के द्वितीय चरण के लिए परामर्श व्यवस्था के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय लेने से पूर्व सरकार ने इस प्रश्न पर सभी दृष्टि कोणों से तथा इससे सम्बन्धित सभी लोगों से परामर्श करके विचार दिया था । इस बारे में बोकारो स्टील लि० के अध्यक्ष से भी परामर्श किया गया था और हिन्दुस्तान स्टील लि० के केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो को मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त करने तथा मेसर्स दस्तूर एन्ड कम्पनी को द्वितीय चरण के लिए पहले चरण में सौंपी गई जिम्मेदारियों जैसा कार्यभार सौंपने के बारे में निर्णय करते समय उनके विचारों को भी ध्यान में रखा गया था । अध्यक्ष तथा अन्य व्यक्तियों ने, जिनसे परामर्श किया गया था सम्बन्धित प्रश्नों पर निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्रता से विचार व्यक्त किया था । इस निर्णय से पूर्व विचार विमर्श के समय इन लोगों द्वारा प्रगट किये विचारों को बतलाना जन-हित में नहीं होगा ।

(घ) और (ङ) : यह निर्णय किसी राजनैतिक उद्देश्य से नहीं किया गया है और यह भी सच नहीं है कि कारखाने के द्वितीय चरण के विस्तार-कार्य को सोवियत पक्ष को दिया गया है ।

श्री समर गुह : महोदय, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या यह सत्य है कि श्री वांचू ने सरकार को प्रस्तुत किये अपने प्रतिवेदन में खंड 7 में निम्नलिखित स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है :

"सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है....."

अध्यक्ष महोदय : उद्धरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है । आप केवल उसका उल्लेख कीजिए ।

श्री समर गुह : सरकार को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की एक प्रति मेरे पास है । मैं केवल सम्बन्धित भागों को उद्धृत कर रहा हूँ । मन्त्री महोदय सच्चाई को छुपा रहे हैं ।

श्री रंगा : यह सभा-पटल पर रखी जानी चाहिए। मेरे विचार में इसे सभा-पटल न रखने का कोई कारण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : शायद आपको इसके बारे में गलत फहमी हुई है। इसे सभा-पटल पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रश्न पर चर्चा हो रही है। इसलिए प्रश्न अनुपूरक होने चाहिए। यह कोई वाद-विवाद नहीं है।

श्री रंगा : मेरे विचार में सभा को इस बात का पता लगना चाहिए।

श्री समर गुह : मेरी सविनय प्रार्थना यह है कि मेरा प्रश्न केवल वांचू समिति के प्रतिवेदन से सम्बन्धित है। मैं इसे शब्दशः उद्धरित नहीं करना चाहता। मैं केवल सम्बन्धित अंशों को उध्दृत करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे माननीय मित्र, श्री रंगा की जो भी सलाह हो, मैं आपका ध्यान सही प्रक्रिया की ओर दिलाना चाहता हूँ। आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। परन्तु, कोई पूरा वक्तव्य न दें और उसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछें। आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। कृपया इसे परम्परा न बनायें।

श्री समर गुह : महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि वांचू समिति के प्रतिवेदन में खंड (7) में श्री वांचू ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित लिखा है। मैं उसे उद्धृत करता हूँ :

"सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि विस्तार सम्बन्धी कार्य क्रम के लिए भारतीय परामर्श दाता द्वारा किये जाने वाला डिज़ाइन सम्बन्धी कार्य कुछ एक मदों के मामलों को छोड़ कर लगभग एकसा होना चाहिए। यह सब मेसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा भली-भाँति किया जा सकता है, जिन्होंने तकनीकी रूप से इसका समाधान किया है तथा संगठन को कुशलता पूर्वक चलाया है।"

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि खंड (9) में उन्होंने निम्नलिखित कहा है :

"15 लाख टन से 40 लाख टन तक के विस्तार सम्बन्धी कार्य के लिए अग्रेतर परामर्श व्यवस्था का अनुमान लगाया जाये जिसमें मेसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी परियोजना सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन के क्षेत्राधिकार के अनुसार परियोजना के इंजीनियरी व्यवस्था के लिए मुख्य भारतीय परामर्शदाता होंगे।"

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सब सच है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा वांचू समिति की सिफारिश तथा प्रतिवेदन को स्वीकृत न करने के क्या कारण है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि वांचू समिति के नाम की कोई समिति नहीं है।

श्री समर गुह : श्री वांचू हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष थे और सरकार ने उन्हें मामले की जांच करने का कार्य सौंपा था तथा उनसे विस्तार सम्बन्धी प्रतिवेदन देने को कहा गया था।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हम बोकारो के विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं न कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के विस्तार की ।

इस प्रयोजन के लिए कोई समिति नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं था । श्री वांचू, जो उस समय बोकारो स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष थे, से भी परामर्श किया गया था। सरकार द्वारा निर्णय लेने से पहले अन्य कई सम्बन्धित अधिकारियों से भी परामर्श किया गया था।

सामान्यतया मेरे माननीय मित्र द्वारा कही गई यह बात कि अधिकांश उपकरण एक ही प्रकार के हों, सही है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : 100 प्रतिशत ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : 100 प्रतिशत नहीं । नये उपकरण तथा उनमें परिवर्तन होंगे । परन्तु, वास्तव में वक्तव्य सही है ।

दस्तूर एण्ड कम्पनी की क्षमता के बारे में मुझे कोई सन्देह नहीं है, परन्तु जहाँ तक सरकार द्वारा अलग से निर्णय लेने का सम्बन्ध है, यह केवल सरकार के लिए है कि वह मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय ले ।

श्री समर गुह : वे कौन से पहलू हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह एक अत्यधिक महत्व की बात है कि किसी एक को परामर्श-दाता नियुक्त करने से परियोजना को क्या लाभ होगा अथवा क्या ऐसा करने से बोकारो में उत्पादन शीघ्र शुरू होने में कोई सहायता मिलेगी ? सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सरकार इस निर्णय पर पहुँची कि प्रारम्भिक परामर्श व्यवस्था दस्तूर एण्ड कम्पनी को न सौंप कर केन्द्रीय इंजीनियरी तथा डिजायन ब्यूरो को सौंपना परियोजना के हित में होगा, परन्तु इसके साथ-साथ दस्तूर एण्ड कम्पनी का भी सहयोग भी उसी ढंग से लिया जाये जिस ढंग से वह चरण-एक में कार्य कर रही थी ताकि उनके अनुभव से पूर्ण लाभ उठाया जा सके ।

श्री पीलु मोदी : क्या उनका यह अभिप्राय है कि एक दूसरे से अधिक योग्य हैं ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि देश में 52,000 बेरोज़गार इंजीनियर हैं और क्या केन्द्रीय इंजीनियरी तथा रूपांकन ब्यूरो, जिसको यह कार्य सौंपा गया है, में 60 रूसी इंजीनियर होंगे जिन्हें 6,000 रुपये प्रति मास के हिसाब से वेतन दिया जायेगा और पर्यवेक्षण कर्मचारियों, अध्यापकों, डाक्टरों, आदि पर, जो सब रूस से लाये गये हैं, 15 करोड़ रुबलज़ का अतिरिक्त व्यय होगा ।

क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय इंजीनियरी तथा डिजायन ब्यूरो के नाम पर समूची परामर्श-व्यवस्था रूसी अधिकारियों को दे दी है जिसमें 15 करोड़ रूबल का जो व्यय अन्तर्ग्रस्त है, उसे रोका जा सकता था और यदि यह व्यवस्था भारतीय परामर्शदात्री फर्म को दी जाती तो बेरोजगार भारतीय इंजीनियरों को रोजगार मिल जाता ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कदापि नहीं ।

श्री समर गुह : मेरे पास सभी वर्गों की और इसमें अन्तर्ग्रस्त व्यय की मद-वार जानकरी है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं समझता हूँ कि माननीय मित्र केन्द्रीय इंजीनियरी तथा डिजायन ब्यूरो और गिब्रोमेस के बीच हुये करार तथा इस करार के अन्तर्गत आने वाले सोवियत संघ के विशेषज्ञों के बारे में उल्लेख कर रहे हैं । वह बोकारो दूसरे चरण के बारे में, जिसका कि प्रश्न से सम्बन्ध है, उतना उल्लेख नहीं कर रहे हैं जितना कि अन्य करार के बारे में । लेकिन मैं प्रश्न से जी नहीं चुराऊँगा । यह सच है कि केन्द्रीय इंजनियरों तथा डिजायन ब्यूरो ने 'गिब्रोमेस' के साथ यह करार किया है । इस करार के अन्तर्गत कुछ तकनीशन सोवियत संघ से आयेंगे । हमारे कुछ तकनीशन इस करार के अन्तर्गत सोवियत संघ जायेंगे और इस तरह हम केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो की प्रौद्योगिकी सक्षमताओं का विकास करने के लिये करार का पूरा-पूरा लाभ उठा सकते हैं । हम इन सक्षमताओं का विकास करना चाहते हैं । केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो ने एक अमरीकी फर्म के साथ भी करार किया है और उसका जर्मनी और आस्ट्रिया की एक फर्म से भी करार करने का विचार है ।

श्री समर गुह : मन्त्री महोदय यह क्यों कहते हैं कि इन विशेषज्ञों को रूस से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिये बुलाया जाना चाहिये ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : क्योंकि सक्षम होना तो सर्वथा सम्भव है लेकिन सभी जानकारी रखना सम्भव नहीं ।

श्री समर गुह : राजनीतिक दबाव है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी बढ़ाना चाहता है ।

जब वह 'राजनीतिक दबाव' की बात करते हैं, तब उन्हें यह अनुभव करना चाहिये कि केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो ने न केवल सोवियत संघ से, अपितु कोक भट्टी के लिये पश्चिमी जर्मनी की फर्म के साथ और रोलिंग मिल के लिये एक अमरीकी फर्म के साथ और 'एल० डी० कनवर्टर' के लिये आस्ट्रिया की फर्म के साथ करार किये हैं । जहाँ कहीं भी उत्तम जानकारी उपलब्ध हो, उसे प्राप्त किया जाना चाहिये । दिया जाने वाला मूल्य एक संगत तथ्य है । यदि इन सब बातों पर विचार किया जाय, तो 'तियाजप्रोमएक्सपोर्ट' के साथ करार एक बहुत ही उपयुक्त बात है और हमें जानकारी बहुत ही उचित मूल्य में मिल रही है ।

श्री समर गुह : बोकारो के दूसरे चरण के विकास के लिये सरकार 15 करोड़ रुपये की लागत पर 60 रूसी इंजीनियर, पर्यवेक्षण कर्मचारी, शिक्षक और प्रत्येक वस्तु ला रही है ।

श्री पीलु मोडी : केवल एक बात छोड़ दी गई है । तकनीकी जानकारी देने के लिये उसे बहुत शीघ्र मन्त्री भी भेजने होंगे ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : उत्तर में यह बात निहित है कि दस्तूर एण्ड कम्पनी में कार्य करने के लिये परामर्श-व्यवस्था की अपेक्षित क्षमता है । यदि यह सच है तो क्या मैं मन्त्री महोदय

से जान सकता हूँ कि क्या केन्द्रीय इंजीनियरी तथा डिजायन ब्यूरो का तियाजप्रोमएक्सपोर्ट के साथ जो करार हुआ है उसका एक मुख्य कारण यह है कि वह दस्तूर एण्ड कम्पनी के साथ कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि केन्द्रीय इंजीनियरी तथा इंजीनियरी ब्यूरो सरकारी क्षेत्र में है। यदि यह पूर्ण रूप से भारतीय होता, तो हम इस बारे में कुछ नहीं कहते और वह दस्तूर एण्ड कम्पनी को काम में लगा सकते थे। क्या मन्त्री महोदय सभा को आश्वासन देंगे कि केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो का तियाजप्रोमएक्सपोर्ट के साथ जो करार हुआ है, उससे दस्तूर एण्ड कम्पनी से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं कहूँगा कि मुख्य बात केन्द्रीय इंजीनियरी तथा डिजायन ब्यूरो और तियाजप्रोमएक्सपोर्ट के बीच करार ही नहीं है लेकिन मैं यह भी बताऊँगा कि केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो के लिये परियोजना पर कार्य करना लाभदायक ही है, क्योंकि सैद्धांतिक आधार की अपेक्षा किसी परियोजना पर कार्य करते हुये जानकारी का अन्तरण अच्छी तरह होता है। यह उनमें कुछ सूत्रों को ग्रहण करने का ही केवल मामला नहीं है, अपितु परियोजना के आयोजन में यदि वह अपने रूसी साथियों के साथ बैठकर वास्तव में मानदण्डों और आंकड़ों पर कार्य करता है, तो तकनीकी जानकारी या संस्था का विकास करने का यह उत्तम तरीका है और मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि केन्द्रीय इंजीनियरी तथा डिजायन ब्यूरो एक भारतीय संस्था है और यह एक भारतीय संस्था ही रहेगी और यह सब केवल इसका विकास करने की दृष्टि से ही है। यह एक अल्पकालीन करार है। यह दीर्घकालीन करार नहीं है। हमें इस करार से पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहिये और देखना चाहिये कि हमें भविष्य में इसी तरह की जानकारी सम्बन्धी करारों की आवश्यकता ही न बनी रहे और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर यह करार किया गया है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Government have entrusted this job to Russia from back door because they did want to face the public opinion of India. Instead of giving this job to Russia by establishing direct relations with her they have given it through C. E. D. B. and there is no reason except political pressure. Since Dastur and Co. possessed full technical know-how, the agreement was entered into with Russia. I would like to know the number of experts coming to India under the said agreement. How much expenditure would be borne by the Government or by C. E. D. B. thereon. If Government thinks that it has not been done on political pressure, whether Government are prepared to refer the entire matter to an expert Committee, so that it may be clarified that it has been done on political pressure or not ?

Shri K. C. Pant : Perhaps hon. Member is stating about the agreement between C. E. D. B. and GIPROMEZ. But this matter relates to Bokaro Consultancy.

Shri Kanwar Lal Gupta : Hon. Minister has stated that the agreement has been entered into. But my question is about the total cost to be involved under the agreement which will be given to Russia, and whether he is prepared to refer this matter to an expert Commitee.

अध्यक्ष महोदय : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का सभापति रहने के कारण मुझे अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, लेकिन मैं इस मामले में मौन हूँ।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं आप पर आरोप लगाता हूँ कि आप रूस के पिछलग्गू हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी केवल कमजोरी यह है कि मैं यहाँ बैठा हूँ ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : दो प्रश्न पूछे गये हैं । एक प्रश्न सी ई डी बी और तियाजप्रोमएक्सपोर्ट के बीच करार के भुगतान के बारे में है । मुझे इसकी जांच करनी होगी क्योंकि यह प्रश्न नहीं पूछा गया है । करार किसी अन्य के बारे में है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : You have already stated about an agreement. Now the question is of the cost to be involved. A copy of agreement may be placed on the Table of the House.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि दस्तूर एण्ड कम्पनी को किस कारण शामिल नहीं किया जा रहा था ।

श्री समर गुह : माननीय मन्त्री महोदय सभा को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह बात सही नहीं है । मान लीजिये हम भिलाई का विस्तार करने जा रहे हैं । यदि तकनीशन वहाँ हैं, तो उनका इस कार्य में भी उपभोग किया जायेगा ।

श्री समर गुह : इस समय उसका लक्ष्य यही है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : एकमात्र रूप से यही नहीं.....

अध्यक्ष महोदय : श्री गुह प्रत्येक बात धैर्यपूर्वक ध्यान देकर सुनें और उत्तेजित न हों ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह इस करार का राष्ट्र के सबसे बड़े हित में उपयोग करे और हम ऐसा ही करेंगे ।

दूसरे चरण के लिये जितने रूसी इंजीनियरों के बारे में सुझाव दिया गया है, वे लगभग 50 होंगे जब कि पहले चरण में 116 थे और रूसी विशेषज्ञों का चयन हमारे द्वारा अच्छी तरह छानबीन करके किया जायेगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या कोई राजनीतिक दबाव है या नहीं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसमें कोई राजनीतिक दबाव नहीं है और इस मामले को किसी विशेषज्ञ समिति को भेजने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री रंगा : अध्यक्ष महोदय के प्रश्न पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है । क्या वह इस प्रश्न के बारे में भूल गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा प्रश्न नहीं था ।

श्री रंगा : आपने हमारी सहायता की और प्रश्न को स्पष्ट किया । दस्तूर एण्ड कम्पनी को क्यों अलग रखा गया है ? क्या उसको शामिल किया जाने वाला है ? अध्यक्ष महोदय ने जो सुझाव दिया है, निस्सन्देह उसका उत्तर पूछने का हमें हक है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे क्यों उलझाते हैं ?

श्री रंगा : आपने हमारी मदद की ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Answer has not been given to the question. How much money will involve in it ?

श्री पीलु मोडी : जहाँ उत्तर में यह बात स्वीकार की गई है कि दस्तूर एण्ड कम्पनी कार्य करने के लिये पर्याप्त रूप से सक्षम हैं, वहाँ मन्त्री महोदय ने यह अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि सी ई डी बी यह कार्य करने में सक्षम नहीं है और इस दृष्टि से इसे कार्य पूरा कर सकने के लिये सहयोग सम्बन्धी करारों की आवश्यकता है । मन्त्री महोदय ने यह भी बताया है कि विदेशी विशेषज्ञों के साथ काम करते हुए इन लोगों को कुछ सीखने का मौका मिलेगा, जिसका अर्थ यह है कि जिन लोगों के पास जानकारी है, उनको दस्तूर एण्ड कम्पनी को इस कार्य से वंचित किया जायेगा । मन्त्री महोदय ने तीसरी बात यह स्पष्ट की कि विशेषज्ञ जो चाहें कहें लेकिन आखिरकार सरकार को निर्णय लेना है । यदि सरकार को निर्णय लेना है और तकनीशनों तथा तकनीकी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली इस सलाह की पूरी उपेक्षा करना है कि इस मामले में क्या किया जाना चाहिये तो इस तकनीकी सलाह की क्या आवश्यकता है यदि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे ? जब वह सुझाव देते हैं कि तकनीकी सलाह के बावजूद सरकार कभी-कभी निर्णय लेती है, तो सरकार जो कुछ कर रही है, उसमें अवश्य ही कोई राजनीतिक चाल है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि इन मामलों पर सरकार को निर्णय नहीं करना है, तो सरकार किस लिये है ?

श्री पीलु मोडी : क्या निर्णय किसी तकनीकी राय पर ध्यान किये बिना करना होगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आखिरकार निर्णय लेना सरकार की जिम्मेदारी है..... (व्यवधान) ।

श्री पीलु मोडी : सरकार कुछ तर्कसंगत बातों के आधार पर निर्णय करती है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इन मामलों में निर्णय लेने की अपनी जिम्मेदारी से मुकरना सरकार के लिये गलत बात होगी । सरकार विशेषज्ञों की सलाह एक दम नहीं स्वीकार कर सकती । आखिरकार सरकार ही निर्णय लेती है ।

श्री पीलु मोडी : किन बातों के आधार पर ?

श्री कंवरलाल गुप्त : हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं । यह एक महत्वपूर्ण मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इन व्यवधानों की अनुमति नहीं दूँगा ।

श्री पीलु मोडी : सरकार किन बातों के आधार पर निर्णय लेती है ? उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य के कथनानुसार दस्तूर कम्पनी सक्षम है और सी ई डी बी इस कार्य के लिये सक्षम नहीं है । पहली बात तो यह है कि एक दूसरे की तुलना करना उचित बात नहीं है । मैं नहीं बता सकता कि हमारी जानकारी में कमी कहाँ पैदा होती है । जो एक पक्ष इस्पात संयंत्र लगाना चाहता है, उसमें और परामर्शदाताओं के बीच परामर्श सम्बन्धी करार में आज सक्षमता है और वे एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दे सकते हैं । हमारे परामर्श-

दाता हमें व्यवहार्य प्रतिवेदन, भूमि अध्ययन, विस्तृत परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदनों को दे सकते हैं। इसके बाद जब इस्पात संयंत्र के अंग समूह, चाहे यह धमन भट्टी, रोलिंग मिल या कोक भट्टी संयंत्र अथवा इस्पात निर्माण शाला हो, के रूपांकन का सम्बन्ध है, तो इन क्षेत्रों में उनकी अक्षमता है।

श्री पीलु मोडी : किसकी कमजोरी है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : दोनों परामर्शदाताओं की। आप दस्तूर एण्ड कम्पनी से बात कर सकते हैं। मैंने तो दस्तूर एण्ड कम्पनी से बात की है। हमारी जानकारी में कुछ कमी है। मुझे विश्वास है कि दस्तूर और सी ई डी बी इन दोनों संगठनों और अन्य संगठनों को समय आने पर दस्तूर ही क्यों–अन्य संगठनों को भी ये कमियाँ पूरी करनी चाहिये, ताकि हमें अनेक परामर्श-दाता संगठनों की परामर्श सेवा उपलब्ध हो सके और हम उनसे पूरी तरह लाभ उठा सकें। जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि जो विवाद उठाने का प्रयास किया गया है, वह अनावश्यक विवाद है। दस्तूर और सी ई डी बी के लिये पर्याप्त काम है। यदि सी ई डी बी को प्राथमिक परामर्शदाताओं के रूप में रखना बोकारो के हित में हो, तो हम उन्हें नियुक्त करते हैं। यदि दस्तूर एण्ड कम्पनी को प्राथमिक परामर्शदाताओं के रूप में रखना मिश्र इस्पात-विस्तार के हित में हो, तो हम उसे नियुक्त करेंगे। यदि भविष्य में एक या दो नये इस्पात संयंत्रों में हम दस्तूर को रखना चाहते हैं, तो वे अच्छा कार्य कर सकते हैं और हम उनको यह सुविधा देंगे। माननीय सदस्यों ने अन्य जो कई बातों के बारे में कहा है, उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गुप्त ने तियाजप्रोमएक्सपोर्ट के शुल्क के बारे में जो मामला उठाया था, उसके उत्तर में मुझे अभी जानकारी मिली है। सी ई डी बी करार के अन्तर्गत नियाजप्रोमएक्सपोर्ट को जो शुल्क दिया गया है, वह शुल्क तथा रूसी विशेषज्ञों को किये गये भुगतान और रूस भेजे जाने वाले अपने इंजीनियरों को दिये गये भुगतान के रूप में लगभग 50 लाख रुपये है।

Shri N. K. P. Salve : Would you kindly give the time for discussion ?

श्री पीलु मोडी : मेरे विचार में इस विषय पर उचित रूप से चर्चा की जानी चाहिये। मैं नहीं समझता कि प्रश्न काल के दौरान मन्त्री महोदय से हम कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिये इस विषय पर चर्चा क्यों न की जाय ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं जान सकता हूँ कि सी ई डी बी को 50 लाख रुपया जो मन्त्रणा के फीस के रूप में दिया जाता है क्या उसमें उस तकनीकी जानकारी की रायल्टी भी शामिल है, जो हम विदेशों से प्राप्त कर रहे हैं और क्या दस्तूर द्वारा बतायी गई मन्त्रणा फीस सी ई डी बी द्वारा बताई गई मन्त्रणा फीस से कम थी।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह मन्त्रणा फीस नहीं है। यह तो एक भुगतान है जिसका हम मैसर्ज तियाजप्रोमएक्सपोर्ट तथा सी ई डी बी के मध्य करार के अन्तर्गत करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जितनी तकनीकी जानकारी हम पा रहे है उसके लिये यह बहुत ही न्यायोचित फीस है।

लघु उद्योगों द्वारा आयात स्थानापन्न वस्तुओं के लिये प्रयत्न

* 1122. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र में पूँजीपतियों से आयात स्थानापन्न के सम्बन्ध में अपने प्रयास में तेजी लाने का अनुरोध किया है ताकि देश को बाहर विदेशी मुद्रा का भुगतान न करना पड़े और वह पूँजीगत वस्तुओं तथा औद्योगिक सामग्री की बढ़ती आवश्यकताओं को मांग के अनुसार पूरा कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) लघु उद्योगों ने बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन करना प्रारम्भ कर दिया है जिनका कि अब तक आयात किया जा रहा था। इसके फलस्वरूप 1969 में अनुमानत: 5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : माननीय मन्त्री महोदय ने संक्षित उत्तर दिया है, हालाकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आयात स्थानापन्नता नीति के सम्बन्ध में सरकार ने वक्तव्य दिया : आयात स्थानापन्नता प्रक्रिया द्वारा सरकार आयात कम करके विदेशी मुद्रा बचाने का विचार रखती है।

यदि यही वास्तविकता है--और यदि सरकार विदेशी मुद्रा कमाना चाहती है--तो यह वास्तव में अच्छी बात है—मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार छोटे उद्यमियों, छोटे उद्योगपतियों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को चलाने के इच्छुक लोगों को क्या क्या विशेष प्रोत्साहन देना चाहती है ? क्या उनको कुछ आवश्यक कच्चा माल आयात करने के लिये सुविधाएँ भी दी जायेंगी और क्या उन्हें समय-समय वित्तीय सहायता भी दी जायेगी। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि चालू वर्ष के लिये विदेशी मुद्रा की अनुमानित राशि कितनी है और क्या सरकार ने इसका कोई अनुमान लगाया है।

श्री भानु प्रकाश सिंह : छोटे पैमाने के उद्योगों को दी गई सुविधा के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कई बार घोषणा की गई है कि विशेषकर कच्चे माल तथा धन के सम्बन्ध में भी यह सब सुविधाएँ दी जायेंगी। वह दी जातीं हैं।

प्रोत्साहनों के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यह कार्य मुख्यतया राज्य सरकारों का है और कतिपय राज्य सरकारों ने उनको कुछ प्रोत्साहन दिये भी हैं। उदाहरण के लिये मध्य प्रदेश ने दिये हैं; उन उद्योगों द्वारा विभिन्न अन्य राज्य सरकारों से कुछ अनुरोध किये गये हैं। जहाँ तक विदेशी मुद्रा कमाने का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा 1969 की अनुमानित बचत 5 करोड़ रुपये है। वह भी एक प्रकार की कमाई ही है।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : इसका अर्थ यह हुआ कि यह साफ नहीं है कि क्या इस क्षेत्र में भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप से सहायता कर सकती है । यह काम राज्य सरकारों का है । हाल ही में हमें ऐसे समाचार मिले हैं कि इस मन्त्रालय ने आयात स्थानापन्न करने के क्षेत्र निश्चित करने के लिये एक विशेष समिति पहले ही से स्थापित कर रखी है । इस सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा । जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है 1960 से 1965-66 तक पश्चिम बङ्गाल स्थित छोटे पैमाने के उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता का अंश आवश्यक मात्रा में नहीं दिया गया । मैं एक या दो उदाहरण दे सकता हूँ । उदाहरण के लिये जहाँ तक ताँबे का सम्बन्ध है.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया सीधा प्रश्न करें ।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : मैं प्रश्न कर रहा हूँ : जहाँ तक ताँबे का सम्बन्ध है पश्चिम बङ्गाल स्थित इन्जीनियरिंग उद्योगों को उनकी आवश्यकता की तुलना में ताँबा के 18 से 20 प्रतिशत तक ही दिया गया । महाराष्ट्र में 1963-64, 1964-65 तथा आगे आवश्यक मात्रा की लगभग 85 प्रतिशत मात्रा दी गई । गुजरात में यह आवश्यकता से अधिक मात्रा में दिया गया । अतः मैं जानना चाहूँगा कि आयात स्थानापन्न करने के मामले में पश्चिम बङ्गाल को उसके वैध अधिकारों से वंचित रखने के लिये क्या यह सरकार पुरानी नीति पर ही चलना चाहती है अथवा इसका मानदण्ड क्या होगा ? क्या यह राजनैतिक आधार पर होगा अथवा विचारधारा को देखते हुये होगा ? मैं जानना चाहूँगा कि सरकार किस आधार तथा किस मानदण्ड से इन उद्योगों के क्षेत्रों का निश्चय करने जा रही है ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बङ्गाल की सहायता करने अथवा इसी प्रकार की किसी बात के प्रयत्न का कोई प्रश्न नहीं है । कुछ कच्चा माल ऐसा है जिसकी सारे संसार में कमी है । कुछ कच्चा माल ऐसा है जिसकी भारत में कमी है । हम अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और कच्चे माल को हम राज्य निदेशकों को वितरित देते हैं जो उसे अपने राज्य के छोटे पैमाने के उद्योगों में वितरित करते हैं । अतः इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि किसी राज्य की सहायता नहीं की जा रही है । हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : यह उत्तर टाल मटोल करने वाला है । इसका वितरण किस आधार पर किया जाता है ? कुछ राज्यों के लिये यह 18 है और कुछ के लिये 20 और कुछ के लिये कुछ । आखिर आधार क्या है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हम कच्चे माल की सप्लाई करते हैं । छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में आंकड़ों के सम्बन्ध में परेशानी पड़ती है क्योंकि हमारे पास जो क्षमता है उसका परीक्षण करना होगा । तब ही हम उसको कर सकेंगे ।

श्री लोबो प्रभु : निर्यात स्थानापन्न के पश्चात हम विशेषज्ञ स्थानापन्न पर आ गये हैं ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस देश में स्थानापन्न निर्यातों की किस्म तथा मूल्य पर मन्त्रालय

नज़र रखता है, यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कोई प्रयत्न किया गया है ? इस सम्बन्ध में उनकी जानकारी में एक शिकायत लाना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान अम्बेसडर को पिलकिंगटन द्वारा सप्लाई किये गये ग्लास बिल्कुल सन्तोष जनक नहीं है जिससे आँखों पर ज़ोर पड़ता है। यही बात शाक एबज़ोरबर्स के लिये लागू होती है। इस देश में उपभोक्ता जैसा भी एक पक्ष है। यह देखने के लिये आप क्या कर रहे हैं कि निर्यात स्थानापन्न की जाने वाले वस्तुओं का मूल्य तथा किस्म सन्तोष जनक है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : यह प्रश्न आयात स्थानापन्न के सम्बन्ध में है ।

श्री लोबो प्रभु : आप निर्यात स्थानापन्न भी शुरू करने जा रहे हैं।

श्री भानु प्रकाश सिंह : किस्म के सम्बन्ध में जहाँ तक छौटे पैमाने के उद्योग का सम्बन्ध है अधिकांशतः किस्म अच्छी है।

श्री लोबो प्रभु : मैंने पिलकिंगटन ग्लास तथा शाक एबज़ोरबर्स के दो उदाहरण दिये। क्या यह सन्तोष जनक है ? "अधिकांशतः" का अर्थ है कि कुछ उत्पादें ऐसी हैं जहाँ किस्म अच्छी नहीं है।

श्री भानु प्रकाश सिंह : इस प्रकार की कुछ चीजों की सम्भावना हो सकती है।

Shree Ishaq Sambhali : Government claimed to have a soft corner for the small scale industries. Zinc and Copper is used in Moradabad Utensils and the Central Government used to give its quota to the State. Is it a fact that Government have stopped giving Zinc and Copper for Moradabad Brass ware Industry ? Is it also a fact thae Moradabad industries earn about Rs. 5 Crores in the form of foreign exchange for thg country. Will the Government revise its. Policy and consider the question of supplyin$_t$ Zinc and Copper to Moradabad Brass ware Industry.

Mr. Speaker : The Hon. Member has raised a very good question but it has nothing to do with the main question.

Shree Ishaq Sambhali : The question does have bearing on that because Zinc and Copper are imported components and so long as they are not imported for supply how the foreign exchange will be earned ? On the other hand our departmental people are so wise that they suggest that instead of brass, utencils should be manufactured with Aluminium. Are you going to export the utencils made of Alluminium,

Shree Bhanu Prakash Singh : In my view either the Hon. Member could not put his question properly or has faild to understand it. The question pertains to export substitution, while on the one hand the Hon. Member contends that Moradabad industry is not getting materials, on the other hand he says that export worth Rs. 5 Crores is being made. I fail to understand that.

Shree Ishaq Sambhali : It has gone down. Formerly imported Zinc and Copper used to be supplied but why it is not being given now ? This is resulting in the loss of foreign exchange. Will the Government consider to revise their policy ?

Mr. Speaker : This is a different question.

Shree Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated in the reply to a question that the work in Madhya Pradesh is in progress and a large quantity of raw material is imported and supplied. May I know the names of the areas and the industries in which the work is in progress and the extent thereof ?

Shree Bhanu Prakash Singh : I never said that. I have only stated that the Madhya Pradesh Government have given incentives to small scale industries.

श्री पें० वेंकटा सुब्बया : आयात स्थानापन्न के नाम पर कुछ उद्योगपति इसका दुर्पयोग कर रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप किस्म गिरती जा रही है। अतः क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या ऐसे कदम उठाये जाने से पूर्व सरकार द्वारा किस्म की जांच करने के कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : जैसा कि मैंने कहा है अधिकांशतः छोटे पैमाने के उद्योगों की उत्पादों की किस्में अच्छी होती हैं। यदि माननीय सदस्य की नजर में कोई विशेष घटना है तो वह हमको बता सकते हैं। हम अवश्य इस पर ध्यान देंगे। छोटे पैमाने की इकाइयाँ इतनी अधिक हैं कि प्रत्येक इकाई की जांच करना सम्भव नहीं है।

Shree Tulshidas Jadhav : What is the percentage of good work done since the declaration of the policy to encourage internal production of import articles and reduce imports ?

Shree Bhanu Prakash Singh : I have no information about percentage. If the Hon. member so desires I may quote the ietms in which we have effected import subtitution. In chemical industry 43, Electronics 43, Mechanical 17, Machine tools 20, Bicycle 6, Automobile 34 and in Electrical items 15, in this way there is a long list.

Mr. Speaker : You kindly put that on the table.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

Demand for Divisional Headquarters at Sonepur (North Eastern Railway)

*1114. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some representatives of the people of Sonepur submitted a memorandum to him in connection with the setting up of a new Divisional Headquarter at Sonepur on the North Eastern Railway;

(b) if so, whether in view of a similar demand made by the people of Muzaffarpur and before taking any action for setting up the said Headquarter at Sonepur, Government propose to constitute a study team to go into the merits of both demands after taking into account the idle Railway accommodation, land as also the importance of both the cities ;

(c) whether Government propose to take a final decision in this regard on the basis of a report of experts which may contain comparative study of the utility of both places ;

(d) whether Government propose to make a comparative study of the claims put forth by both the cities in this regard; and

(e) if so, the time by which such a study would be made and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

सीनियर परमानेन्ट वे इन्स्पेक्टरों की ऊंचे ग्रेड में पदोन्नति न करना

*1115 **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने 335-485 रु० वाले ग्रेड में परमानेंट वे इन्स्पेक्टरों के 30 नये स्वीकृत पदों का दर्जा घटा दिया है और 250-380 के ग्रेडों में काम करने वाले परमानेंट वे इंस्पेक्टरों को इन पदों पर लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पदोन्नति के पात्र सीनियर परमानेंट वे इन्स्पेक्टरों की 335-485 रु० के ग्रेड में पदोन्नति न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऊँचे ग्रेड में स्वीकृत किये गये पदों का दरजा घटाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रबन्धक एजेन्सी प्रणाली समाप्त होने के फलस्वरूप कदाचारों को रोकने के लिये समवाय अधिनियम में संशोधन

*1116 **श्री यशपाल सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्धक एजेंसी पद्धति को समाप्ति के बाद कदाचार को रोकने के लिये समवाय अधिनियम की त्रुटियाँ दूर करने के लिये इसमें संशोधन करने का कोई विचार है : और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कानून कब तक बनाये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : यह विषय विचाराधीन है ।

Construction of Guna-Maksi Railway Line

† *1117. **Shri Jagannath Rao Joshi** : **Shri Shri Gopal Saboo** :
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Bharat Singh Chauhan** :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the extent to which the construction work of the Guna-Maksi Railway line has so far been completed; the mileage of Railway track laid so far and the mileages of Railway track still to be laid ;

(b) the total number of bridges and culverts on this route which have already been constructed and the approximate number of bridges and culverts which are still to be constructed ;

(c) the date on which the construction work of this Railway line was taken up and the target date fixed for its completion;

(d) the reasons for not completing the work by the target date and the further time likely to be taken in its completion; and

(e) the total amount allocated for this work at the time of starting the work and the total amount spent on it so far ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) An overall progress of 68% has been achieved on the construction of the Guna-Maksi line upto the end of March, 1970. Out of a total of 192.22 Kms., 52.75 Kms. of track has so far been laid.

(b) On this line 33 major and 205 minor bridges are to be constructed, out of which 33 major and 188 minor bridges have been completed, including launching of girders on 9 major bridges.

(c) The work on this line was taken up on 10.4.1962 and the line is expected to be completed by the end of 1972.

(d) The work on this line had been slowed down owing to the slower rate of traffic growth in the area than originally anticipated and owing to paucity of funds. Construction work on this line has however been stepped up recently and the line is expected to be completed by about the end of 1972.

(e) The total amount sanctioned for this line is about Rs. 9.6 crores out of which about Rs. 5.9 Crores have been spent upto March, 1970.

पत्रों के पंजीकरण संबंधी विधि

*1119 **श्री सु० कु० तापड़िया** : **श्री गाडिलिंगन गौड** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने सरकार से फर्मों के पंजीकरण सम्बन्धी विधि पर तुरन्त ही पुनर्विचार करने के लिए आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) लोक सभा को प्रवर समिति, जिसे यह विधेयक सौंपा गया है, को प्रस्तुत किये गये, करारोपण कानून (संशोधन) विधेयक 1969 के उपबन्धों पर अपने ज्ञापन में संघ ने विधेयक के खंड 43 पर, जिसमें फर्मों के 'पंजीकरण' के लिये वर्तमान प्रक्रिया के स्थान पर, आय कर के निर्धारण के उद्देश्य से, साझेदारी फर्मों के 'पंजीकरण' के लिये एक नवीन प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव है, प्रतिकूल टिप्पणियाँ व्यक्त की है । लोक सभा को प्रवर समिति ने, अभी विधेयक पर खंड अनुसार विचार करना प्रारम्भ नहीं किया है । यह नहीं कहा जा सकता

कि समिति, अब तक प्राप्त अनेक आपत्तियों तथा टिप्पणियों को दृष्टिगत रखते हुये, क्या दृष्टिकोण अपनायेगी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मेसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा चुनावों के लिये कांग्रेस दल को चन्दा दिया जाना

*1120 **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री मेसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा कांग्रेस को चुनावों के लिये दिये गये चन्दे के बारे में 29 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 570 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध कांग्रेस दल को चन्दे के रूप में 23,105 रुपये की अधिक धनराशि देकर कम्पनी अधिनियम की धारा 293-ए के उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण क्या कानूनी कार्यवाही की गई है, जैसा कि लेखा परीक्षक मेसर्स पी० सी० हंसोदिया एण्ड कम्पनी ने 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुये वर्ष के अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कानूनी कार्यवाही करने में विलम्ब करने के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : **(क) तथा (ख)** : कम्पनी रजिस्ट्रार, बम्बई ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 629 क के साथ पठित, धारा 293 क (1) के अन्तर्गत, कम्पनी तथा उसके निदेशकों के विरुद्ध अतिरिक्त मुख्य महा प्रान्तीय दंडाधिकारी, बम्बई के न्यायालय में एक परिवाद प्रस्तुत किया था, जिसका परिणाम अपराधियों के लिये दंडयुक्त रहा व कम्पनी तथा इसके प्रबन्ध निदेशक प्रत्येक पर 200 रु० व 150 रु० शेष सभी अपराधी निदेशकों पर जुर्माना हुआ । पुनः कम्पनी रजिस्ट्रार, बम्बई, ने कम्पनी को लिखा है कि चूंकि इसके निदेशक मंडल का, राजनैतिक चन्दे देने का अधिकार युक्त संकल्प, पार्षद् नियमों का उल्लंघन करके पारित किया गया था, जो ऐसी किसी देन के लिये शक्ति प्रदान नहीं करते, अतः इस ग्रस्त राशि के लिये, व्यक्तिगत रूप से निदेशक ही कम्पनी को वापिस करने के जिम्मेदार है । 'तदनुसार उसने कम्पनी को ग्रस्त राशि के, सम्बन्धित निदेशकों से वापिस लेने के पग उठाने का परामर्श दिया है । अब, यह कम्पनी का काम है कि वह कम्पनी अधिनियम की धारा 630 के अन्तर्गत यह रकम वसूल करे ।

भारत के औद्योगिक विकास के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र का अवसर

†1123 **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्र में इस सम्बन्ध में काफी रोष है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को वर्तमान विनियमों, नियंत्रणों तथा प्रतिबन्धों के रहते हुए

चौथी योजना में परिकल्पित देश के अग्रेतर औद्योगिक विकास के 40 प्रतिशत का भार वहन करना सम्भव नहीं होगा : और

(ख) यदि हां, तो देश के औद्योगिक विकास में वर्ष 1970 के बाद के दस वर्षों में चुनौती की स्थिति का मुकाबला करने हेतु निश्चित रूप से योगदान करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को क्या अन्य अवसर उपलब्ध करवाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : ऐसी कुछ शंका व्यक्त की गई है कि सम्भव है कि चतुर्थ योजना के अन्तर्गत परिकल्पित औद्योगिक विकास के कार्य में अपने हिस्से के भार को गैर-सरकारी क्षेत्र वहन करने के योग्य भी है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में संगठित औद्योगिक तथा खनिज क्षेत्र के लिए अनुमानतः 5,298 करोड़ रुपये का विनियोजन परिकल्पित है जिसमें से गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के लिए 2,250 करोड़ रुपये रखा जायेगा । गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया यह परिव्यय विनियोज्य संसाधनों पर आधारित है जिसकी इस अवधि के दौरान संगठित क्षेत्र में लगने की सम्भावना है । मध्यम तथा लघु उद्यमियों की तीव्र गति से अधिक बढ़ोतरी के लिए सरकार की लाइसेंस नीति तथा वित्तीय संस्थाओं की ऋण नीति फिर से निर्धारित की जा रही है । लाइसेंस देने में छट की सीमा को 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाने तथा लघु क्षेत्र के लिए कई वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित कर देने से देश के अनेक भागों में उद्योगों की बड़ी संख्या में स्थापना हो सकेगी । सरकार ऐसी कोई विशेष कठिनाई नहीं देखती कि गैर-सरकारी क्षेत्र विशेष प्रयत्न करने पर औद्योगिक लक्ष्यों में अपने योगदान का भार वहन नहीं कर सकेगी ।

औद्योगिक विकास के भूतपूर्व सचिव की औद्योगिक लागत तथा मूल्य व्यूरो के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति

†1124 **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित औद्योगिक लागत तथा मूल्य व्यूरों के विभागध्यक्ष के रूप में औद्योगिक विकास मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव की पुनः नियुक्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वैदेशिक व्यापार मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार आयोग को सिफारिशों को ध्यान में रखकर मूल प्रस्ताव पर आपत्ति की थी;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) सभी सम्बन्ध मंत्रालयों से परामर्श किया गया था और अन्तिम निर्णय उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए किया गया था ।

(ग) ब्यूरो सरकार का ही अंश है जिसके लिए विस्तृत विचारार्थ विषयों के निरूपण की आवश्यकता नहीं । तथापि ब्यूरो के उद्देश्य तथा कार्य, ब्यूरो की स्थापना करने वाले सरकार के संकल्प में दिए गए हैं जिसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए एल० टी०** 3250-70]

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयात स्थानापन्न के रूप में लघु उद्योगों द्वारा विदेशी मुद्रा की बचत

†1125 **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री वाल्मीकि चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योगों ने वर्ष 1969 में आयात स्थानापन्न के रूप में 10 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत कराई है; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1970 में लघु उद्योगों के इस योगदान से कितनी विदेशी मुद्रा बचाने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) अनुमानित है कि 1969 में लघु उद्योगों के प्रयासों से आयात प्रति स्थापन्न द्वारा 5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई थी ।

(ख) लगभग 7 करोड़ रुपये तक की सम्भावना है ।

बोकारो इस्पात कारखाने की निर्माण लागत में वृद्धि

*1126 **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में बिलम्ब होने से इसकी निर्माण लागत में काफी वृद्धि हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपकरण शीघ्रता से सप्लाई करने के लिए कहने की अपेक्षा प्रबन्धकों ने रूस से इनकी सप्लाई में विलम्ब करने के लिए कहा था;

(ग) यदि हां, तो व्यय के कितना बढ़ जाने की तथा कारखाने के चालू होने में कितना विलम्ब होने की सम्भावना है; और

(घ) उपकरणों की सप्लाई विलम्ब से प्राप्त करने सम्बन्धी निर्णय करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :

(क) और (ग) : जी, नहीं। कारखाने के चालू होने में देरी के परिणामस्वरूप प्रशासन और अन्य ऊपरी खर्चों में लगभग 25 लाख रुपये प्रति मास की वृद्धि होने का अनुमान है।

(ख) निर्माण-कार्यक्रम के स्थगन से बोकारो स्टील लि० के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे सोवियत संगठनों को कुछ विद्युत, यांत्रिक और प्रौद्योगिक उपकरणों की सप्लाई में 12 महीने का विलम्ब करने के लिये कहें क्योंकि कार्यस्थल पर इन उपकरणों को लगाये जाने से पूर्व लम्बे समय तक ठीक ढंग से रखने में कठिनाई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Manufacture of Tractors and Power-Tillers

*1127. **Shri Maharaj Singh Bharti :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the types of tractors and power-tillers of less than 20 horse-power being manufactured in the country at present without collaboration with any well-known foreign firm or without getting them tested from the Budni Tractor Testing Station ; and

(b) the steps being taken by Government to ensure that the present buyers of these types of equipment are not put to a disadvantage in the event of their going out of order or going out of production in future ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) One party who had been manufacturing Power tillers with a kerosene engine with foreign collaboration has recently developed a diesel engine version of the same tiller without any collaboration. This party has been asked to send prototypes of its products for tests at the Tractor Testing Station, Budni, before taking up regular manufacture.

The Mining and Allied Machinery Corporation, a Public Sector undertaking and the Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur, have jointly developed an indigenous tractor of 20 HP. Prototypes of this tractor were tested at Budni, Pantnagar and Ludhiana. A number of defects have been noticed and the CMERI and the MAMC have been asked to continue their efforts in improving the design with a view to evolving a model which would be suitable for commercial production.

Another party had claimed that it had designed a tractor of 8 HP without foreign collaboration and indicated its intention to take up regular manufacture. The party was asked to demonstrate a prototype of the tractor before technical officers of this Ministry, but so far there has been no response.

(b) Wherever such indigenous manufacture is established, components and spare parts would be available under the after-sale service facilities which a manufacturer is required to provide to customers.

बौम्बे आक्सीजन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित नये पारिश्रमिक तथा परिलब्धियां

*1128 **श्री मधुलिमये** : **क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को बौम्बे आक्सीजन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित नये पारिश्रमिक और परिलब्धियों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या उक्त पारिश्रमिक आदि की राशि मैनेजिंग एजेंसी समाप्त करने से पूर्व मैनेजिंग एजेन्टों को दिये जाने वाले मैनेजिंग एजेन्सी कमीशन से अधिक है;

(ग) क्या यह सच है कि मतदान के दौरान भारत का यूनिट ट्रस्ट तटस्थ रहा जब कि कुछ अंशधारियों ने उक्त प्रस्ताव का विरोध किया था; और

(घ) क्या समवाय कार्य विभाग ने उक्त प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है; और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी ने अपनी दिनांक 19 फरवरी, 1970 को हुई, असामान्य साधारण बैठक में, संकल्प किया कि केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की शर्त पर श्री श्याम मदन मोदन रुइया को, 7,500 रु० प्र० मा० वेतन, व प्रत्येक आर्थिक वर्ष के लिये, शुद्ध लाभ पर 1% कमीशन तथा कुछ परिलब्धियों पर, कम्पनी के प्रबन्धक निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाय। देने वाला कुल पारिश्रमिक, 1·35 लाख रुपये प्रति वर्ष की सीमा के आधार पर है। कम्पनी ने, 4-4-1970 से पाँच वर्ष की अवधि के लिये, कथित नियुक्ति के लिये कम्पनी विधि बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है । कम्पनी ने, प्रबन्ध निदेशक को दिये जाने वाले इस पारिश्रमिक तथा परिलब्धियों के संरक्षार्थ, किसी विशिष्ट वर्ष में, लाभ न होने तथा अपर्याप्त लाभ होने की दशा में, इसे न्यूनतम पारिश्रमिक के रूप में दिये जाने के लिये भी प्रार्थना-पत्र दिया है ।

(ख) प्रबन्ध निदेशक को प्रस्तावित पारिश्रमिक, भूतपूर्व प्रबन्ध अभिकर्ताओं को दिये गये कमीशन, जो, 1966 व 1967 के वर्षों में से प्रत्येक में, 45,000 रु० तथा 1968 के वर्ष में, 75,631 रु० था, से अधिक है ।

(ग) हां, श्रीमान् । तथापि, यूनिट ट्रस्ट जो कम्पनी के लगभग 1 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी का मालिक है, द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के आधार पर, कम्पनी ने एक वैतनिक अध्यक्ष को नियुक्त तथा निदेशकों को गारन्टी कमीशन देने का प्रस्ताव वापिस ले लिया है ।

(घ) कम्पनी के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों के उत्पादन में कमी

*1129. **श्री सूरज भान** : **श्री शारदा नन्द** :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में उद्योगों के उत्पादन में अनुपात गिरावट आई है;

(ख) पश्चिम बङ्गाल में संयुक्त मोर्चे के शासन काल में कितने नये उद्योग स्थापित किये गये; और

(ग) राज्य में औद्योगिक शान्ति सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) एक विवरण जिसमें पश्चिमी बङ्गाल के कुछ चुने हुए उद्योगों का 1968-69 का उत्पादन दिखाया गया है सभा पटल पर रखा जाता है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए एल० टी० 3251-70]**

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) ऐसे मामलों से मुख्यतः राज्य सरकार सम्बद्ध है ।

Earnings from Passengers of Class III, Class I and Air-Conditioned Coaches and Provision of amenities

*1130. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the revenue earned by the Railways from the passengers travelling in IIIrd Class, Ist Class and in Air-conditioned coaches, separately, in 1969 ;

(b) the amount spent for providing amenities to the said classes, separately, in that year ;

(c) whether Government are satisfied with the amenities provided to the IIIrd Class passengers ; and

(d) if not, the additional amenities likely to be provided by Government in future ?

The Minister for Railways (Shri Nanda) ; (a) Passenger earnings during 1968-69 on Indian Government Railways were as under :—

	(Rs. in lakhs)
Air-conditioned	2,28
I Class	19,43
Air-conditioned chaircars.	1,03
III Class (excluding air-conditioned Chair cars)	2,34,25

(b) Passenger amenities are provided on the basis of traffic requirements at each station and not on the basis of earnings from the passengers travelling in each class. It has been the endeavour of Railways to provide as many amenities as possible to all classes of passengers in general and third class passengers in particular.

(c) and (d) The facilities provided at all stations are reviewed from year to year by the railway administration. Additional facilities considered necessary are decided upon and the works included in the Annual Works Programme in consultation with the Railway Users Amenities Committee.

Vivian Bose Commission's Report on Dalmia Jain Airways.

*1131. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cases of twenty-four persons held guilty of embezzlement of Rs. 3.5 crores in the Dalmia Jain Airways by the Vivian Bose Commission are pending in the court of District Magistrate, Delhi since 1964; and

(b) if so, the reasons for the said delay and the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) On 5-5-64 the CBI filed a charge sheet in the Court of the District Magistrate, Delhi against 24 persons who had in furtherance of an alleged criminal conspiracy committed alleged criminal breach of trust of the funds of Dalmia Jain Airways Ltd. amounting to Rs. 3.5 crores. Proceedings for committal of the case to the court of Session were started in the Court of Additional District Magistrate, Delhi to whom the case was transferred by the District Magistrate. Two of the accused died during the committal proceedings, and the other twenty two were committed to the court of Session on 20-9-69 to stand their trial on the charges against them. The case is now pending in the Court of Session.

(b) Proceedings were delayed in the court of Additional District Magistrate, Delhi as the accused took more than one year to inspect the documents. They also went in revision to the Court of Session and the High Court on one issue or the other. Arguments on behelf of the prosecution had to be repeated twice due to the transfer of the Additional District Magistrate hearing the case. Every effort was made on behalf of the prosecution to expedite the proceedings, and the case has since been committed to the court of Session.

मुख्य मन्त्रियों द्वारा छोटी कार परियोजनाएं आरम्भ करने की मांग

*1132. **श्री दे० अमात** : **श्री हिम्मत सिंहका** :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में बहुत से मुख्य मन्त्रियों ने अपने-अपने राज्यों में छोटी-कार परियोजनाएं स्थापित करने की माँग की थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा यह माँग की गई है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : 21-3-1970 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में मैसूर, आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्रियों ने अपने-अपने राज्यों में छोटी कार परियोजना को स्थापित करने में रुचि का संकेत दिया था ।

(ग) अभी तक तो मूलभूत प्रश्न पर ही निर्णय किया गया है कि निकट भविष्य में छोटी कार परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए हाथ में लेना भी है। मूल प्रश्न पर निर्णय कर लिए जाने के उपरान्त ही उपयुक्त समय पर परियोजना की स्थापना के बारे में विचार किया जायेगा ।

इस्पात कारखानों द्वारा बनाई गई योजनाओं में मंत्रालयों द्वारा कथित हस्तक्षेप

*1133. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के कुछ अध्यक्षों ने सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि दोषपूर्ण योजना और इस्पात कारखानों द्वारा योजनाओं के निर्माण में मंत्रालय द्वारा अत्याधिक हस्तक्षेप किये जाने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य में रुकावट/बाधाएँ पड़ रही है ;

(ख) क्या इस्पात कारखानों द्वारा बनाई गई योजनाओं की जाँच-पड़ताल उनके मंत्रालय द्वारा और वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है;

(ग) क्या इस्पात कारखानों द्वारा तैयार की गई योजनाओं में कटौती करने से पूर्व किसी विशेषज्ञ की राय ली जाती है;

(ग) यह तकनीकी विशेषज्ञ राय कौन देता है और उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित आलोचनाओं के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) मंत्रालय को ऐसे किसी वक्तव्य की जानकारी नहीं है ।

(ख), (ग) और (घ) : एक करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत व्यय के लिए मंत्रालय की मंजूरी आवश्यक है । मंजूरी देने से पूर्व इस्पात कारखानों के तकनीकी विशेषज्ञों; लोक-उद्यम ब्यूरो तथा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के साथ विचार-विनिमय किया जाता है ।

मेसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड में इस्पात में चादरों का आवंटन

*1134. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री तेल के ढोल बनाने वाले एक्कों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता के बारे में ३ मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 208 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1964 में सब एक्कों की अनुमानित क्षमता निर्धारित किये जाने से पूर्व जब कि सरकार अन्य निर्माताओं को उनकी शत प्रतिशत लाइसेंस प्राप्त क्षमता पर इस्पात की चादरों का आवंटन करती थी तो क्या मेसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को भी उसकी शत-प्रतिशत लाइसेंस प्राप्त क्षमता के आधार पर इस्पात की चादरों का आवंटन किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) क्या सरकार यह बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेगी कि वर्ष 1964 से पहले इस उद्योग के सब एककों की अनुमानित क्षमता निर्धारित करते समय जितनी कार्य-कुशलता को ध्यान में रखा गया था वह कितने प्रतिशत थी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : तेल के ढोल निर्माताओं को कच्चे माल का आवन्टन सर्वदा एक पाली की आंकी गयी क्षमता के आधार पर किया गया है । इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की

85 वीं रिपोर्ट जो लोक सभा को 30 अप्रैल, 1969 को प्रस्तुत की गई थी के पृष्ठ 54 से 56 की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

(ग) मेसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी बम्बई को छोड़कर सभी मामलों में 75 प्रतिशत कौशल को माना गया था जबकि मेसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के मामले में सितम्बर 1953 में 66।२।3 प्रतिशत लागू की गई थी और कलकत्ता में इसी कम्पनी पर दिसम्बर, 1963 में 66।2।3 प्रतिशत तथा स्टेन्डर्ड ड्रम एन्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी पर नवम्बर, 1961 में 63 प्रतिशत लागू किया गया था ।

भ्रष्ट अधिकारियों से निपटने की व्यवस्था

*1135. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्ट अधिकारियों के साथ कठोरता से निबटने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) वर्ष 1969-70 में भ्रष्टाचार के अभियोग में सभी श्रेणियों के कितने अधिकारियों को दंडित किया गया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) महोदय, सरकार की नीति है कि भ्रष्टाचार के सिद्ध मामलों में निवारक दन्ड दिये जायें ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया : देलिए एल० टी० 3252-70]**

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Cycle Industry

*1136. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Industrial Developments Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Cycle industry in India is facing numerous difficulties, as reported in the Hindi Daily 'Aj' dated the 23rd January, 1970 ; and

(b) if so, the datails of those difficulties and the manner in which Government propose to solve them ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) & (b) : The Cycle Industry has been facing difficulties in obtaining certain raw materials such as forging quality steel, free cutting steel, hot and cold rolled strips and sheets, etc., the import of which was either banned or restricted. The import policy has since been liberalised to ease the situation.

विदेशी तकनीकी जानकारी का उपयोग करना

*1137. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तकनीकी जानकारी का उपयोग करने की शर्तों को अन्तिम रूप देने के बारे में कोई व्यवस्था बनाई हुई है ;

(ख) क्या कार्यकरण सम्बन्धी कोई प्रतिमान निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या गारन्टी के अनुसार काम न होने पर कोई जुर्माना लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो गारन्टी के अनुसार काम न होने पर कितने मामलों में कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस देश में काम करने वाले उपक्रमों द्वारा विदेशी सार्थ समूहों और कम्पनियों से विदेशी तकनीकी जानकारी प्राप्त की जाती है और जानकारी प्राप्त करने सम्बन्धी शर्तों और नियमों के बारे में उक्त उपक्रमों द्वारा अपने विदेशी सहयोग कर्त्ताओं से आरम्भ में पत्र व्यहवार किया जाता है । इसके बाद विदेशी सहयोग प्राप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया जाता है और उक्त प्रस्तावित करार पर सरकार की अनुभवि प्राप्त करने से पूर्व वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् जैसी तकनीकी प्राधिकारियों और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा भी उक्त प्रस्ताव की सावधानी से जाँच की जाती है ।

(ख) और (ग) चूंकि विदेशी करार के बारे में पहले भारत में काम करने वाली कम्पनियों द्वारा, जिन्हें इस सम्बन्ध में आवश्यक भुगतान करना होता है, की जाती है, अतः भारतीय कम्पनियों की यह जिम्मेवारी हो जाती है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि प्राप्त की गई विदेशी तकनीकी जानकारी गुणकारी और सन्तोष जनक है । बहुत से मामलों में उक्त जानकारी या तो विदेशों में वर्तमान निर्माताओं से प्राप्त की जाती है या उन फर्मों से प्राप्त की जाती है जिन्हें बहुत प्रसिद्धता प्राप्त है । सरकार के तकनीकी अधिकारी भी अपनी सन्तुष्टि के लिये और विशेषकर इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों की जाँच करते हैं कि क्या उक्त निर्माण योजना तकनीकी दृष्टि से सफल होगी और क्या वह भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के उपयुक्त होगी । भारतीय फर्मों और विदेशी सहयोग कर्त्ताओं के अधिकारों और दायित्वों का ब्योरा, सहयोग करार में दिया गया है और उसी के आधार पर दोनों पक्षों की जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है । किसी भी पक्ष द्वारा प्रभावशाली ढङ्ग से जिम्मेवारी निभाने के बारे में विवाद होने पर करार में मध्यस्था या अन्य संवैधानिक उपचारात्मक उपायों की व्यवस्था है ।

(घ) चूंकि उक्त मामलों में संविद करार दो फर्मों के बीच होता है अतः विशेष जानकारी न देने के मामले में सम्बद्ध फर्मों द्वारा ही कार्यवाही की जा सकती है और सरकार द्वारा सीधी कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

मेसर्स स्टैंडर्ड एन्ड बैरल मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा ढोल निर्माण कारखाने को सेवरी से हटा कर ट्राम्बे ले जाना

* 1138. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री मेसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा ढोल निर्माण

कारखाने को सेवरी से हटा कर ट्राम्बे ले जाने के बारे में 10 मार्च, 1970 के तारांक्ति प्रश्न संख्या 333 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी सेवरी में जून 1959 तक तेल के "ढोल" कैसे बनाती रही थी, जब कि इसने तेल के "ढोल" बनाने वाले कारखाने को सेवरी से हटा कर ट्राम्बे स्थानांतरित करके, इसे तारकोल के ढोल बनाने के लिये बदल कर, जिसकी पुष्टि स्टैंडर्ड वैक्यूम रिफाइनरी कम्पनी द्वारा की गई है, तारकोल के ढोल इन्हें मई, 1959 में देने आरम्भ कर दिये थे ;

(ख) क्या इससे यह पता चलता है कि ट्राम्बे में तारकोल के ड्रम बनाने के लिये इस कारखाने को परिवर्तित करने के पश्चात् उन्होंने ट्राम्बे में तेल के ढोल बनाने के लिये नयी क्षमता स्थापित की थी और सरकार ने 1961 में 6100 टन वार्षिक क्षमता को मान्यता दी थी ;

(ग) जब स्टैंडर्ड वैक्यूम रिफाइनरी कम्पनी के लिये तारकोल के ढोल बनाने वाला कारखाना फालतू था, उन्होंने तेल बनाने के अपने चालू कारखाने को सेवरी से ट्राम्बे स्थानांतरित क्यों किया था ; और

(घ) क्या सरकार ने स्टैंडर्ड वैक्यूम रिफाइनरी कम्पनी तथा लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के बीच हुये पत्र-व्यवहार के तथ्यों का इस बीच पता क्या लिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : जैसा कि 10 मार्च, 1970 को तारांक्ति प्रश्न संख्या 333 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है कि ट्राम्बे में बिटुमन ड्रमों का उत्पादन खरीदी गई अतिरिक्त मशीनों से किया गया था न कि तेल बैरल के संयंत्र को बदल कर जिसे सियोरी से ट्राम्बे को जुलाई 1959 में तेल के बैरल बनाने के लिये स्थानान्तरित किया गया था। इन परिस्थितियों में ट्राम्बे में तेल के बैरलों की नयी क्षमता की स्थापना का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) पत्राचार के बारे में प्राप्त जानकारी अपूर्ण है अतः सभी तथ्यों को सुनिश्चित किया जा रहा है।

मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली की समाप्ति के पश्चात प्रबन्ध निदेशकों द्वारा संस्थाओं और एजेंटों की नियुक्ति

*1139. **श्री रवि राय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि प्रबन्ध एजेंसी पद्धति के धीरे-धीरे समाप्त किये जाने से प्रबन्ध निदेशकों में प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अथवा अपने परिवार के अन्य सदस्यों के माध्यम से अपनी रुचि वाले संगठनों और एजेंटों को नियुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) तथा (ख) : ऐसे कुछ विषय हैं, जहाँ प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की प्रावधि

समाप्त होने पर, प्रबन्धित कम्पनियों ने, भूतपूर्व प्रबन्ध अभिकर्ताओं को रजिस्ट्रार/सेक्रेटरी/सलाहकार अभिकर्ता/परामर्शदात्रा अभिकर्ताओं आदि के पदों पर नियुक्त किया है। वर्तमान में ऐसी नियुक्तियों के लिये, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होती। तथापि, इस प्रवृत्ति पर कड़ी दृष्टि रक्खी जा रही है व कम्पनी अधिनियम में इन मामलों पर कार्यवाही करने तथा व्यवस्थाओं के लिये उपबन्ध जोड़ने की वांछनीयता, विचाराधीन है।

कांग्रेस पार्टी के प्रतीक के बारे में अर्धन्यायिक जांच के लिये विवाद्यक

*1140. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दो विरोधी कांग्रेस पार्टियों के बीच पार्टी प्रतीक सम्बन्धी विवाद में की जा रही अर्धन्यायिक जांच में कोई विवाद्यक तैयार किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रश्न में जानकारी ऐसे मामले में मांगी गई है जो निर्वाचन आयोग के सामने लम्बित है और न्यायिक-कल्प प्रकृति का है। अतः इस पर लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम का नियम 41 (2) (xxii) लागू है।

20 अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टरों का निर्माण और वितरण

6851. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सस्ते और 20 अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टर बनाने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो 1969-70 का उत्पादन लक्ष्य क्या था और वास्तव में कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) 1970-71 का लक्ष्य क्या है ;

(घ) एक ट्रैक्टर की कीमत क्या है और

(ङ) ट्रैक्टरों के वितरण का आधार क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकारी क्षेत्र के एक विद्यमान उपक्रम जिसमें निर्माण क्षमता फालतू है में 20 अश्व शक्ति के ट्रैक्टर बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) तथा (ग) : 1969-70 तथा 1970-71 के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं क्योंकि परियोजना अभी विचार की अवस्था में है।

(घ) तथा (ङ) : ट्रैक्टरों की लागत या वितरण के आधार का विवरण अभी तय किया जाना है।

परियोजनाओं के लिये मशीनों का आयात

6852. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं के लिये आयात की गई अत्याधिक मंहगी मशीने देश में बेकार पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन मशीनों का ब्यौरा और परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा मशीनों के इस्तेमाल न करने के क्या कारण है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

हिन्दुस्तान मशीन टल्स में इटली के सहयोग से छपाई की मशीनों का निर्माण

6853. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितने मूल्य की छपाई की मशीनें जिनमें स्वाचालित लेटर प्रेस, आफसेट प्रासेस, कागज काटने की मशीने, रंगीन छपाई तथा राटरी मशीने शामिल हैं; आयात की गई और वे किन-किन देशों से आयात की गई ;

(ख) क्या यह सच है कि इटली के मेसर्स सोसाइटा नेबियोलों ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के सहयोग से सभी प्रकार की छपाई की मशीनों का निर्माण का प्रस्ताव पेश किया है; और यदि हां तो उसकी बातें क्या है ;

(ग) यह प्रस्ताव कितने समय तक मन्त्रालय के विचाराधीन रहेगा और इसे कब अन्तिम रूप दिया जायेगा और

(घ) क्या कोई अन्य विदेशी प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क)

वर्ष	विभिन्न प्रकार की मुद्रण मशीनों का आयात मूल्य (लाख रु० में)
1966-67	437.06
1967-68	485.50
1968-69	568.56
1969-70	511.55

(अप्रैल, 1969 से दिसम्बर, 1970 तक)

आयात किये जाने वाले देशों के नाम हैं, अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी का संघीय गणराज्य, स्विटिजरलैण्ड, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, जापान, सोवियत रूस, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी तथा जर्मनी का लोकतन्त्रात्मक गणराज्य ।

(ख) और (ग) : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० बङ्गलौर ने इटली के मे० नेबिओसो के तकनीकी सहयोग से विविध प्रकार की छपाई की मशीनों जिनमें स्वचालित लेटर प्रेस, आफसेट प्रेसेज तथा कागज काटने की मशीनें शामिल हैं, के निर्माण करने की एक योजना सरकार को प्रस्तुत की है । इस योजना पर अभी विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही इस पर निर्णय किये जाने की आशा है ।

(घ) औद्योगिक तथा विनियोजन निगम, महाराष्ट्र ने ब्रिटेन के मे० लिनोटाइप एण्ड मशीनरी लि० के सहयोग से आफसेट प्रेसेज का निर्माण करने के बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है । मे० भारत फिट्ज बर्नर (प्रा०) लि०, बङ्गलौर ने पश्चिम जर्मनी के मे० मशीनेन फैबिक्र जोहांसबर्ग एम० बी० एच० के वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग से स्वचालित लेटर प्रेस छपाई की मशीनें, मोड़ने तथा काटने की मशीनों, विशेष सहायक सामान तथा फालतू हिस्सों को बङ्गलौर में विद्यमान अपने पियना उपक्रम में निर्माण करने की एक योजना प्रस्तुत की थी । लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये कि इस योजना के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली वस्तुएं हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० बङ्गलौर के उत्पादन कार्यक्रम में सम्मिलित की गई थी, प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया था ।

औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो का कार्य

6854. **श्री बाबू राव पटेल** . क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो किस कार्य तथा प्रायोजनार्थ स्थापित किया गया है और इस ब्यूरो के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के नाम, अर्हताएं, वेतन तथा उपलब्धियां क्या है ;

(ख) किन-किन उद्योगों की जांच की जायेगी और जांच के लिये उद्योगों के चयन की कसौटी क्या होगी ;

(ग) क्या ब्यूरो की सिफारिशें केवल सुझाव मान्न होंगी या उन्हें लागू करना अनिवार्य होगा ; और

(घ) यदि वे केवल सुझाव मान्न होंगे तो उस ब्यूरो की स्थापना करने का वास्तव में क्या फायदा है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

(ग) ब्यूरो की सिफारिशें सुझाव के रूप में होंगी ।

(घ) उद्योगों के लागत पक्ष तथा औद्योगिक एककों की कार्य क्षमता के गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है और ब्यूरो लागत खर्च कम करने तथा औद्योगिक कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिये नीति निर्धारण में सरकार को सहायता करेगा ।

दिनांक 21 अप्रैल, 1970 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतरांक्ति प्रश्न सं० 6854 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

ब्यूरो के गठन से सम्बन्धित संकल्प की एक प्रति जिसमें ब्यूरो के कार्य क्लाप की विशद रूपरेखा दी गई है, संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल० टी० 3253-70]

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय के भूतपूर्व सचिव श्री एन० एन० वाचूं को पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिनका समग्र वेतन (पेन्शन सम्बन्धी अन्य लाभों सहित), प्रति मास 4,000 रु० होगा ।

ब्यूरो के अन्य सदस्यों के बारे में तत्काल तो यह निर्णय किया गया है कि 2500-2750 रु० वेतन पर दो पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे । अभी इन पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं । साथ ही, तकनीकी विकास का महानिदेशक तथा आर्थिक सलाहकार, औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय और विदेशी व्यापार मन्त्रालय ब्यूरो के पदेन सदस्य होंगे ।

बाइसिकलों का निर्यात

6855. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 और 1969 में प्रति वर्ष कुल कितनी तथा कितने मूल्य की बाइसिकलों का निर्यात किया गया और उनका किन-किन देशों को निर्यात किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि बाइसिकल के पुर्जे का निर्माण करने के काम में आने वाले सामान जैसे इस्पात, स्ट्रिप, बार, ट्यूब और तार की बड़ी कमी है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और

(घ) बाइसिकलों तथा उनके पुर्जों के निर्यात को बराबर जारी रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

(ङ) यदि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) 1968 तथा 1969 में साइकिलों का निर्यात निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	कुल संख्या	मूल्य रु०	देय
अप्रैल 1968 से मार्च 1969 तक	1,17,267	1,38,79,061	ईरान, ईराक, कन्या, यू० के० यू० एस० ए०, सूडान, अफगानिस्तान
अप्रैल 1969 से दिसम्बर 1970 तक	1,03,799	1,19,41,119	इन्डोनेशिया, सिंगापुर, नाइजीरिया तथा जेम्बिया

(ख) तथा (ग) : मन्दी का दौर जो कि गत वर्ष से समाप्त होता प्रारम्भ हुआ, की समाप्ति के साथ साथ इंजीनियरी तथा निर्माण उद्योगों की ओर से इस्पात के उत्पादों जैसे छड़ों, टुकड़ों तथा नलकियों की घरेलू मांग में एकदम वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप उपलब्ध सम्भरण पर और अधिक दबाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त इस्पात के विभिन्न प्रकार के उत्पादों का आन्तरिक उत्पादन देश की बढ़ती हुई मांग के अनुसार नहीं बढ़ी है।

(घ) तथा (ङ) : सरकार ने पहले ही यह निश्चय कर लिया है कि इंजीनियरी निर्यात जिसमें बाइसिकल भी सम्मिलित हैं, कि वृद्धि में इस्पात की आन्तरिक कमी को इसकी वृद्धि दर में बाधक नहीं बनने दिया जायेगा। इसी निर्णय का अनुसरण करते हुये 35,000 मी० टन इस्पाती प्लेटों, चादरों तथा छड़ों का हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के माध्यम से आयात किया जा रहा है ताकि उसका सम्भरण निर्यात की जाने वाली इंजीनियरी वस्तुओं के निर्माताओं जिनमें साइकिल निर्माता भी सम्मिलित हैं, को निर्यात प्रयोजनों के लिये सम्भरित किया जाये और आन्तरिक सम्भरण की अनुपूर्ति की जाये। इसके अतिरिक्त 1970-71 में इस प्रकार के आयात पर विचार किया जा रहा है।

रेलवे बुक स्टाल पर सर्वोदय साहित्य की बिक्री

6856. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लगभग सभी रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न प्रकार का साहित्य बेचने के लिये बुक स्टाल हैं, यदि हां तो रेलवे स्टेशन पर बुक स्टाल स्थापित करने के लिये किस प्रकार अनुमति लेने होती है और क्या सरकार उपयुक्ति स्टालों पर बेचे जाने वाले साहित्य का समय समय पर निरीक्षण करती है ;

(ख) क्या नई दिल्ली तथा दिल्ली मेन स्टेशनों की तरह अन्य स्टेशनों पर भी सर्वोदय साहित्य की बिक्री के लिये स्टाल स्थापित किये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार सर्वोदय साहित्य की बिक्री के लिये स्टाल स्थापित करने हेतु कुछ विशेष रियायतें देगी जिससे गांधी विचारधारा के प्रचार के लिये उच्चकोटि का साहित्य उपलब्ध किया जा सके और इस प्रकार लोग अधिष्ट साहित्य को पढ़ना बन्द कर देंगे ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) भारतीय रेलों में महत्वपूर्ण स्टेशनों पर विभिन्न प्रकार के साहित्य बेचने के लिये बुक-स्टालों की व्यवस्था की गई है।

बुक-स्टालों का ठेका देने के सम्बन्ध में सामान्य नीति यह रही है कि आवेदन-पत्र मांगने के बाद ऐसे ठेके उन फर्मों को दिये जाते हैं जो पहले से ही किताब बेचने का व्यवसाय कर रहे हों। बड़े स्टेशनों पर ये ठेके सुप्रसिद्ध पुस्तक विक्रेताओं को दिये जाते हैं ताकि यात्री-जनता को किताबों और पत्रिकाओं का अच्छा भंडार बिक्री के लिये हर समय उपलब्ध रहे। छोटे स्टेशनों पर ये ठेके यथासम्भव स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं को दिये जाते हैं।

ठेकेदारों को बुक-स्टाल देते समय रायल्टी के रूप में उनसे समुचित लाइसेंस फीस वसूल की जाती है। छोटे स्टेशनों पर बुक स्टालों के मामले में रायल्टी के आधार पर लाइसेंस

फीस के बदले एक मुश्त वार्षिक लाइसेंस फीस ली जाती है। ठेकेदारों द्वारा बिक्री के लिये रखी गई पुस्तकों आदि का स्तर देखने और अवांछनीय पुस्तकों को छांटने के सम्बन्ध में निरीक्षण अधिकारियों द्वारा स्टेशनों पर बुक-स्टालों का बार-बार निरीक्षण किया जाता है।

(ख) नयी दिल्ली और दिल्ली स्टेशनों के अलावा 20 अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी सर्वोदय बुक-स्टालों की व्यवस्था की गई है।

(ग) 36 स्टेशनों पर सर्वोदय साहित्य की बिक्री के हेतु बुक-स्टाल खोलने के लिये सर्वोदय संस्थाओं को अनुमति दी गई है लेकिन अभी तक केवल 22 स्टेशनों पर ही ऐसे बुक-स्टाल खोले गये हैं।

Child Marriages in India

*6857. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that lakhs of child marriages take place in India every year inspite of the Child Marriage Act ; and

(b) if so, the steps taken by Government to check child marriages in India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and the Department of social welfare (Shri Mohd. Yunus Saleem) : (a) The Government have no authentic information in the matter.

(b) Does not arise.

समय सारणी में आमूल परिवर्तन

6858. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे की समय सारणी पुरानी हो गई है और इसको जनता की कि सुविधा को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष रेलवे समय सारिणी में केवल मौखिक तथा बहुत कम परिवर्तन किये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे प्रशासन का विचार पूरी की पूरी समय सारणी को बदलने (ओवरहाल) के लिये एक समिति नियुक्त करने का है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। नयी गाड़ियां चलाने, वर्तमान गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाने, गाड़ियों के समय में परिवर्तन आदि के फलस्वरूप समय सारणियों में कई परिवर्तन किये जाते हैं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

रेलवे मंत्री द्वारा स्टेशनों का दौरा और तीसरे दर्जे में यात्रा

6859. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने जब तक किन किन स्टेशनों का दौरा किया है ;

(ख) अब तक किन किन गाड़ियों में उन्होंने तीसरे दर्जे के डिब्बों में यात्रा की है ;

(ग) उन्होंने अपने दौरे के समय इन स्थानों की सफाई कैसी पाई है; और

(घ) क्या उनके अपने अनुभव के आधार पर सभी रेलवे लाइनों पर सार्वजनिक हित में कार्य करवाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) गाजियाबाद, मारीपत, दिल्ली जंक्शन, बम्बई वी० टी०, कल्याण, ठाणा, वाडी बन्दर, दादर, चर्चगेट दमदम, सियालदह मेन, सियालदह साउथ और हवड़ा स्टेशन ।

(ख) 1 अप कालका मेल; बम्बई वी० टी० से कल्याण तक 21 डाउन कल्याण लोकल में ; के-26 अप कल्याण-बम्बई उपनगरीय लोकल; ए-16 अम्बरनाथ-बम्बई उपनगरीय लोकल ; पश्चिम रेलवे की कुछ लोकल गाड़ियाँ और दम दम से सियालदह मेन स्टेशन जाने वाली बी-4 डाउन बैरकपुर लोकल ।

(ग) इन निरीक्षणों के दौरान सफाई की जो स्थिति पायी गयी उसका ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए एल० टी० 3254-70]

(घ) विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण और निरीक्षण-कार्य को कड़ा करने के अलावा, मैंने व्यावहारिक कार्रवाई का एक 11-सूत्रीय अनन्तिम कार्यक्रम बनाया है, जिसकी घोषणा मैंने 12 मार्च, 1970 को राज्य सभा में की थी । इस कार्यक्रम की एक प्रति संलग्न है । इस कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने और कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये जा चुके हैं ।

गाड़ियों में पानी पिलाने वालों द्वारा कर्त्तव्य का सुचारू रूप से पालन

6860. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चलती गाड़ियों में गर्मियों में यात्रियों को पानी पिलाने वाले कर्मचारी अपने कर्त्तव्य का सुचारू रूप से पालन नहीं कर रहे हैं और पानी न पिला कर वे अपने डिब्बों में बैठे रहते हैं ;

(ख) यदि हां तो गर्मी का मौसम शुरू होन वाला है इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ; और

(ग) यात्रियों को ठंडा पानी देने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर स्थायी पानी वाले नियुक्त किये गये हैं । स्टेशनों पर होने वाले यात्री यातायात की जरूरतों के अनुसार पर्याप्त संख्या में प्याऊ, नलों, घड़ों, पानी ट्रांलियों आदि की व्यवस्था की गयी है । इन प्रबन्धों पर सावाधानी पूर्वक निगाह रखी जाती है और गर्मी के मौसम में अस्थायी पानी वाले नियुक्त करके इन प्रबन्धों में और वृद्धि की जाती है ।

पहले दर्जे के कुछ गलियारेदार सवारी डिब्बों और तीसरे दर्जे के शायिकाओं वाले डिब्बों में बर्तनों में पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था भी की जा रही है । इस सुविधा को क्रमश: लम्बी दूरी वाली महत्वपूर्ण गाड़ियों में भी लागू करने का विचार है ।

1951 की जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों के प्रति निधित्व की व्यवस्था करने के लिए तमिलनाडु सरकार की माँग

6861 **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री उमानाथ :
श्री के० रमानी :
श्री मती सुशीला गोपालन :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि 1951 की जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के लिये संविधान में संशोधन किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस माँग के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक से अधिक संख्या में ऐसे स्थान बनाये रखने के लिए जो लोक सभा में राज्य को आबंटित हैं 1951 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या के आँकड़े सब से अधिक उपयोगी है ।

(ग) यह प्रस्थापना न तो सिद्धान्त के आधार पर और न व्यावहारिक बातों के आधार पर न्यायोचित हैं ।

पंजाब औद्योगिक विकास निगम द्वारा ट्रैक्टरों का निर्माण

6862. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री भारत में ट्रैक्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में 24 नवम्बर, 1967 के अन्तरांकित प्रश्न संख्या 1771 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब औद्योगिक विकास निगम द्वारा ट्रेक्टर निर्माण करने के प्रस्ताव की इस बीच जांच करा ली है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : 1967 में पंजाब औद्योगिक विकास निगम ने बल्गेरिया के मेसर्स एक्रो मशीन टेकनीकस्पोर्ट के सहयोग से बोल्गर (13 अश्व शक्ति) ट्रैक्टरों के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । तथापि जब ट्रैक्टर के ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्र बुंदनी परीक्षण पर पता चला कि यह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रहेगा । अतः पंजाब औद्योगिक विकास निगम ने इस नमूने के ट्रैक्टरों के निर्माण का अपना प्रस्ताव समाप्त कर दिया है ।

Nutritious Food For School Children in Age Group 0—3

6863. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in accordance with the new budget proposals, nutritious food will be made available by Government for the School children in the age group 0—3;

(b) whether this provision is proposed to be made by increasing the milk production in the country or it is proposed to import milk-powder for the purpose ; and

(c) the arrangements made by the Department of Food as also Government's policy in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (DR. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) Yes Sir. A programme of supply of nutrition to five lakh children in the age group 0—3 in tribal areas and five lakh children in slum areas of cities is being worked out.

(b) With regard to supply of milk to children the matter is under negotiation with National Dairy Development Board;

(c) The Department of Food has provided a programme of production of Balahar and low cost protein food in the Fourth Five Year Plan. The Balahar is prepared from vegetable, protein cereal grains and milk powder. The Balahar at present is being used for supply of nutition under School Feeding Programme with the help of CARE. The production is being stepped up on a continuous basis to attain a level of 50,000 tonnes by 1970-71 and about 2.5 lakh tonnes of Balahar by the end of Fourth Plan.

दिल्ली में कल्याणकारी संस्थाओं की भ्रष्ट प्रथाओं के बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच

6864. **श्री वि० नरसिम्हा राव : श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री द्वारा दिल्ली प्रशासन को भेजा गया एक पत्र जिसमें प्रशासन द्वारा चलाये गये उन विभिन्न समाज कल्याण संस्थाओं के बारे में जिन्होंने भ्रष्ट प्रथायें अपनाई हैं केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की सम्बन्धित फाईल से गुम हैं;

(ख) क्या इस मामले के बारे में कोई जाँच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह फाईल किस अधिकारी के अभिरक्षण में थी और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख), (ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

Allotment of Railway Land to a Private Firm in New Delhi

6865. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Bansh Narain Singh**

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 187 on the 25th November, 1969 regarding the allotment of Railway land to a private firm in New Delhi and state :

(a) the officer responsible for granting permission for increasing the area from 1666 sq. yards to 2743 sq. yards ;

(b) the purpose for which an agreement was executed with M/s. Oriental and Furnishing Co. (P) Ltd. in 1942-43 as also the terms and conditions there of and the grounds on which the company had set up a Coca Cola factory in contravention of the provisions of the agreement ;

(c) whether the Railway Administration is hesitating to implement the observations of the Public Accounts Committee because a prominent Cabinet Minister and his son have business connections with the said firm ; and

(d) if not, whether it is now proposed to implement the observations made by the Public Accounts Committee ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No officer is responsible as the area in question has all along been an encroachment, which to start with was 1666 sq. yds. and subsequently increased to 2743 sq. yds. by the firm.

(b) The purpose for which the agreement was executed in December 1943 was to regularise the earlier encroachment made by the firm. As per this agreement, the Railway land would be used for stacking of materials only. The factory has not been built on Railway land, and there has there fore been no contrevantion of the agreement.

(c) No.

(d) Observations made by Public Accounts Committee have been taken notes of and necessary action taken.

छोटी कार परियोजना

6866. **श्री राज देव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुचर्चित तथा विक्षापित छोटी कार योजना को कार्य-रूप देने की कब तक सम्भावना है;

(ख) क्या सरकार के कार खरीदने वालों की इस प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी है कि सरकार यह जानते हुए भी कि निर्माता प्रति वर्ष कार के कारखाना-द्वारा मूल्यों में वृद्धि करते आ रहे हैं और प्रत्येक वृद्धि के साथ ग्राहकों को अधिक घटिया माल मिल रहा है, वर्तमान कार निर्माताओं को संरक्षण दे रही है और छोटी कार बनाने के मामले को किसी न किसी बहाने से टाल रही है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में भी इस योजना को स्थान न देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : यह कहना ठीक नहीं है कि छोटी कार परियोजना को ताक पर रख दिया गया है क्योंकि सरकार वर्तमान कार निर्माताओं को संरक्षण प्रदान कर रही है। वर्तमान स्थिति यह है कि संसाधनों पर दबाव तथा यात्री कार उद्योग को अपेक्षाकृत कम महत्व देने के कारण परियोजना को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। फिर भी मामले पर विचार किया जा रहा है।

अन्न पौष्टाहार समिति की स्थापना

6867. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ के लिये प्रोटीन की किस्म तथा नमूनों के मूल्यांकन के लिये मानक तथा प्रक्रिया तैयार करने के लिये भारतीय मानक संस्था की कृषि तथा खाद्य उत्पाद डिवीजन परिषद द्वारा एक पोषाहार समिति स्थापित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो समिति अपनी सिफारिशें कब तक पेश कर देगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय समिति चार भारतीय मानक तैयार करने में लगी हुई है और इनके इस वर्ष के अन्त तक अन्तिम रूप से तैयार हो जाने की आशा है।

मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में पाये गये एक विद्यार्थी के शव का निपटान

6869. **श्री आत्म दास** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धौलपुर निवासी बी० काम० (प्रथम वर्ष) का श्री राजेन्द्र कुमार जैन नाम का एक छात्र 12 मार्च, 1970 को मध्य रेलवे में मुरेना (दबड़ा मन्डी) के प्रतीक्षालय में मृत पाया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे पुलिस ने अपने जांच कार्य की उपेक्षा की, शव को लावारिस घोषित कर दिया और उसे शव-गृह में रख दिया तथा बाद में सफाई कर्मचारियों ने उक्त छात्र का शव एक आयुर्वेदिक औषधालय को बेच दिया था; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले का पूरा ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ, यह लाश दबरा रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में 13-3-1970 को पायी गयी थी।

(ख) ग्वालियर की सरकारी रेलवे पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया और इसे जे० ए० अस्पताल, ग्वालियर को शव-परीक्षा के लिए भेज दिया। इस सम्बन्ध में सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत एक अपराध दर्ज कर लिया है। चूंकि

लाश लेने के लिए कोई नहीं आया, अतः सरकारी रेलवे पुलिस ने शव-परीक्षा हो जाने के बाद उसे दाह-क्रिया करने के लिए 14-3-70 को जे० ए० अस्पताल के मेहतर के सुपुर्द कर दिया।

(ग) ग्वालियर की सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और अभी तक उन्होंने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है।

विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्ति

6870. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो 1969-70 में छात्रवृत्ति देने के लिये कितने प्रत्याशियों का चयन किया गया;

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है तथा इन विकलांगों को सरकार अन्य क्या सुविधाएँ देने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये व्यक्तियों का चयन किस आधार पर किया जा रहा है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) जी, हाँ।

(ख) 929

(ग) (i) 1969-70 में 10.25 लाख रुपये; तथा

(ii) 1970-71 में 16.00 लाख रुपये।

शिक्षा, जिसमें विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा शामिल है, राज्य सरकारों का उत्तर-दायित्व है।

(घ) छात्रवृत्तियाँ दिए जाने के लिए चुने जाने का निम्नलिखित आधार है :—

(1) आयु : 14.30 वर्ष।

(2) **शैक्षिक अपेक्षाएं** :

(क) **शैक्षिक पाठ्यक्रम** : उच्चतर माध्यमिक/विश्वविद्यालय-पूर्व अथवा उसके बराबर की परीक्षाओं की अन्तिम तीन कक्षाओं में अध्ययन के लिए पिछली वार्षिक परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक।

(ख) **संगीत पाठ्यक्रम** : नेत्रहीन तथा अपंग उम्मीदवार—किसी विश्व विद्यालय के सम्बद्ध संस्था से कम से कम द्वितीय श्रेणी में मध्यमा अथवा उसके बराबर की परीक्षा;

(ग) **व्यवसायिक पाठ्यक्रम** : उम्मीदवार अध्ययन के पाठ्य में दाखले के लिए पात्र होना चाहिए।

(3) **आय** : उम्मीदवार के वालदेन/अभिभावकों की इकट्ठी मासिक आय 500 रुपये प्रति मास से अधिक न हो ।

(4) **मैडिकल अपेक्षाएं** :

(क) **नेत्रहीन** : नेत्रहीन व्यक्ति वे हैं जो निम्नलिखित में से किसी से पीड़ित है :—

(1) पूर्ण दृष्टिहीनता ।

(2) सुधारात्मक लेन्सिस के साथ बेहतर आँख में दृश्य एक्विटी 6/60 अथवा 20/200 (स्नेल्लेन) से अधिक न हो ।

(3) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण तक अथवा उससे कम हो ।

(ख) **वधिर** : वधिर व्यक्ति वे हैं, जिनमें सुनने की अनुभूति जीवन के साधारण प्रयोजनों के लिए काम की नहीं होती है । साधारणता 70 डेसीवेल्स अथवा उसके अधिक 500, 1000 अथवा 2000 क्रीक्यूएन्सीस पर श्रव्यहीनता शेष श्रव्यता को गैर-कार्यातम्क बना देगी ।

(ग) **अपंग** : अपंग व्यक्ति वे हैं जिनमें कोई शारीरिक कमी अथवा विकृति होती है, जिसके कारण उनकी हड्डियों, मांसपेशियों तथा जोड़ों के सामान्य कार्य में बाधा पड़ती है ।

पश्चिमी बंगाल और पंजाब में विधान परिषदों का समाप्त किया जाना

6871. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल और पंजाब ने अपनी-अपनी परिषदें समाप्त कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम स्वरूप उक्त प्रत्येक राज्य ने प्रति वर्ष कितने धन की बचत की ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जानकारी मंगायी जा रही है ।

बिहार में विधान परिषद् को समाप्त करना

6872. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में विधान परिषद् को समाप्त करने का विनिश्चय किया है और यदि हां, तो इसके कब तक समाप्त किए जाने की सम्भावना है; और

(ख) राज्य में विधान परिषद् के समाप्त होने से राज्य सरकार के लगभग कितने धन की बचत होगी ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम) : (क) बिहार राज्य की विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त हुई है जिसमें उस राज्य की विधान परिषद् को समाप्त करने की माँग की गई है और जो इस मंत्रालय को पृष्ठांकित है, किन्तु उस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार से इस निमित्त कोई औपचारिक सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) अभी यह प्रश्न नहीं उठता है।

पाँचवे वित्त आयोग का मद्य निषेध के बारे में राज्य सरकारों को सुझाव

6873. **श्री आदिचन** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्य निषेध अपनाने वाली राज्य सरकारों को पाँचवे वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि वे अपनी नीति का पुनरीक्षण करें और मद्यनिषेध केवल तभी जारी रखें जब कि उससे वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति होती है;

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव से क्या परिणाम होंगे;

(ग) इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और कुछ राज्यों ने उक्त सुझाव को ध्यान में रखते हुए मद्य निषेध समाप्त कर दिया है अथवा उसमें छूट दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो किन राज्यों ने तथा कहाँ तक ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख) : राज्यों द्वारा अतिरिक्त राजस्व जुटाए जाने की गुंजाइश के बारे में पाँचवे वित्त आयोग के अपने विचार्थ विषयों के संदर्भ में निम्नलिखित निष्कर्ष है :—

".....यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह नीति उचित कार्यान्विति के अभाव के कारण कहीं विफल न हो जाए। इसलिए, यह वांछनीय प्रतीत होता है कि जिन राज्य सरकारों ने मद्यनिषेध की नीति अपना रखी है, वे इसके कार्य पर पुनर्विलोकन करें और इसे तभी जारी रखें, यदि उससे वास्तविक प्रयोजन पूरा होता हो। आयोग का यह सुझाव सम्बन्धित राज्य सरकारों के विचारार्थ है।

(ग) तथा (घ) : उक्त सुझाव के कारण किसी राज्य द्वारा मद्यनिषेध में ढील दिए जाने अथवा उसे समाप्त किए जाने के बारे में भारत सरकार को अब तक कोई सूचना नहीं मिली है।

उपभोक्ता उद्योगों को ऋण देने वाली संस्थाएं

6874. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चतुर्थ योजना में सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उपभोगता उद्योगों को ऋण देने वाली कुछ सरकारी संस्थाओं के कार्य-क्षेत्र को बढ़ाने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वे सुझाव क्या है जिन पर सरकार विचार कर रही है; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में हस्तक्षेप करना अत्यन्त आवश्यक है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को घटाने के लिए किए गए अभ्युपायों के साथ ही औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 में निहित क्षेत्रों से बाहर भी सरकारी क्षेत्र के कार्य का पर्याप्त प्रसार करने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार सरकारी क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से अल्प अवधि में पनपने वाली परियोजनाओं को प्रारम्भ करने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है जिससे कि आने वाले कुछ वर्षों में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले बड़े उत्पादन व्यवधानों को सम्भावित सीमा तक पूरा किया जा सके। इस कार्य के लिए अपेक्षित संसाधनों को पूरा करने के बारे में, सिद्धान्त रूप से यह निश्चित किया गया है कि सरकारी वित्तीय संस्थाएँ सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाली परियोजनाओं के हेतु वित्तीय सहायता के लिए आये आवेदनों पर उन्हीं शर्तों के अनुसार विचार करने के लिए अधिकृत की जानी चाहिए जैसा कि वे गैर-सरकारी क्षेत्र से आये आवेदनों पर करती है। सरकार नहीं समझती है कि इन प्रस्तावों के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए दिए गए सामान्य अवसरों पर प्रतिबन्ध लग जाएगा।

पूर्वोत्तर रेलवे में थाना बीहपुर में उपरि-पुल

6875. **श्री रामावतार शास्त्री : श्री सीता राम केसरी :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के थाना बीहपुर स्टेशन पर उपरि-पुल स्टेशन के उत्तर में रेलवे लाइन के ऊपर तक नहीं है जिसके कारण अब तक रेलवे लाइन पार करते हुए एक दर्जन से अधिक व्यक्ति रेलगाड़ियों के नीचे आ चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या, सरकार का विचार उक्त पुल को बढ़ाकर स्टेशन के उत्तरी भाग तक ले जाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां, पिछले तीन वर्षों में थाना बीहपुर यार्ड में अनधिकृत रूप से रेलवे लाइन पार करते समय चार व्यक्ति गाड़ी से कुचले गये।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवारी गाड़ियां दक्षिण तरफ मुख्य प्लेटफार्म या द्वीप प्लेटफार्म पर खड़ी की जाती हैं जो कि यात्रियों की सुविधा के लिए एक ऊपरी पैदल पुल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, स्टेशन यार्ड के दोनों सिरों पर समपार फाटक मौजूद हैं ताकि जनता उत्तर तरफ से दक्षिण तरफ और दक्षिण तरफ से उत्तर तरफ रेलवे लाइन पार कर सके। ये सुविधाएँ पर्याप्त समझी जाती हैं।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

6876. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साधारण निर्वाचनों से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करने के बारे में नियमों के अधीन उपबंध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिये कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(घ) सरकार इस कार्य को कब तक पूरा कर लेगी ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद यूनुस, सलीम) : (क) जी नहीं । संविधान के अनुच्छेद 82 तथा 170 (3) में लोक सभा के स्थानों के आबंटन तथा राज्य विधान सभाओं में और प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन का उपबन्ध प्रत्येक जनगणना के पूरे होने पर किए जाने का है न कि प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पूर्व ।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

दानापुर (पूर्व रेलवे) में रेल कर्मचारियों को नागरिक सुविधाएं

6877. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर पूर्व रेलवे का डिवीजनल मुख्यालय है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहाँ काम करने वाले हजारों कर्मचारी खगौल नगरपालिका क्षेत्र में रहते हैं; और यदि हां, तो क्या यह सभी सच है कि उक्त नगरपालिका उनको नागरिक सुविधाएँ देती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे प्रशासन इसके बदले में नगरपालिका को एक निश्चित धन राशि देता है; यदि हां, तो वह राशि कितनी है तथा भुगतान की शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या उक्त नगरपालिका के कार्य संचालन व्यय को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उक्त राशि को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कितना बढ़ाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) यह सही है कि काफी संख्या में रेल कर्मचारी खगौल नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत रहते हैं । लेकिन, नगरपालिका की सीमा में पड़ने वाले रेलवे क्षेत्र के लिए नगरपालिका कोई सेवा प्रदान नहीं करती ।

(ग) खगौल नगरपालिका और पूर्व रेल-प्रशासन के बीच हुए एक करार के अनुसार नगरपालिका निर्धारित कर का 40 प्रतिशत नगरपालिका को दिया जाता है, 60 प्रतिशत खगौल नगरपालिका के भीतर पड़ने वाले रेलवे क्षेत्र को नागरिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए रेल प्रशासन अपने पास रखता है । इस आधार पर नगरपालिका को 1,384 रुपये त्रैमासिक दिये जाते हैं ।

(घ) और (ङ) जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, नगरपालिका, नगर सीमा के भीतर पड़ने वाले रेलवे क्षेत्र में कोई सेवा नहीं प्रदान करती । रेल प्रशासन सभी नागरिक

सेवाओं की व्यवस्था और अनुरक्षण स्वयं करता है। ऐसी स्थिति में, नगरपालिका के बढ़े हुए संचालन व्यय की प्रति पूर्ति के लिए उसे दी जाने वाली रकम में वृद्धि करने का प्रश्न नहीं उठना चाहिए।

Meeting of Experts of Heavy Engineering and Heavy Electricals

6878. **Shri N. Shivappa :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of the experts of Public Undertakings concerned with the Heavy Engineering and Heavy Electricals was held in the month of January, 1970 ; and

(b) if so, what were the subjects discussed and the decisions taken at the said meeting ?

The Deputy Minister in Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No such meeting was convened by the Ministry of Stee and Heavy Engineering.

(b) Does not arise.

जम्मू-कश्मीर में रामगढ़ तथा अन्य विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन

6879. **श्री बलराज मधोक :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य में रामगढ़ तथा कुछ अन्य विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में उप-निर्वाचन नहीं कराये गये हैं ; हालांकि राज्य विधान सभा में इन निर्वाचन-क्षेत्रों का एक साल से भी अधिक समय से कोई प्रतिनिधि नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किन तारीखों तक इन निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन पूरा हो जायेगा ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जम्मू-कश्मीर में तीन उप-निर्वाचन लंबित हैं—

क्र० सं०	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	रिक्ति की तारीख
1.	41—वेरीनाग	10-3-1969
2.	30—पामपोर	3-8-1969
3.	61—रामगढ़	22-8-1969

केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र (41—वेरीनाग) में स्थान एक वर्ष से अधिक कालावधि तक नहीं भरा गया।

(ख) वेरीनाग और पामपोर निर्वाचन क्षेत्र कश्मीर घाटी में हैं, जहाँ जलवायु के बहुत ही खराब होने के कारण मतदान केवल मई और जून या अक्तूबर और नवम्बर में ही कराया

जा सकता है। वेरीनाग सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण यद्यपि रिक्ति की प्रज्ञापना मिलते ही प्रारम्भ कर दिया गया था फिर भी बहुत भारी हिमपात तथा वर्षा, जैसी कि पहले कभी नहीं हुई थी, और इसके फलस्वरूप जनता पर आने वाली आर्थिक विपत्ति के कारण, यह उप-निर्वाचन जनवरी, 1969 में नहीं कराया जा सका जब कि आशा थी कि ऐसा हो सकेगा। अक्तूबर और नवम्बर में वेरीनाग और पामपोर निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक फसल की कटाई में लगे थे। अतः यह विनिश्चित किया गया कि इन दो निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन सर्दी निकल जाने के बाद कराए जाएं।

रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के खानाबदोश मतदाता अपने पशुधन लिये हुये भारी संख्या में घर छोड़कर बहुत दूर चरागाहों में चले जाते हैं और यदि उप-निर्वाचन इससे पहले कराये जाते तो ये मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो गये होते। तत्पश्चात् नवम्बर, 1969 में आयोग ने यह निश्चय किया कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक-नामावलियों का पुनरीक्षण अतिशीघ्र कार्यक्रम बनाकर किया जाये और ये नामावलियां जनवरी, 1970 में अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दी गई। अब यह निश्चय किया गया है कि सभी उप-निर्वाचन जून, 1970 के प्रारम्भ में करा दिये जाएं।

रेलवे क्लर्कों को प्रवर्तन कर्मचारियों जैसी सुविधाएं देना

6880. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सेवाओं में सभी वर्गों के प्रवर्तन कर्मचारियों की समय-समय पर डाक्टरी जाँच की जाती है और नियम 1018 के अनुसार दर्जा 'ए' में दृष्टि की जाँच की जाती है।

(ख) क्या यह भी सच है कि ट्रेन क्लर्कों की इस प्रकार की डाक्टरी जाँच की जाती है और उसी नियम के अनुसार दृष्टि की जाँच की जाती है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि ट्रेन क्लर्कों को वे सुविधायें नहीं दी जाती जो रेलवे के अन्य प्रवर्तन कर्मचारियों को दी जाती हैं ; और

(घ) क्या सरकार प्रवर्तन कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधायें ट्रेन क्लर्कों को भी देने का विचार कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) (क) और (ख) : लागू नियमों के अनुसार 'ए 1', 'ए 2', 'ए 3,' 'बी 1', और 'बी 2' डाक्टरी कोटियों के कर्मचारियों की सेवा के दौरान आवधिक डाक्टरी परीक्षा ली जाती है जिसमें चाक्षुस तीक्ष्णता की परीक्षा भी शामिल है। ट्रेन क्लर्क 'ए 3' डाक्टरी कोटि में आते हैं, इसलिए निर्धारित स्तरों के अनुसार उनकी आवधिक परीक्षा ली जाती है।

(ग) सेवा में प्रवेश अथवा सेवा के दौरान आवधिक पुनः परीक्षाओं के लिए निर्धारित डाक्टरी स्तरों का परिचालन अथवा अन्य कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

Avenues of Promotion of Train Clerks categorised as 'Non-Operatiug' Ministerial Staff

† 6881. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Second Pay Commission had categorised the Train Clerks as Non—operating Ministerial Staff ;

(b) if so, the basis therefor ;

(c) whether it is also a fact that all avenues of promotion and increase in pay and dearness allowance have been denied to them as a result thereof ;

(d) if so, whether this position is likly to lead to a dispute between the workers and the Railway Administration and create discontentment among the former, and

(e) if so, the steps taken to resolve this problem ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Under tne heading 'Yard Staff' the Trains Clerks have been grouped by the Commission as non-operating staffs (ministerial).

(b) The duties of Trains Clerks on the Railways are mainly as under :—

(i) Maintenance of record of the serial numbers and other particulars of wagons and coaches which enter and leave the station or yard; and

(ii) Preparation of statistics and statements of coaches etc. and maintenance of relevant registers.

It will be seen that the duties attached to the Trains Clerks are clerical in nature and do not involve actual field supervision. Presumably because of this, the Second Pay Commission distinguished them from field operating staff such as Yard Masters.

(c) No. Different categories of staff have different avenues of promotion. In regard to Trains Clerks in addition to the normal channel of promotion to higher grades in the category of Trains Clerks, they are also eligible for consideration for promotion to supervisory posts of yard staff (non-ministerial) and of Guards. These have never been denied to them. The pay-scales are those determined by Government on the basis of the recommendations of the last Pay Commission.

The percentage of higher grade posts was improved in 1962 on the basis of the award of the Sankar Saran Tribunal. Similar is the position in respect of many other categories of Railway staff. The rates of dearness allowance are uniformly applicable to all staff and increases granted from time to time are also applicable to Trains Clerks.

(d) and (e) : Government have decided to appoint a Pay Commission to review the emoluments and service conditions of Central Government employees including Railway employees and this Commission will, no doubt, deal with the demands of this category of staff also.

Demand for placing grievances of Train Clerks before Third Pay Commission

† 6882. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the difficulties in respect of pay etc. of the Trains Clerks were not represented fully before the First and Second Pay Commissions ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether the said employees would be given an opportunity to present their case before the Third Pay Commission ; and

(d) if so, the details in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No. The demands of Trains Clerks in respect of pay, nature of duties and avenues of promotion etc. were placed before the lst and 2nd Pay Commissions.

(b) Does not arise.

(c) Normally representatives of employees will have an opportunity to present their case before the Pay Commission.

(d) It would be for the Commission, after it is constituted, to determine the details of procedure in this regard.

Sale of III Class Tickets at Muzaffarpur (North Easten Railway)

6883. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are only two Booking Windows for the sale of III Class tickets at Muzaffarpur Jn. of the North Eastern Railway on account of which the passengers have been experiencing a lot of difficulties in getting the tickets and sometimes in order to catch the trains they leave the Booking Window without purchasing a ticket ;

(b) whether it is also a fact that the trains bound for Samastipur, Sonepur, Narkatiaganj, Lucknow, Kanpur and Darbhanga pass through Muzaffarpur ;

(c) if so, the reasons for not providing at least four Booking Windows exclusively for the sale of III class tickets for the convenience of the passengers ;

(d) whether Government propose to take any action in the near future in this regard ;

The Minister of Railways (Shri Nanda) (a) : No, there are three third class booking windows at Muzaffarpur Junction station (two situated in third class waiting hall and one on the other side of the station near the landing of the foot overbridge). These booking windows are kept open round the clock. In addition, one booking window for sale of third class tickets is opened from 13-00 hours to 15-00 hours daily to book passengers for Motihari side. During Melas etc. this booking window is kept opened round the clock. The existing arrangements for booking of passengers at Muzaffarpur railway station are considered adequate.

(b) : Yes.

(c) and (d) : Do not arise.

Quota of B. P. Sheets to Small Scale Industrial Units in Madhya Pradesh

6884. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) Whether permits for B. P. Sheets were given during 1966-67; 1967-68 and 1968-69 to any of the small scale industrial units in Madhya Pradesh which are engaged in manufacturing conduit pipes ;

(b) if so, the names of such units and the location thereof ;

(c) whether it is a fact that this basic material has not been supplied regularly to these units since 1965; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :

(a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Central Assistance for Setting up Agricultural Industrial Complex in Madhya Pradesh

6885. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state the extent of assistance likely to be given by the Central Government to Madhya Pradesh for the setting up of agricultural industrial complex and its units in the State ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Chances of Promotion of Tickct Collectors and Travelling Ticket Examiners (Central Railway)

6886. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees on the Central Railway who have been assigned the duties of Ticket Collectors and Travelling Ticket Examiners as against their normal duties on grounds of health ;

(b) whether it is a fact that it has affected adversely the chances of promotion of the Ticket Collectors and Travelling Ticket Examiners ; and

(c) if so, the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Quarters for Ticket Collectors and Travelling Ticket Examiners on Central Railway

Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of Ticket Collectors and Travelling Ticket Examiners working in the Central Railway at present and the number among them of those who are living in the Railway quarters;

(b) the numher among them of those who have applied for Railway quarters,

(c) the percentages of quarters reserved for the above categories of employees,

(d) whether the reserved quarters are being allotted only to the concerned employees ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Laboratories to Test Blood, Urine and Stool in Hospitals of Bhusawal Division (Central Railway)

6888. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of those railway stations of the Bhusawal Division on the Central Railway where arrangements for providing medical facilities to the railway employees exist ;

(b) the names of those Railway hospitals which have laboratories for blood, urine and stool-tests ;

(c) the number of Laboratory Assistants working in each of these hospitals for conducting the aforesaid tests and ;

(d) the action taken by Government for providing such facilities in those hospitals where such facilities are essential ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Railway medical facilities in the shape of Hospitals/Health Units have been provided at the following places in the Bhusawal Division of the Central Railway :

Hospitals : Bhusawal-Divisional Hospital
Igatpuri—Sub-Divisional Hospital

Health Units : Bhusawal railway station, Zonal Training School—Bhusawal, Khandwa, Harda, Itarsi, Murtizapur, Badnera, Washim, Akola. Shegaon, Manmad Nandgaon, Pachora, Puntamba, and Ahmednagar.

Staff and members of families residing in other stations are covered by the jurisdiction of line doctors. Such staff as are not covered by the jurisdiction of line doctors can avail of medical facilities from Civil/Government or Philanthropic sources and later on claim reimbursement for the expenses incurred.

(b) Both the Divisional Hospital at Bhusawal and the Sub-Divisional Hospital at Igatpuri have been provided with necessary laboratory facilities.

(c) There are 4 Laboratory Assistants at the Bhusawal Hospital and 1 at the Igatpuri Hospital to carry out all the necessary tests and examinations including blood, urine and stool tests.

(d) Both the hospitals in the Bhusawal Division of the Central Railway have already been provided with the neccssary facilities.

Disparity between percentages of certain posts on Eastern Railway

6889. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the percentage of Telegraph Clerkes, Train Clerks, and Commercial Clerks to the categorised posts on the Eastern Railway and the percentage of Ticket Collectors and Travelling Ticket Inspectors to the said posts ;

(b) whether it is a fact that there is much disparity between the said two percentages ;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) whether Government propose to remove this disparity and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) A statement giving the percentages laid down by Railway Board is attached,

(**Placed in Library. See. L. T.** 3255-70)

(b) to (d). As the duties and responsibilities, Pay structures as well as channel of promotion of each of these categories are different it is not possible to adopt a uniform percentage distribution of posts in various grades for all these categories of staff.

Disparity between percentages of certain posts on Northern Railway

6890. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state;

(a) the percentage of Telegraph Clerks, Train Clerks and Commercial Clerks to the categorised posts on the Northern Railway and the percentage of Ticket Collectors and Travelling Ticket Inspector to the said posts;

(b) whether it is a fact that there is much disparity between the said two percentages ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) whether Government propose to remove this disparity and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) A statement giving the percentages laid down by Railway Board is attached. (**Placed in Library. see L. T.** 3356-70).

(b) to (d) : As the duties and responsibilities, pay structures as well as channel of promotion of each of these categories are different, it is not possible to adopt a uniform percentage distribution of posts in various grades for all these categories of staff.

रेल पथ निरीक्षकों तथा सहायक निरीक्षकों द्वारा लगाये जाने वाले चक्करों (बीटों) में परिवर्तन

5891. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : **श्री श्री चन्द गोयल** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के रेल पथ निरीक्षकों तथा सहायक निरीक्षकों द्वारा लगाये जाने वाले चक्करों (बीटों) को कम कर दिया गया है,

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्माण क्षेत्र पर कार्य भी अत्यधिक बढ़ गया है,

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य निरीक्षकों और सहायक निरीक्षकों के चक्कर कम करने पर भी विचार किया जा रहा है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) रेल पथ निरीक्षकों और सहायक रेल पथ निरीक्षकों के गश्त क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्रीय रेलों को मार्ग दर्शन के लिए कुछ रूप रेखा बतायी गयी है जिस पर उत्तरोत्तर अमल किया जा रहा है ।

(ख) निर्माण क्षेत्र में कार्य-भार कुछ बढ़ गया है ।

(ग) निर्माण निरीक्षकों और सहायक निर्माण निरीक्षकों के कार्य-भार को युक्ति संगत बनाने के लिए (जिसमें गश्त-कार्य क्षेत्र का समायोजन भी शामिल है) विभिन्न उपायों की जाँच की जा रही है ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

गाजियाबाद (उत्तर रेलवे) के सहायक रेल-पथ निरीक्षक (यार्ड) के साथ मारपीट

6892. **श्री हुक्म चन्द कछवाय : श्री श्री चन्द गोयल :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में उत्तर रेलवे, गाजियाबाद के सहायक रेल-पथ निरीक्षक (यार्ड) के साथ 'कीमैन' तथा श्रमिक संघ के कुछ अन्य कर्मचारियों ने मारपीट की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्रमिकों द्वारा इंजीनियरिंग निरीक्षकों के साथ मारपीट की घटनाओं में दिन प्रति-दिन वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं । सहायक रेल पथ निरीक्षक ने एक चाभी वाले पर हमला किया था ।

(ख) गाजियाबाद की सरकारी रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और उसकी जाँच पड़ताल की । इस समय यह मामला अदालत के विचाराधीन है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

उत्कल एक्सप्रेस से नयी दिल्ली से कटक जाने वाले और वापस नई दिल्ली आने वाले यात्रियों से शयन यान शायिका शुल्क

6893. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्कल एक्सप्रेस से नई दिल्ली से कटक जाने वाले और कटक से नई दिल्ली आने वाले यात्रियों को तीन रात्रि का शयन-यान शायिका शुल्क देना पड़ता है क्योंकि उक्त रेलगाड़ी नई दिल्ली स्टेशन पर रात्रि को 9.30 बजे आती है और उक्त रेलगाड़ी का नई दिल्ली से चलने का समय 5.30 बजे प्रातः है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस शुल्क में छूट देने का है ताकि गरीब लोगों को राहत मिल सके ; और

(ग) क्या किसी अन्य रेलगाड़ी के सम्बन्ध में भी इस प्रकार शुल्क लिया जाता है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 77 डाउन पुरी-नयी-दिल्ली उत्कल एक्सप्रेस से कटक से नयी दिल्ली तक यात्रा करने वाले यात्रियों को तीन रात का शयन यान अधिप्रभार देना पड़ता है।

(ख) और (ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

Production of Wire Rods in Bhilai Steel Plant

6894. **Shri Murasoli Maran:** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether the Production of wire rods which are the raw materials for the manufacture of high tensile wire by the Bhilai Steel Plant has been discontinued,

(b) if so, the reasons therefor,

(c) whether the Government of Tamil Nadu have requested that the Bhilai Steel Plant may be asked to produce these rods for their Veeranam water scheme, and

(d) if so, the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) : It is learnt from the Management of Bhilai Steel Plant that the Veeranam Project sent a tender enquiry to them for supply of 5 mm and 7 mm Pre-stressed concrete quality wire rods. As they are not rolling 5 mm and 7 mm wire rods and further as their production programme does not provide for production of this quality of wire rods, they expressed their inability to supply the material.

मद्रास और नागर कोइल में बसों के ढांचे तैयार करने वाले कारखानों के लिये लाइसेंस जारी करना

6895. **श्री मुरासोली मारन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु की सरकार से कहा गया था कि वह मद्रास तथा नागर कोइल में वर्तमान बसों के ढांचे बनाने वाले कारखानें को लाइसेंस देने के लिये प्रार्थना पत्र दे ;

(ख) क्या सरकार को इसके लिये तमिलनाडु की सरकार से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या लाइसेंस दे दिये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो बसों के ढांचे बनाने वाले वर्तमान कारखानों को लाइसेंस देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जब नवम्बर, 1968 में तमिलनाडु परिवहन विभाग, मद्रास की नागर कोयल व क्रोमपेट वाली कर्मशालाओं में बसों की बोडी के निर्माण के लिये औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु उप विभाग के निदेशक के पास से आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे तब उस समय इस उद्योग में नये कारखानों को लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध था। तदनुसार, 17 अप्रैल, 1969 को उनको यह सूचना दी गई कि इस मामले में प्रत्यक्षत: लाइसेंस देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और उनके आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करने का विचार है। 26 अप्रैल, 1969 को तमिलनाडु परिवहन विभाग ने इस प्रस्तावित अस्वीकृति के विरुद्ध एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इस बीच, ऐसे राजकीय सड़क परिवहन उपक्रमों को, जो अपने प्रयोग के लिये बसों की बोडी के निर्माण में लगे हुये थे, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस सम्बन्धी उपबन्धों से मुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जाता रहा और अन्त में अक्टूबर 1969 में यह निश्चय किया गया कि बसों की बोडी बनाने वाले उद्योग सहित मोटरगाड़ियों से सम्बन्धित सभी सहायक उद्योगों को 'प्रतिबन्धित' उद्योगों की सूची से हटा दिया जाये। बाद में फरवरी, 1970 में सरकार ने कुछ शर्तों के अधीन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के लाइसेंस सम्बन्धी उपबन्धों से ऐसे सभी औद्योगिक उपक्रमों को मुक्त करने का निश्चय किया है जिनकी स्थिर आस्तियां जमीन, इमारत, संयंत्र व मशीनों के रूप में 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है या जिनका विचार 1 करोड़ रु० से अधिक की स्थिर आस्तियां प्राप्त करने का नहीं है। इन परिवर्तनों को देखते हुये तमिलनाडु परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्रों पर अग्रेतर विचार किया गया है। चूंकि विस्तार के उपरांत भी नागर कोयल कर्मशाला की स्थिर आस्तियों का मूल्य केवल 15 लाख 54 हजार रुपये होगा और उन्हें पूंजीगत सामान या पुर्जों। कच्चे माल के आयात के लिये कोई विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, अत: तमिलनाडु परिवहन विभाग को सूचित कर दिया गया है कि इस कर्मशाला में बसों की बोडी के निर्माण के लिये औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक क्रोमपेट कर्मशाला का सम्बन्ध है, उनसे कहा गया है कि वे यह बतायें कि जमीन, इमारत व मशीनों आदि जैसी इस एकक की स्थिर आस्तियों का कितना मूल्य है ताकि इस बात की जांच की जा सके कि नवीनतम नीति के अन्तर्गत इस एकक को औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता है या नहीं।

अखिल भारतीय निर्माता संघ द्वारा आवश्यक कच्चे माल की कमी के बारे में अभ्यावेदन

6896. **श्री सु० कु० तापड़ियां** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय निर्माता संघ ने सरकार को आवश्यक कच्चे माल जैसे रद्दी इस्पात, हल्के तथा भारी इस्पात प्रद्रावण, कच्चा लोहा, फेरो सिलिकोन अलोह धातुओं आदि की अत्याधिक कमी के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) क्या उपरोक्त संघ ने अनुरोध किया है कि देशी उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् फालतू माल का ही निर्यात किया जाना चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : सरकार की सामान्य नीति यह है कि घरेलू मांग की यथा सम्भव पूर्ति के पश्चात् ही लोहे और इस्पात, लौह मिश्र-धातुओं, रद्दी लोहे और अलौह धातुओं का निर्यात किया जाय ।

तमिलनाडु में स्टैनलैस इस्पात की चादरों के निर्माण के लिये लाइसेंस को पुनः वैध बनाना

6897. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने तमिलनाडु में स्टेनलैस इस्पात की चादरों के निर्माण के लिये किये गये एक औद्योगिक लाइसेंस को पुनः वैध बनाने के लिये मन्त्रालय को लिखा था तथा तमिलनाडु में विभिन्न औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के लिये प्रधान मन्त्री को भी लिखा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये सब प्रस्ताव, जिन पर फरवरी और मार्च, 1970 के कुछ भाग में मन्त्रालय द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा था, भविष्य में विचार करने के लिये अचानक स्थगित कर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : मुख्य मन्त्री द्वारा उल्लिखित विभिन्न परियोजनाओं के बारे में प्रत्येक मामला सम्बन्धित मन्त्रालयों के पास विभिन्न अवस्थाओं में विचाराधीन है । यह कहना ठीक नहीं है कि प्रस्तावों का ताक पर रखा गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

निर्वाचन आयोग के लिये स्थायी कर्मचारी

6898. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्वाचन आयोग के लिये कुछ स्थायी स्वतन्त्र कर्मचारी रखने पर विचार कर रही है और क्या निर्वाचन आयोग ने ऐसी कोई मांग की है ;

(ख) क्या ऐसे कर्मचारी-वर्ग के लिये पूरे साल के लिये पर्याप्त कार्य होगा ; और

(ग) यदि हां, तो कार्य किस प्रकार का होगा ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम) : (क) से (ग) : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भारत के निर्वाचन आयोग के अधीन स्थापित किये जाने वाले एक स्वतन्त्र निर्वाचन विभाग की स्थापना का प्रस्ताव रखा है । आयोग की

राय है कि ऐसे विभाग की स्थापना आवश्यक है जिससे विभिन्न प्रक्रमों पर निर्वाचन सम्बन्धी कार्य का अर्थात् निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण, मतदान केन्द्रों के चयन, मतदान-संचालन तथा मतगणना आदि का प्रभावी सम्पादन और पर्यवेक्षण हो सके। किन्तु ये प्रस्थापनाएं इस प्रकार की हैं जिनका प्रभाव बहुत दूर तक हो सकता है और सभी बातों को ध्यान में रखते हुये इस विषय में अन्तिम निर्णय करने के पूर्व इन प्रस्थापनाओं की पूरी तरह से छानबीन करने में तथा सम्बद्ध व्यक्तियों से परामर्श करने में जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारें भी हैं सरकार को समय लगेगा।

सुवाहय् टाइप रायटरों की मांग

6899. **श्री पी० सी० अदिचन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सुवाहय् टाइम रायटरों का उत्पादन कितना है और उनकी औसत वार्षिक आवश्यकता कितनी हैं ;

(ख) क्या अंग्रेजी तथा हिन्दी के मान की कृत की बोर्ड वाले सुवाहय् टाइप-रायटरों के निर्माण के लिये लाइसेंस देने के सम्बन्ध में कोई आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और आवेदन-पत्र देने वाले देशों के नाम क्या हैं और प्रत्येक ने कितनी क्षमता के लिये लाइसेंस मांगा है और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रियां है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) विगत तीन वर्षों में बड़े पैमाने के उद्योगों में पोर्टेबल टाइप-रायटरों का उत्पादन नीचे दिया है।

वर्ष	उत्पादन संख्या
1967	2024
1968	3358
1969	3013

वर्ष 1973-74 तक टाइप-राइटरों की मांग का अनुमान एक लाख लगाया गया है जिसमें 15000 पोर्टेबल टाइपराइटर भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) : पोर्टेबल टाइपराइटरों के निर्माण हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के बारे में आवेदनों का विस्तृत ब्यौरा, जो अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं, नीचे दिया गया है :—

क्र० सं०	आवेदक का नाम	प्रस्तावित वार्षिक क्षमता
1.	श्री एस० शेशाद्रि, नई दिल्ली	5000 संख्या दो पारी पर
2.	मे० रेमिंगटन रैंड आफ इण्डिया लि० कलकत्ता	15,000 संख्या दो पारी पर
3.	श्री मोहन एम० शाह, बम्बई	12,000 संख्या एक पारी पर

उपरिलिखित के अलावा लघु क्षेत्र में एक एकक में क्वालिटी आफिस एप्लिऐंसेज़ (प्रा०) लि०, नई दिल्ली पोर्टेबल टाइपराइटरों का निर्माण कर रहा है। उन्होंने पुर्जों के आयात तथा निर्यात के लिये 5000 पोर्टेबल टाइपराइटरों का निर्माण करने के बारे में पश्चिम जर्मनी की फर्म के साथ पैकेज समझौता करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जो सरकार के विचाराधीन है।

केरल में लघ उद्योग का विकास

6900. **श्री अदिचन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने 1970-71 में राज्य में लघु उद्योग का विकास करने के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार से योजना के लिये किस प्रकार की सहायता मांगी गई थी और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य रेलवे (बम्बई में परेल के निकट) पर उपनगरीय गाड़ी दुर्घटना के बारे में जांच प्रतिवेदन

9602. **श्री सामिनाथन** :
श्री नंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दण्डपाणि :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे पर, परेल के निकट 21 मार्च, 1970 को हुई उपनगरीय रेल दुर्घटना की जांच के बारे में केन्द्रीय मन्त्री को प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) क्या उन्हें गैर-सरकारी स्रोतों से भी प्रतिवेनन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ग) : रेलवे संरक्षा, बम्बई के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की विधिक जांच की थी। उन्होंने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट दे दी है। उनके अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार परेल कारखाने के प्रवेश द्वार का खुला हुआ शटर, ठीक से बंधा नहीं था, जिसकी वजह से वह एक शंटिंग मालगाड़ी में फंस गया और कारखाने की चहार-दीवार की संध में से उसके कब्जे उखड़ गये, जिसके फलस्वरूप शटर से अप मुख्य लाइन पर 12 फुट चौड़े स्टाक के वास्तविक चल आयाम का उल्लंघन हो गया। ए-10 अप पहली उपनगरीय गाड़ी थी, जिसमें निकले हुए एंगल आयरन से रगड़ लगी, एंगल आयरन टेढ़ा हो गया और

उल्लंघन बढ़कर पटरी के तल से 4'-7" ऊंचा हो गया, फलतः ए-10 अप और उसके पीछे आने वाली टी-22 अप उपनगरीय गाड़ी के यात्रियों को हल्की और गंभीर चोटें आयीं ।

(ख) जी नहीं ।

गाजियाबाद खुर्जा सेक्शन (उत्तर रेलवे) के दनकौर स्टेशन पर मालगाड़ी का पटरी से उतरना

6903. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री आत्म दास :**
श्री रामगोपाल शालवाले : **श्री रामावतार शर्मा :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 मार्च, 1970 को सायं 4-30 बजे उत्तर रेलवे में गाजियाबाद खुर्जा सेक्शन के दनकौर स्टेशन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप रेलवे को कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो जांच समिति ने क्या निष्कर्ष निकाला ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) सम्पत्ति को लगभग 49,904 रुपये की क्षति होने का अनुमान है ।

(ग) जी हां । जांच समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

भारतीय मानक संस्था द्वारा तैयार राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता को समस्त निर्माण एजेन्सियों द्वारा क्रियान्वित करना

6904. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों और सरकारी उपक्रमों को भारतीय मानक संस्था द्वारा तैयार "भारत का राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 1970" को समस्त निर्माण एजेन्सियों द्वारा पूरी तरह क्रियान्वित करने के निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माण कार्य में उक्त-संहिता को क्रियान्वित करने के परिणामस्वरूप कितनी बचत होने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं । भारतीय मानक संस्था ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभागों, सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों; आवास मन्डलों और समूचे देश के नगर निगमों आदि के परामर्श से एक राष्ट्रीय निर्माण संहिता बनाई है और संस्था ऐसा अनुभव करती है कि सम्बन्धित निकाय इस संहिता को स्वतः ही अपना लेगी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि में निर्माण कार्य के 6,000 करोड़ रुपये तक पहुँचने का अनुमान है । इस संहिता के अपनाएं जाने से होने वाली बचत का सही-सही अनुमान लगाना यद्यपि आज सम्भव नहीं है तथापि भारतीय मानक संस्था के अनुसार यद्यपि इसके सारे उपबन्धों को लागू किया जाये तो यह 10 प्रतिशत होगी ।

कार्य निरीक्षक (जल तथा निकास) के अन्तर्गत काम कर रहे कर्मचारियों को मजूरी का भुगतान न किया जाना

6905. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्य निरीक्षक (जल तथा निकास) के अन्तर्गत वर्ष 1952 से 1954 तक कार्य कर रहे लगभग 250 कर्मचारियों की मजूरी 23,529 रुपये देने से इन्कार किया गया था और उसके भुगतान करने की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है;

(ख) क्या उक्त धनराशि के अनुपूरक बिल बनाये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को उनकी बकाया मजूरी का भुगतान न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क), (ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा जबलपुर में मध्यरेलवे संघ, की गतिविधियों में हस्तक्षेप

6906. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर में मध्य रेलवे कर्मचारी संघ और डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट के प्रतिनिधियों के बीच 27 सितम्बर, 1969 को कार्यालय के समय के बाद एक बैठक करने के निर्णय के बावजूद रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में संघ के कर्मचारियों को परेशान किया और संघ के जनरल सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया ;

(ख) क्या रेलवे सुरक्षा बल की नियुक्ति और उसके बाद रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा संघ की शान्तिपूर्ण गतिविधियों में हस्तक्षेप करना अवांछनीय था; और

(ग) यदि हां, तो हस्तक्षेप के क्या कारण थे और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क), (ख) और (ग) : जी नहीं, तथ्य यह है कि मध्य रेलवे, जबलपुर के मन्डल अधीक्षक ने मध्य रेलवे संघ के प्रतिनिधियों को मण्डल अधीक्षक के कार्यालय की परिसीमा के अन्दर 27-9-1969 को एक बैठक करने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि यह संघ मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं था । इन्कार के बावजूद संघ के महासचिव श्री देवधर

जी यह घोषणा कर रहे थे कि लगभग 17.00 बजे एक बैठक की जायेगी । मन्डल अधीक्षक के कार्यालय और वायरलेस उपस्कर आदि की सुरक्षा के लिए सदा की भांति रेलवे सुरक्षा दल के आदमी तैनात कर दिये गये थे । संघ के महासचिव को भी रेलवे सुरक्षा दल की चौकी पर पूछ-ताछ के लिए बुलाया गया । उसे न तो गिरफ्तार किया गया और न ही परेशान किया गया ।

दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा सन्देशहरों से संबन्धित आदेशों की गलत व्याख्या

6907. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने नवम्बर, 1966 में सन्देशहरों के जुलाई, 1964 में बनाये गये अतिरिक्त पदों का दर्जा घटाने के आशय के आदेश जारी किये थे और कुछ क्षेत्रीय रेलवे में तो ये आदेश ठीक से लागू किये गये सिवाय दक्षिण मध्य रेलवे के जो इन अनुदेशों की गलत व्याख्या कर रहे हैं तथा फलस्वरूप वे सन्देशहरों के 1956 में बनाये गये सभी पदों का भी दर्जा घटा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड द्वारा नवम्बर, 1966 में जारी किये गये आदेशों को गलत व्याख्या से बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर कुप्रभाव पड़ रहा है तथा इस कारण उनमें भारी असंतोष व्याप्त है;

(ग) क्या सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी तथा कोई उपचारात्मक कार्यवाही करेगी; और

(घ) यदि हां, तो उस कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) : नवम्बर, 1966 में रेलवे बोर्ड ने मध्य, दक्षिण और पश्चिम रेलों को आदेश दिया था कि रिटर्न कोरियर्स के वर्तमान ऊँचे वेतनमान वाले पदों का ग्रेड घटा कर 105-3-135 या इससे निचले प्राधिकृत वेतन मानों में पद कायम किये जायें । दक्षिण मध्य रेलवे में इन आदेशों पर अमल करने के बारे में सूचना मंगायी जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य रेलवे के स्टोरेज विभाग में लिपिक संवर्गों का द्विशाखन

6908. **श्री हरदयाल देवगुण** : **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को मध्य रेलवे के स्टोर्ज़ विभाग में लिपिक संवर्गों को अनुसचिवीय तथा गैर-अनुसचिवीय संवर्गों में द्विभाजित करने के बारे में बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : मध्य रेलवे के भण्डार विभाग में काम करने वाले क्लर्कों के संवर्ग को लिपिक वर्गीय और गैर लिपिक वर्गीय कोटियों में बांटने का काम

1958 में पूरा कर लिया गया था ताकि इसे दूसरी रेलों पर मौजूद व्यवस्था के समान बना दिया जाये। इसके बाद विभिन्न ग्रेडों में पदों के वितरण और वेतन आदि निश्चित करने के विरुद्ध सम्बन्धित कर्मचारियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। कर्मचारियों की भर्ती और उनकी पदोन्नति सरणि की एक जैसी कार्यविधि निर्धारित करने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने सभी भारतीय रेलों पर भण्डार विभागों में काम करने वाले क्लर्कों को दो भागों में बांटने के प्रश्न पर विचार किया था। इसके परिणाम स्वरूप सितम्बर, 1969 में आदेश जारी किये गये थे कि शुरू में क्लर्कों की भर्ती केवल लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के रूप में ही की जायेगी और 130-0-300 रुपये के प्राधिकृत वेतनमान में पदोन्नति पाने के एक वर्ष बाद और आगे पदोन्नति पाने के लिए उन्हें गैर-लिपिक वर्गीय या लिपिक वर्गीय श्रेणी के लिए अपना अन्तिम विकल्प बताना होगा। इस संशोधित कार्यविधि को लागू करने का मामला रेल प्रशासन के विचाराधीन है।

Standardisation of Electric and Diesel Pumping Sets

6909. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have standardised the components of the five horse-power electric and diesel pumping sets being produced in large number ; and

(b) if not, the time by which these components are likely to be standardised ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) The Indian Standard Institution has published the following standards for pumps :—

IS : 1520-1960—Horizontal Centrifugal Pumps for Clear, Cold, fresh water.

IS : 1710-1960—Vertical Turbine Pumps for Clear, Cold, Fresh water.

IS : 325-1961—Three-phase Induction Motors (Second revision).

IS : 996-1964—Single-phase Small AC and Universal Electric Motors (revised).

IS : 1231-1967—Dimensions for three-phase Foot-Mounted Induction Motors.

IS : 2223-1965—Dimensions of flange mounted AC Induction Motors.

IS : 2254-1965—Dimensions of vertical Shaft Motors for Pumps (revised).

Separate standards have been published on perfomance and components of internal combustion engines and electric motors.

The Indian standards generally cover the overall performance requirements and do not specify the design details which are normally left to the ingenuity of the manufacturers to allow improvement on designs. In certain cases where high degree of interchangeability is necessary, dimensional standards are formulated. This criterion applies to the designing of components for the above mentioned pumps also.

(b) Does not arise.

Mauufacture of Discs for Tillers and Tractors

6910. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the country is not self-sufficient in respect of the production of the disc used in the bullock-driven tillers, power-tillers and tractors and the quality of the disc being produced at present is inferior ;

(b) if so, the steps being taken to bring about an improvement in the situation ; and

(c) whether Government propose to produce the discs in the Public Sector ?

The Minister of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) (a), (b) and (c) : Although a large number of schemes with an aggregate capacity of over 11,00,000 discs per annum have been approved, the actual production is not yet sufficient to meet the requirements. There were some complaints in the earlier stages about the quality of the indigenously maunfactured discs but at present these have been found to be of acceptable quality and conforming to the standards laid down by the Indian Standards Institution. Imports of discs are being arranged to bridge the gap between the demand and the indigenous production.

परिवार तथा शिशु कल्याण योजना आरम्भ करना

6911. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार तथा शिशु कल्याण योजना उन राज्यों में पंचायतराज व्यवस्था के माध्यम से आरम्भ की जानी थी जहां पंचायतराज व्यवस्था कार्य कर रही है तथा जहां पंचायत राज व्यवस्था नहीं है वहाँ यह योजना खण्ड विकास समितियां अथवा अन्य समितियों के माध्यम से आरम्भ की जानी थी;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणुगुह): (क) हां, श्रीमान ।

(ख) आंध्रप्रदेश, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तामिलनाडु, राज्यों में विशेष कार्य-समितियों पर, जिनके अध्यक्ष पंचायत समितियों के अध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम के दैनिक प्रबन्ध का कार्यभार है । बिहार, हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में प्रबन्ध तदर्थ समितियों अथवा कार्य-सीमितियों को दिया गया है ।

(ग) यह कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए है । इसका उद्देश्य स्कूल-पूर्व बच्चों के लिए समेकित सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करना स्त्रियों और जवान लड़कियों को गृहकला, मातृकला, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण तथा बच्चों की देखभाल का प्रशिक्षण देना, स्त्रियों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य और मातृत्व की सेवाओं की व्यवस्था करना तथा स्त्रियों और बच्चों के लिए आर्थिक शैक्षिक, सांस्कृतिक और मनोरंजनात्मक कार्यवाहियों को बढ़ावा देना है । प्रत्येक परियोजना में एक मुख्य केन्द्र की, जिसमें गृह कल्याण केन्द्र और बाल विकास केन्द्र होते हैं, पांच उप-केन्द्र तथा दो सहायता प्राप्त करने वाले केन्द्र हैं । यह कार्यक्रम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, पंचायतों और पंचायत समितियों, सामुदायिक विकास प्रशासन तथा स्थानीय स्वयं सेवी संगठनों के सम्मिलित सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है ।

रेलवे खानपान सेवा के कमीशन एजेन्टों को खानपान विभाग में नियुक्त करना

6912. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे खान-पान सेवा के कमीशन एजेंटों को खान-पान विभाग में नियुक्त किया जा रहा है;

(ख) क्या उनको नियमित संवर्ग में शामिल करने के लिये कोई सिद्धान्त अपनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता ।

साहू जैन लिमिटेड के अन्तर्गत कम्पनियों में भारत निधि लिमिटेड द्वारा निवेश

6913. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** : **श्री वंश नारायण सिंह** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में 5, पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित भारत निधि लिमिटेड के 1968 के वार्षिक प्रतिवेदन में पृष्ठ 15 पर दिखाये गये 18,685,018 रुपये के निवेश में से 90 प्रतिशत रुपया ऐसे व्यापारों तथा कम्पनियों में लगाया गया है जिनका प्रबन्ध अथवा नियंत्रण साहू जैन लिमिटेड के पास है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनमें से अधिकतर कम्पनियां घाटे में चल रही हैं और लाभांश नहीं दे रही हैं, तथा उनका बाजार मूल्य उनके वास्तविक मूल्य से कम है ।

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त 90 प्रतिशत में से भी 60 प्रतिशत निवेश साहू जैन की केवल दो कम्पनियों में अर्थात न्यू सेट्रल जूट मिल्स कं० लिमिटेड, कलकत्ता और रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, डालमिया नगर में किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई जांच करने और साहू-जैन लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राजनीतिक दलों को कितनी-कितनी राशि दान में दी गयी है, इसका पता लगाने का है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारत निधि लिमिटेड के 31-12-1968 तक के तुलन-पत्र से प्रगट होता है कि 1,86,85,018 रु० के राशि के नियोजन में से लगभग 90 प्रतिशत साहू-जैन समूह द्वारा नियंत्रित कम्पनियों में नियोजित किया गया है ।

(ख) सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ग) भारत निधि लिमिटेड के उसी तुलना-पत्र से यह भी ज्ञात होता है कि

87,68,667 रु० का कुल धन, न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कम्पनी लि० तथा रोहतास इन्डस्ट्रीज़ लि० में नियोजित किया गया था, जो कीमत 90 प्रतिशत नियोजन का लगभग 52 प्रतिशत बैठता है ।

(घ) इस सम्बन्ध में कोई जांच करने का प्रस्ताव नहीं है । मै० साहू-जैन लिमिटेड ने, 1966-67 के वर्ष में, एक राजनैतिक दल को 25,000 रु० का चन्दा दिया, परन्तु 1965-66 तथा 1967-68 के वर्षों में कोई ऐसा चन्दा नहीं दिया गया ।

वैगनों की कमी के कारण कोयले के भन्डारों का जमा होना

6914. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि धनबाद, झरिया आदि स्टेशनों पर वैगनों की कमी के कारण कभी-कभी कोयले के भण्डार दो-दो महीने तक जमा हो जाते हैं; और

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रबन्ध करेगी कि वैगनों की कमी के कारण कोयले के भण्डार रेलवे स्टेशनों पर एक सप्ताह से अधिक समय तक जमा न रहें ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं । झरिया कोयला क्षेत्रों में स्थित विभिन्न कोयला साइडिंगों से कोयला लादा जाता है जो धनबाद रेलवे मण्डल के अन्तर्गत हैं । बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से कोयले का लदान उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और 1969-70 में लदान का संतोषजनक स्तर बना रहा । ब 1968-69 की तुलना में रेलों ने 1969-70 में बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से प्रतिदिन औसतन लगभग 242 माल डिब्बे अधिक लादे । उद्योगों की सभी प्रायोजित मांगें भी प्रायः पूरी की गयी हैं । इस्पात कारखानों से कम मांग के कारण इस्पात कारखानों और धुलाई कारखानों के लिए लदान आशा के अनुरूप नहीं रहा । ईटें पकाने वाले कोयले के लिए बहुत से प्रायोजित रेक भी कोयला खानों या उनके एजेंटों ने रद्द कर दिये थे । इसलिए यदि कोयला खानों की साइडिंगों पर कोयले का कोई स्टाक इकट्ठा हो गया हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा माल डिब्बों की कमी के कारण हुआ ।

(ख) रेलें कोयला खानों को कोयले की निकासी के लिए, जहाँ तक सम्भव होगा, परिवहन की क्षमता उपलब्ध कराती रहेंगी, लेकिन कोयला खानों से स्टाक की निकासी न केवल डिब्बों की मांग उपलब्धता पर बल्कि विभिन्न टर्मिल स्टेशनों पर उपभोक्ताओं द्वारा माल उतारने की क्षमता पर भी निर्भर करती है । यदि माल धीरे-धीरे उतारा या धीरे-धीरे हटाया जाता है, जिसकी वजह से गंतव्य स्टेशनों पर बड़ी संख्या में डिब्बे रुक जाते हैं, तो माल डिब्बों के रुके रहने की गम्भीर स्थिति से बचने के लिए रेल प्रशासन को मजबूर होकर लदान को विनियमित करना पड़ता है ।

Carrying of coal by Rail Wagons from Coal mines to short distance places

6915. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that coal is carried by Railway wagons within a distance of 50 kilometres from the coal mines ;

(b) whether it is also a fact that this leads to unnecessary wastage of time of the Railways, loss in their income and shortage of wagons for carrying coal to distant places ;

(c) if so, whether Government propose to do away with this uneconomic system and to carry coal by trucks within a distance of 50 Kilometres from the coal mines ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes Sir. Some coal is moved by rail to distances within 50 Kilometres from the coal mines.

(b) Haulage of coal over short distances no doubt involves comparatively higher proportion of terminal detention but there is no, loss to the railways on account of such traffic. The Railways have already fired the minimum distance for charge for coal at 40 kilometres. There had been no difficulty in meeting the demand for long distance coal traffic due to the current transport of short distance coal.

(c) and (d) : Do not arise as movement of coal to distance even within 50 kilometres is not uneconomic.

Agenda and Minutes of Various Meetings in Bilingual Form (Hindi and English) on Northern Railway

6916. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Northern Railway the agenda and minutes of the meetings of all the Committees, Sub-Committees, Workers' Union, Permanent Negotiating Machinery with the Administration are not prepared in bilingual form in Hindi and English except the case of the Regional Railway Users' Consultative Committee, inspite of the orders of the Railway Board to this effect ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government would issue orders for the preparation of the minutes of the said meeting in bilingual form in Hindi and English ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Inaccordance with extant orders, the agenda and minutes of the meetings of Zonal and Divisional Railway Users' Consultative Committees functioning in Hindi-speaking areas are required to be drawn up in Hindi, in addition to English. On the Northern Railway, the agenda and minutes of the Zonal/ Divisional Railway Users' Consultative Committees are drawn up in both the languages.

In regard to other Consultative Committees functioning on that Railway, Hindi translation of agenda and minutes is supplied to Members who ask for the same.

The agenda and minutes of meetings with recognised Trade Unions and of the Permanent Negotiating Machinery are at present drawn up in English only. There is no demand from the recognised Unions for the supply of the agenda and minutes of their meetings in Hindi.

(b), (c) and (d) : Do not arise in giew of the reply to (a) above.

उड़ीसा में खनिज आधारित तथा कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना

6917. **श्री दे० अभात** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 में उड़ीसा में खनिज आधारित, कृषि आधारित तथा अन्य उद्योगों की स्थापना के लिये कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए ;

(ख) मंजूर किये गये औद्योगिक लाइसेंस का ब्यौरा क्या है तथा उन उद्योगों की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) जिन प्रस्तावों पर अभी सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना बाकी है उनका ब्यौरा क्या है तथा वे कितने समय से सरकार के विचारधीन हैं और प्रत्येक निलाम्बत प्रस्ताव किस स्थति में हैं ?

औद्योगिक विकास,आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)

(क) से (ग) : 1967 से 1969 तक के वर्षों में उड़ीसा में खनिज पर आधारित, कृषि: आधारित तथा अन्य उद्योगों के स्थापनार्थ 32 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 16 आवेदन पत्रों का अग्रेतर क्षमता हेतु लाइसेंस देने के लिए क्षेत्र न होने के कारण रद्द कर दिया गया था। दो मामलों में लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। एक आवेदन को पार्टी से परिवर्द्धित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर छोड़ दिया गया। बाकी के 13 मामलों के बारे में, 4 में तो 'आशय-पत्र' बाकी किये गये हैं तथा एक मामले में अनुमति पत्र जारी किया गया है। दो अन्य आवेदन पत्रों पर भी निर्णय ले लिया गया है —एक में आशय पत्र स्वीकृत किया गया तथा दूसरे में लाइसेंस। शीघ्र ही इन निर्णयों से पार्टियों को अवगत करा दिया जायेगा। अन्य 6 आवेदन पत्रों पर विभिन्न अवस्थाओं में विचार किया जा रहा है। इनमें से एक 1967 में प्राप्त हुआ था, तीन 1968 में तथा दो 1969 में।

दुर्गापुर इस्पात कारखानों में श्रमिकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि

6918. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में दुर्गापुर, इस्पात कारखाने के श्रमिकों की उत्पादन क्षमता के बढ़ने के कोई स्पष्ट आसार दिखाई नहीं दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : (क) यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के श्रमिकों की उत्पादकता में पिछले तीन वर्षों में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।

(ख) श्रमिकों में लगातार चल रही अनुशासनहीनता और कुछ दूसरे तकनीकी कारणों से श्रमिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है।

(ग) औद्योगिक संबंध के विषय में निम्नलिखित कहा जा सकता है :—

हिन्दुस्तान स्टील लि० एम्पलाइज यूनियन को 5 अगस्त, 1969 से मान्यता प्रदान कर दी गई है। पिछले नौ महीनों में प्रबंधक वर्ग और मान्यता-प्राप्त यूनियन के बीच 20 से अधिक औद्योगिक विवादों के संबंध में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए है। संशोधित प्रोत्साहन बोनस योजना के शीघ्र लागू किये जाने की संभावना है। कारखाने का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने के

लिए श्रमिकों के प्रतिनिधियों से बराबर बात-चीत की जाती है और यथावश्यकता राज्य सरकार से भी सहयोग प्राप्त किया जाता है ।

कारखाने के उत्पादन में सुधार लाने के विचार से उठाये गये कदमों में निम्नलिखित उल्लेखनीय है :-

भारत से तथा विदेश से काफी मात्रा में फालतू पुर्जों के लिए आर्डर दे दिये गये हैं और अब माल आना शुरू हो गया है । एक विस्तृत प्रबंध-विकास-योजना प्रारंभ की गई है । महत्वपूर्ण उपकरणों की मरम्मत का काम हाथ में लेने और उसे तीन साल के अन्दर पूरा करने की योजना तैयार की गई है ।

पश्चिम बंगाल में इस्पात कम्पनियों के बंद होने के नोटिस तथा इसका निर्यात सम्बंधी जोरदार कार्यक्रम पर प्रभाव

6919. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के निर्यात सम्बन्धी जोरदार कार्यक्रम के पूरा होने की सम्भावना नहीं है, क्योंकि, पश्चिमी बंगाल में कुछ प्रमुख इस्पात कम्पनियों ने श्रमिक गड़बड़ी के कारण अपनी कम्पनियों को बन्द करने के नोटिस दे दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कम्पनियों के बन्द होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) विदेश व्यापार मंत्रालय ने 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुई लगभग तीन महीनों की अवधि में निर्यात का जोरदार कार्यक्रम शुरू किया था । पश्चिमी बंगाल की किसी बड़ी इस्पात कंपनी के बन्द होने अथवा बन्द करने के नोटिस से इस कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

मेसर्स लियन्ज मशीनरी लिमिटेड, कलकत्ता को लाइसेंसों का जारी किया जाना

6920. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मेसर्स लियन्ज मशीनरी लिमिटेड, कलकत्ता को कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये ;

(ख) क्या लाइसेंसों का दुरूपयोग किये जाने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क), (ख) और (ग): जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मेसर्स लियन्ज मशीनरी लिमिटेड कलकत्ता द्वारा विदेशी फर्मों के साथ सहयोग

6921. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स लियन्ज मशीनरी लिमिटेड, कलकत्ता ने कितनी विदेशी फर्मों के साथ सहयोग स्थापित किया है ;

(ख) क्या इस फर्म ने लाइसेंस प्राप्त करने के लिये सरकार को दिये गये वचनों का उल्लंघन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

औद्योगिक विकास, आतंरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार में बरारी घाट (भागलपुर) और महादेव घाट (थाना बीहपुर के बीच रेल का पुल का निर्माण

6922. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार में बरारी घाट (भागलपुर) और महादेव घाट (थाना बीहपुर भागलपुर) के बीच गंगा पर रेल पुल बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा): (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

बिहार में कटिहार मनीहारी घाट के बीच स्टेशनों का फ्लैग (झन्डी) स्टेशनों में बदला जाना

6923. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में कटिहार तथा मनीहारी घाटी के बीच कुछ स्टेशनों को झन्डी स्टेशनों में बदला जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या इन स्टेशनों को बड़ी संख्या में यात्रा करने वाले यत्रियों को सरकार के इस निर्णय से असुविधा नहीं होगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) (क) जी हां।

(ख) खर्च में किफायत बरतने के उद्देश्य से तीन पार स्टेशनों से कुछ परिचालन सम्बन्धी सुविधाएँ जो उनकी आवश्यकता से अधिक थी वापस ले ली गयी हैं।

(ग) जी नहीं। इन स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि जो सुविधाएँ और गाड़ियां उन्हें उपलब्ध थी उन पर इस परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

मेसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एन्ड बैरल मेनुफैक्चरिंग कम्पनी तथा मेसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग एन्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयातित इस्पाती चादरों का उपयोग

6924. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री मैसर्स ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरींग कम्पनी तथा मैसर्स हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड द्वारा आयातित इस्पाती चादरों के उपयोग के बारे में 24 फरवरी, 1970 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 248 के उत्तर के सम्बन्ध में वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक द्वारा की जा रही जांच इस बीच पूरी की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्शों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें और कितना समय लगेगा तथा असामान्य विलम्ब के क्या कारण है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :
(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस मामले की जांच विभिन्न सरकारी विभागों के साथ परामर्श करके की जानी है । इसलिए इसमें कुछ समय लगना अनिवार्य है । इस समय यह कहना कठिन है कि जांच कब तक पूरी हो जाएगी लेकिन मामले में शीघ्रता करने के लिए हर कोशिश की जा रही है ।

Expenditure on Tribal Development Blocks

6925. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on each Tribal Development Block in various States during the last three years ;

(b) whether it is a fact that comparatively lesser expenditure was incurred on this account in Rajasthan in view of the percentage of tribal population there ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the provision included in the Fourth Five Year Plan on this account for various States including Rajasthan, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) (a), (b) and (c) The information is being collected from the State Governments. It will be laid on the Table of the Sabha, when received.

(e)

States	(Rs. in lakhs)
Andhra Pradesh	138.00
Assam	322.00
Bihar	406.00
Gujarat	325.00
Haryana	—
Jammu and Kashmir	—

Kerala	7.00
Madhya Pradesh	786.00
Maharashtra	248.00
Mysore	20.00
Orissa	472.00
Punjab	—
Rajasthan	114.00
Tamil Nadu	12.00
Uttar Pradesh	20.00
West Bengal	50.00
Nagaland	114.00
Total :	3034.00

Setting up of Tribal Development Blocks in Rajasthan during Fourth Five Year Plan

6926. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the minister of **Law and Social Welare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that keeping in view the percentage of tribal population, the number of Tribal Development Blocks in Rajasthan is comparatively less than those in other States ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the places where the Tribal Development Blocks are proposed to be set up during the fourth Five Year Plan in various States including Rajasthan alongwith population for each Block ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) (a) and (b) : The following criteria were laid down for opening of the Tribal Development Blocks in the Third Plan :—

(i) Total population of the block should be 25,900 according to 1951 Census.

(ii) The Scheduled Tribe population in the block should be $66\frac{2}{3}\%$.

(iii) The area of the block should be 150-200 sq. miles.

(iv) Viability to function as a normnl administrative unit.

Accordingly, 18 Tribal Development Blocks were started in Rajasthan based on the above criteria during the Third Five Year plan period and the year 1966-67.

(c) : A policy decision has been taken by the Government of India to extend the total life of existing Tribal Development Blocks to 15 years by incorporating a new stage III. The available resources will, therefore, be applied to give a new lease of life to the existing Tribal Development Blocks so that what has been achieved so far is sustained and consolidated. No new Tribal Development Block was opened in any State during the first year of the Fourth Plan (1969-70).

Location of Tribal Development Blocks in Rajasthan

6927. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is fact that most of the Tribal Development Blocks are located only in Udaipur Division and there is no such Block in Swai Madhopur and Jaipur Districts although a large number of tribal people. live in these districts.

(b) if so, the reasons for this discrimination ; and

(c) whether there in any proposal to set up such Blocks in Swai Madhopur and Jaipur Districts during the Fourth Five Year Plan and, if so, the number thereof and the time by which they are likely to be set up ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) and (b) : The number of Tribal Development Blocks located in various districts of Rajasthan are as indicated below :

District.	No. of T. D. Blocks
Banswara	5
Dungarpur	8
Udaipur	4
Chittorgarh	1
Total	18

They have been set according to the criteria laid down for opening of Tribal Development Blocks, e. g.

(i) Total population of the Block should be 25,000 according to the 1961 Census.

(ii) The Scheduled Tribe population should be 66-2/3% in the block.

(iii) The area of the block should be 150-200 sq. miles.

(iv) Viability to function as a normal Administrative Unit.

The question of any discrimination does not, therefore. arise.

(c) A policy decision has been taken by the Government of India to extend the total life of existing Tribal Development Blocks to 15 years by incorporating a new stage III. The available resources will be applied to give a new lease of life to the existing Tribal Development Blocks so that what has been achieved so far is sustained and consolidated. No new Tribal Development Block will be opened in areas where the concentration of tribal population is less than 66-2/3%

Demand for Desert Allowance by Northern Railway Employees' Union, Bikaner Division

Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Northern Railway Employees' Union, Bikaner Division has made a demand for special Desert Allowance ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether Government are considering terms of paying the said special allowance to the employees concerned ;

(d) if so the date from which the said allowance would be paid to them and the amount thereof ; and

(e) if not, the reasons therfor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) A representation regarding Desert Allowance has been received from the Uttar Railway Karamchari Union.

(b) to (e) The matter concerns all Central Government servants and no unilaterternal decision in respect of Railway servants only can be taken. It is, therefore, under consideration in consultation with the Ministry of Finance.

Quota of Porters reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the Railways

†6929. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no reservation qouta has been fixed for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the category of Porters on the Railways ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the total number of porters recruited for Delhi Junction and New Delhi Railway station during the last one yeaar ; and

(d) the number out of them of those who belonged to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) (a), (b), (c) and (d) : Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Transfer of Officers of the Northern Railway Headquarters

6930. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Officers of the Northern Railway Headquarters are transferred less frequently than the Officers of other Zonal Railways ;

(b) whether it is also a fact that there are many Officers in the Northern Railway who have been working at one station for more than five years ;

(c) if so, the number of such Officers and the reasons for which they have not been transferred elsewhere, and

(d) whether Government propose to transfer them and if so, when ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (d) : The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

सिगनल विभाग (पूर्वोत्तर रेलवे) में श्रेणी दो के पदों के लिये अधिकारियों का चयन

6931. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी सिगनल विभाग के श्रेणी दो पदों के लिए अधिकारियों का चयन करने वाले हैं और यह चयन वरिष्ठ अहर्ता प्राप्त इंजीनियरों स्नातकों को छोड़कर कुछ कर्मचारियों में से ही किया जायेगा,

(ख) क्या यह चयन जनरल मैनेजरों को लिखे गये 6 नवम्बर, 1961 के रेलवे बोर्ड के आदेश संख्या ई (एन० जी०) 61-आर० सी० आई०-34 का उल्लंघन करके किया जा रहा है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस चयन को तब तक रोक देने का है जब तक मामले की पूरी तरह जांच नहीं हो जाती ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं । द्वितीय श्रेणी में प्रवरण के लिए कर्मचारी का स्थायी होना पूर्वापेक्षित शर्त है । इसलिए अस्थायी कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जिनमें इन्जीनियरी स्नातक भी शामिल हैं, विचार नहीं किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

Consultative Committees at National Level and in Zonal Railwavs

Shri Molahu Prashad : Will the minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the Formal and Informal Consultative Committees functioning at national level and under the Zonal Railway under his Ministry ,

(b) the principles followed in deciding their terms and in making selections therefor ; and

(c) the names, designations and present addresses of the Chairman and Members of the said Committees ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Various formal and informal Cosultative Committees are functioning on Indian Railways. A National Railway Users, Consultative Council functions under the aegis of the Ministry of Railways (Railway Board), in addition to the Zonal Railway Users' Consultative Committees set up at the Headquarters of each Zonal Railway and the Railway Users, Consultative Committee at the Divisional levels. There are also other Consultative bodies functioning at the Zonal Railway levels viz. Time Table Committee, Catering Supervisory Committee, Book Stall Advisory Committee and Railway Users' Amenities Committee. At the station level also, wherever considered necessary, Station Consultative Committees and local Catering Advisory Committees are functioning.

Besides, there are nine Informal Consultative Committees of Members of each Zonal Railway, functioning at the national level.

(b) : The Railway Users' Consultative Bodies are constituted generally on the principle of securing representation of various identifiable and important groups of rail users. Representation is specifically provided for Chambers of Commerce, Trade Associations, Agricultural Associations, Passenger Associations, Members of Parliament, representatives of State Governments, Members of State Legislatures, Retired well-known educationists are associated in Book Stall Advisory Committees and representatives of well known social organisations (consisting of mostly ladies) and Passenger Associations are nominated on the Catering Supervisory Committees.

In so far as the Informal Consultative Committees are concerned, these have been constituted by the Department of Parliamentary Affairs on the basis of preferences indicated by Members of Parliament for nomination thereon. These Committees have been constituted for the entire duration of Fourth Lok Sabha or till the Committees are reconstituted. A Member also ceases to be a member of these Committees when he ceases to be a Member of Parliament.

(c) The names and addresses of the Members of the National Railway Users' Consultative Council are printed in the All India Railway Time Table. The Zonal Railway Users' Consultative Committee for the present term of two years commencing

from 1.4.1970 are under constitution, and the names and addresses of the Members will be printed in the Time Table of the respective Zonal Railway. As already stated in reply to part (a) of the Question, there are a large number of Consultative Committees functioning at various levels. Compilation of the information in regard to names and addresses of the members of these Committees will involve considerable labour and time which will not be commensurate with the results likely to be achieved.

If the Hon'ble Member could indicate the particular Advisory Committee functioning at the Zonal, Divisional or Station level for which the information is required, this can be collected and furnished.

As regards the Informal Consultative Committees, the Minister of Railway presides over the meeting of these Committees. So far as Members are concerned, nine lists giving the names of the Members as furnished by the Department of Parliamentary Affairs are attached.

The addresses of the Members, who are all Members of Parliament, are given in the List of Addresses brought out by the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat.

Pay Scales and Allowances of Nurses in the Railway Department

6933. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government would give same pay scales to Nurses as are being given to the Inspectors of the Mechanical and Engineering Departments ;

(b) whether it is a fact that all the allowances (except Dearness Allowance) being paid to the Nurses were fixed as back as 20 years ago.

(c) if so, whether Government propose to pay them arrears for the last 20 years in respect of washing allowance, messing allowance, uniform allowance, etc. according to the increase registered in the prices in this regard ;

(d) whether it is also a fact that a discriminatory policy is being followed by Government in giving higher payscales to nurses on promotion ; and

(e) if not, the reasons for not giving the grade of Rs. 335-425 to a Matron Grade-III ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (e) : The main considerations for determining the scale of pay of a post are the nature of duties, work-load, qualifications required for the job aad the worth of charge of the post. Based on these considerations, the Second Pay Commission recommended scales of pay for the Nursing staff of the Central Government, including Railways. The existing pay structure of Nursing Staff on Railways is based on the recommendations of the Second Pay Commission which were fully accepted by Government. Similarly, the scales of pay of Inspectors of Mechanical and Engineering Departments are also based on the recommendations of the Pay Commission. Their scales cannot, however, be allotted to Nurses as the duties and responsibilities of these two categories of staff are entirely different and cannot be compared. Matrons, Grade III have been allowed the same scale (viz. Rs. 250-380) as has been allowed to similar staff on the Civil side. There is no scale of Rs. 335-425 specified in the pattern of scales recommended by the Pay Commissien for the Nursing Staff.

(b) No. The adequacy or otherwise of the messing, laundry and uniform allowances granted to Nursing staff was reviewed in 1961 and the rates increased where considered necessary, keeping in mind the fact that on the Railways the Nursing staff are entitled to full dearness allowance, whereas on the Civil side the Nursing staff are given only a part of the dearness allowance.

(c) Does not arise in view of reply to part (b) above.

(d) No.

Problems being faced by "Essential" Staff of North Eastern Railway, Gorakhpur

†6934. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 30th January, 1970 a Member of Parliament had written a letter to him regarding the major problems and their solution, which are being faced by the Essential Staff of the North Eastern Railway, Gorakhpur ;

(b) if so, the contents thereof and the action taken by Government to solve the said problems ; and

(c) the manner in which the seniority of the staff rendered surplus due to divisionalisation on the North Eastern Railway would be fixed and whether it would not affect the seniority of staff falling under other categories ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) (a), (b) and (c) : Shri Chandra Shekhar M. P. had forwarded certain grievances of staff of North Eastern Railway on various points such as promotion, recruitment, allotment of quarters, fixation of seniority etc. The matter in under examination.

Problem of Nurses employed in Indian Railways

6935. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Chandrika Prasad, Member of Parliament (Lok Sabha) had written a personal letter addressed to Shri G. D. Khandelwal, former Chairman of Railway Board, on the 19th March, 1969 in respect of the problems of nurses and for making improvement in their conditions ; and

(b) if so, the contents of the said letter written to Shri Khandelwal by him and the steps taken by Government for solving the said problems ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) A copy of his letter and the reply sent to him are attached.

(**Placed in Library. See L. T.** 3258-70).

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा बेची गई इस्पात की दोषपूर्ण चादरों और कतरनों का वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा उचित उपयोग

6936. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री इस्पात की दोषपूर्ण चादरों की सप्लाई के बारे में 3 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1250 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्टेट डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज को परामर्श देगी कि वह उन पार्टियों पर कड़ी निगरानी रखे जिनको उनके द्वारा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की इस्पात की दोषपूर्ण चादरों तथा इस्पात की कतरनों के आवंटन की सिफारिश की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उक्त माल उनके द्वारा बाजार में न बेचा जाये बल्कि अपने कारखानों में उनके द्वारा उसका उपभोग किया जाय; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मेसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एन्ड बैरल मन्यूफैक्चरिंग कम्पनी

6937. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री मेसर्स ड्रम एन्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के बारे में 10 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2241 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी आवश्यक जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो जानकारी उपलब्ध कराने में और कितना समय लगेगा; और

(घ) उसे संकलित करने में विलम्ब क्यों हो रहा है ।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : जो सूचना प्राप्त हुई है, वह पूरी नहीं है । पूरा ब्यौरा जो सुनिश्चित किया जा रहा है यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

मेसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एन्ड बैरल मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी बम्बई

6938. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री मेसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एन्ड बैरल मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई के बारे में 10 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2242 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स स्टैंडर्ड ड्रम मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा वर्ष 1959 में सेबरी से हटा कर ट्राम्बे में ले जायी गई मशीनों तथा उपकरणों, तत्पश्चात् उनमें की गई वृद्धियों और उसके द्वारा सेबरी में छोड़ा गया संयंत्र तथा मशीनरी की इस कम्पनी द्वारा विस्तृत सूची के सम्बन्ध में दी गई जानकारी की जांच सरकार खुद अपने रिकार्डों से करेगी और उसे सभा-पटल पर रखेगी;

(ख) क्या इस कम्पनी द्वारा स्टैंडर्ड वेक्यूम रिफाइनरी कम्पनी के लिये 'तारकोल के ढोल' का निर्माण करने के लिये अपने तेल बैरल संयंत्र को ट्राम्बे ले जाये जाने के बाद सेवरी में रखी गई मशीनें छोटे ढोलों का निर्माण कर सकती थी;

(ग) क्या उसके सरकार की पूर्वानुमति से सेब्रुरी और ट्राम्बे में कई बार अपने संयंत्र तथा मशीनरी में वृद्धि की थी; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस कम्पनी के विरुद्ध अपनी क्षमता का अवैध, अनधिकृत तथा पर्याप्त विस्तार के लिये क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : इस मामले की जांच की जा रही है। एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

Quota for Export of Steel Products

6939. **Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Naval Kishore Sharma.**

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision not to sanction any quota for export of structurals, rods, bars and billets of steel in future ; and

(b) if so, the reasons therefor and its likely effect on the export trade of India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No, Sir. However, as a temporary measure it has been decided that fresh commitments for export of structurals, rods, bars and billets after the 16th March, 1970 will be permitted only with the prior approval of Government.

(b) Does not arise.

बिड़ला समवाय समूह के विरुद्ध जांच

6940. **श्री रवि राय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला समवाय समूह से सम्बन्धित कुछ मामलों सम्बन्धी कार्य निपटाने के लिये समवाय कार्य विभाग में एक विशेष प्रभाग (सैल) बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उसने उपर्युक्त समूह को 26 कम्पनियों से सम्बन्धित बातों, लेखों तथा अन्य कागजातों का निरीक्षण किया है; और

(ग) अब तक जिन कम्पनियों के बारे में जांच की गई है उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : 16 अप्रैल, 1970 तक, कम्पनी अधिनियम की धारा 209(4) के अन्तर्गत, चवालीस कम्पनियों के लेखे की किताबों का निरीक्षण किया गया है। इस समूह की दो कम्पनियों के सांविधिक रजिस्टरों का भी निरीक्षण किया गया है।

(ग) निरीक्षण की गई कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी० 3259-70]

औद्योगिक लाइसेंस नीति के सम्बन्ध में इन्डियन मरचेंट्स चेम्बर के अध्यक्ष के विचार

6941. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन मरचेन्ट्स चेम्बर अध्यक्ष ने हाल में बम्बई में कहा था कि उद्योगों को लाइसेंस देने सम्बन्धी सरकार की नीति की क्रियान्विति में दत्त समिति की विभिन्न सिफारिशों के बारे में की गई आलोचना को ठीक तरह से नहीं समझा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार सथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : बम्बई में दिया गया श्री एस० पी० गोदरेज का भाषण सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की सिफारिशों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के उपरान्त तथा विभिन्न हितों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करके जिनमें उद्योग भी सम्मिलित है, अपना निर्णय घोषित किया है सरकार का विचार है कि नीति परिवर्तन जो सरकार ने समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् घोषित किए हैं वे देश की वर्तमान विकासमान स्थिति में तथा उसे समग्र सामाजिक उद्देश्यों के संदर्भ में परम उपयुक्त है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम-प्रधान उद्योग

6942. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने सरकार को हाल ही में यह सुझाव दिया है कि देश में, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में, श्रम प्रधान उद्योग अधिकाधिक स्थापित किये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Staff employed in Precision Instruments Plant, Kota

6943. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Officers and employees working in the Precision Instruments Plant at Kota ;

(b) the number of employees in different categories together with the respective pay scales;

(c) whether bonus is also paid to the employees of the factory, and if so, the amount thereof, category wise as also the details of other facilities provided to them ; and

(d) the profit earned by the said factory during each of the last three years and, if no profit was earned, the reasons therefor and the steps taken by Government to improve the situation in this connection ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) The number of officers and employees working in the Precision Instruments Plant at Kota as on 1.4. 1970 is as follows :

Officers		115
Employees		979
	Total	1094

(b) The number of employees in different categories together with the respective pay scales is as follows :

Managerial	**Number**	**Total as on 1.4.70**
Rs. 2500-3000	1	
1600-2000	1	
1300-1600	3	
1100-1400	13	18
Supervisory		
Rs. 700-1250	44	
400- 950	54	
450- 650	1	
450- 575	8	
370- 475	8	
370- 575	1	
350- 575	4	
325- 575	6	
270- 575	10	
335- 425	24	
250- 380	80	240
Clerical		
Rs. 210- 410	37	
130- 300	12	
130- 240	48	
110- 120	10	
110- 139	64	171

Workers 'A' Grade		
Rs. 205-280	57	57
Workers 'B' Grade		
150-240	16	
155-220	120	136
Workers 'C' Grade		
Rs. 115-185	96	
110-139	2	
100-130	72	170
Drivers		
110-139	10	10
Jr. Service Personnel		
Rs. 85-95	5	
70-85	233	238
Others	19	19
Engg. Graduate Appr. (Stipend 350/-)		10
Assembly Trainees (Stipend 70/-)		25
	Grand Total	1094

(c) The Company commenced production on the 25th September 1968 and has yet to make profit. Accordingly, the question of payment of bonus does not presently arise.

Details of other facilities provided to the employees are as follows :

(a) Free medical treatment of employees and their families including medical reimbursement.

(b) Education of children of employees.

(c) Leave Travel Concessions.

(d) Recreation and welfare facilities at Company's expense.

(e) Provident Fund Scheme.

(f) Assistance in case of need through Welfare Fund.

(g) Housing facilities at subsidised rates.

(d) Production commenced only on the 25th September 1668. According to the Detailed Project Report, Profits were expected to be earned by the Company after three years of commencement of production.

Investment and Production in Precision Instruments Plant, Kota

6944. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total investment made in the Precision Instruments Plant at Kota.

(b) the amount of foreign and Indian investment therein, separately ;

(c) the production capacity of the said factory and the quantity by which its production falls short of its capacity together with the reasons therefor; and

(d) the time by which the said factory would be able to bring its production to its full capacity ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) The investment made in the Precision Instruments Plant at Kota by the Government of India as on the 31st March 1970, is as follows :

Share Capital	Rs. 389.53 lakhs
Loan	Rs. 192.00 lakhs
Total	Rs. 581.53 lakhs

This Plan is being aided by the Soviet Credit of September, 1959. There is no foreign investment in the Plant.

(c) and (d) : In accordance with the Company's Detailed Project Report, the production capacity of instruments was of the value of about Rs. 11 crores per annum after the 7th year from the start of commercial production. The Plant commenced production on the 25th September 1968.

Due to the difficult resources position in the country and the consequent slackening of demand, the Company diversified its product-mix in 1968 to cover a number of instruments giving capability to the Plant to meet the needs of Steel and Thermal Power Plants on a near turn-key basis. Further diversification of the Plant's products has been necessitated to provide for the manufacture of the pneumatic range of instruments which were originally planned for production at the Company's Palghat Plant. This will enable the Plant to secure greater utilisation of capacity and also meet the growing need of Fertiliser and Chemical Plants.

Crisis in Diesel Engine Industry in Ghaziabad

6945. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a press report that the Diesel Engine Industry in Ghaziabad is facing financial crisis, as a result of which about 15,000 workers are likely to be thrown out of employment ;

(b) if so, the details thereof and the steps being taken by Government to improve the situation in this regard ; and

(c) the number of factories which have been so affected ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Claims for Goods Lost on Indian Railways

6946. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of claims preferred to various Railways for the goods stolen in transit during the years 1967-68 and 1968-69 and other details thereof, Railway-wise and year-wise ;

(b) the extent of increase or decrese in the number of such claims, year-wise, and if these claims have increased, the reasons therefor and the action taken by Government to reduce their number ;

(c) the number of claims among them, which have been disposed of and of those which are yet to be disposed of and the reasons for which they could not be disposed of so far and the date from which each of them has been lying pending ; and

(d) the steps being taken by Government for their speedy disposal ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b) : Cause-wise break-up of claims preferred is not maintained in view of the fact that most of the claims are initially preferred for "non-delivery" or "loss" of consignments, though, during investigations, it may come to light that some cases involved thefts of consignments also.

In view of the position explained above, the nubmer of compensation claims preferred to the various railways in 1967-68 and 1968-69 irrespective of the cause of the claim and the increase/decrease, Railway-wise, are given in the statement atteched.

(**Placed in Library. See L. T.** 3260-70)

As will be seen from the statement, while, certain zonal railways have received a larger number of claims in 1968-69 as compared to the previous year, on certain others, there is decline.

Taking the position obtaining on all the zonal railways together there has been an increase of 16,612 claims in 1968-69, as compared to 1967-68, which constitute 2.36% of the number of claims received in 1967-68, as against an increase of 3.25% in originating traffic in these commodities.

(c) : The information in the specific form asked for is not available. However, a statement showing the number of claims pending on various railways as on 31.3.1970, categorised into cases pending for more than three months but less than six months, cases pending for periods between six months and twelve months and cases more than twelve months old is appended : —

Railway	Number of cases pending as on 31.3.1970			
	Pending for more than 3 months but less then 6 months.	Pending for six months or more but less than 12 months.	Pending fot 12 months or more.	Total.
1	2	3	4	5
Central.	854	278	18	1,150
Eastern.	3,456	1,607	385	5,448
Northern.	2,463	452	99	3,014
North Eastern.	464	590	660	1,714

1	2	3	4	5
Northeast Frontier.	308	59	3	370
Southern.	445	118	2	565
South Central.	392	128	9	529
South Eastern.	1,781	489	92	2,362
Western.	380	34	—	414
Total.M	10,543	3,755	1,268	15,566

(d) : All possible steps are taken to ensure speedy disposal of compensation claims. An Expert Committee has been making a study of the practices and procedures prevalent on railways in the matter of claims prevention and claims settlement and to suggest effective ways and means of quick and purposeful settlement of claims and similar allied matters. Its report is expected soon.

उत्तर प्रदेश तथा बिहार में मध्यावधि निर्वाचनों में मतदाताओं को डराना-धमकाना

6947. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष उत्तर प्रदेश तथा बिहार में मध्यावधि निर्वाचनों में मतदाताओं को डराने-धमकाने के कई मामलों के बारे में निर्वाचन आयोग को सूचनायें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्वाचन आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि मतदाता को डराने-धमकाने अथवा उस पर बल प्रयोग करने के कार्य को ऐसा अपराध घोषित किया जाए जो तीन वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माने से या दोनों से दंडनीय हो;

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार कर लिया है और, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) निर्वाचन आयोग द्वारा और क्या सिफारिशें की गई हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद युनुस सलीम) :

(क) और (ख) हरिजनों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के मतदाताओं को डराने-धमकाने और उन पर दबाव डालने के बारे में कुछ शिकायतें उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों से निर्वाचन आयोग में प्राप्त हुई थी :—

(i) मेरठ;

(ii) मुजफ्फरनगर;

(iii) बुलन्दशहर;

(iv) अलीगढ़; और

(v) एटा;

बिहार के कुछ स्थानों से भी इसी प्रकार की दो या तीन शिकायतें निर्वाचन आयोग में प्राप्त हुई थीं।

407—खतौली निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम शोरां में 24 और 25 नम्बर वाले मतदान केन्द्रों पर एक वकील ने यह विशिष्ट शिकायत की कि उस स्थान के हरिजनों को मत नहीं देने दिया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) निर्वाचन आयोग की सिफारिशों की परीक्षा सरकार द्वारा की जा रही है।

(ङ) तारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर में 24-2-1970 को निर्वाचन आयोग को मुख्य-मुख्य सिफारिशों के दो विवरण सदन के पटल पर रखे गए। सरकार द्वारा उनकी परीक्षा की जा रही है।

सिकन्दराबाद में भारतीय रेलों के सिगनल तथा दूर-संचार विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण

6948. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों के सिगनल तथा दूर-संचार विभाग के कर्मचारियों को, जब वे सिकन्दराबाद स्थित भारतीय रेलवे सिगनल इंजीनियरिंग तथा दूर-संचार स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होते हैं, वर्दी और यंत्र अपने खर्चे पर लाने के लिये कहा जाता है जबकि रेलों की अन्य शाखाओं के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशासन द्वारा वर्दी और यंत्र मुफ्त दिये जाते हैं, और यदि हां, तो क्या यह कर्मचारियों पर अनुचित भार नहीं है।

(ख) क्या सिगनल तथा दूर-संचार विभाग से कर्मचारियों के ऐसे कई मामले हुए हैं जब उन्हें पूर्व सूचना दिये बिना प्रशिक्षण के लिये भेज दिया जाता है।

(ग) क्या प्रशिक्षण से लौटने पर कर्मचारियों को उन स्टेशनों पर नहीं भेजा जाता जहाँ से वे प्रशिक्षण के लिये जाते हैं।

(घ) क्या इससे कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी होती हैं और वे ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये निरुत्साहित हो जाते हैं।

(ङ) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिये प्रशासन का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

औद्योगिक विकास विभाग के अकिाधिरयों के विरुद्ध जांच

6949. **श्री स० कुण्डू** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथ सामवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने पृष्ठ 64 अनुच्छेद 4.57 (मुख्य प्रतिवेदन) में कहा है "क्योंकि हमारी जांच कार्यवाही व्यक्तियों के आचरण से सम्बन्धित नहीं है, बल्कि पद्धति के कार्यकरण से सम्बन्धित है, इसलिये हमने इन अध्ययनों के परिणामों के बारे में मौखिक गवाही देने के लिये गवाहों को न बुलाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या अपनी जांच तथा अध्ययन के दौरान उनको औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं तथा गलतियों के बहुत से गम्भीर मामले नहीं मिले; और

(ग) क्या सरकार ऐसे अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति, उपयोग अथवा कार्यान्वयन के मामले में कथित कुछ अनियमितताओं, त्रुटियों अथवा अनचित्यों के उदाहरणों का उल्लेख किया है न कि उत्तरदायी व्यक्तियों का विशेष रूप से उल्लेख किया था। सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया है जो अन्य बातों के साथ ही समिति के प्रतिवेदन में बताई गई अनियमितताओं, त्रुटियों तथा अनौचित्यों के मामलों की भी जांच करेगा। उसके विचारणीय विषयों के अनुसार, आयोग से निवेदन किया गया है कि वह उन परिस्थितियों को जिनमें इस प्रकार की अनियमितताएं, त्रुटियाँ अथवा अनौचित्य उत्पन्न हुए बताएं और उनके लिए उत्तरदायी संस्था, कम्पनी अथवा व्यक्तियों को बताएं।

रूस को भारी इन्जीनियरिंग निगम के उपकरणों का निर्यात

6950. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1 फरवरी, 1970 को 'इक्नामिक टाइम्स' में रूस को 'गियर बाक्सों के निर्यात की सम्भावना' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए एक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि भारी इन्जीनियरिंग निगम के अध्यक्ष ने कहा है कि रूस सरकार से भारी विद्युत् तथा परिवहन उद्योग मन्त्री श्री वी० एफ० जियालिन की भारी इन्जीनियरिंग निगम की यात्रा के फलस्वरूप भारी इन्जीनियरिंग निगम रूस को बड़ी संख्या में रिडक्शन गियर बाक्सों तथा पोर्टल क्रेनों का निर्यात कर सकेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारी इन्जीनियरिंग निगम के लिये निर्यात की बात सोचना उचित है जब वह बोकारो इस्पात कारखाने को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सामान नहीं दे सका है और इसमें पहले भी कई बार विलंब हो चुका है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) अध्यक्ष के सही वक्तव्य के बारे में मालूम नहीं है । जनवरी, 1970 में रांची के अपने दौरे के दौरान उन्होंने कहा था कि सोवियत रूस रिडक्शन गियर बाक्सों, पोर्टल क्रेनों और खुदाई की मशीनों की लम्बे समय तक आपूर्ति के लिए भारी इन्जीनियरी निगम, रांची, और खनन और सम्बद्ध यन्त्र निगम, दुर्गापुर, को आर्डर देना चाहेगा । प्रबन्धकों ने इन उपकरणों को निर्यात करने के प्रश्न पर विचार करने की सहमति प्रकट की और कहा कि इन उपकरणों के विशष्ट विवरण और रेखा चित्रों के मिलने के पश्चात् वे विचार करेंगे कि वे किस हद तक तथा किन शर्तों पर माल सप्लाई कर सकेंगे ।

(ग) कारखाने के विभिन्न सेक्शनों में उस समय उपलब्ध क्षमता, प्राप्त हुए तथा प्राप्त होने वाले आर्डरों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्यात करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा । स्टैण्डर्ड वस्तुओं का बड़ी मात्रा में तथा बार-बार निर्माण करने से क्षमता का अधिक उपयोग हो सकेगा और उत्पादन लागत भी कम होगी ।

चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण

6951. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से जैटर–२० ट्रैक्टरों का निर्माण करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस ट्रैक्टर की कीमत उत्पादन के प्रथम वर्ष में 13,000 रुपये के आस-पास होगी और देशी पुर्जों का अधिक उपयोग होने के कारण पांचवें वर्ष में यह बढ़कर 17,000 रुपये हो जायेगी;

(ग) क्या रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् देशी उत्पादों की कीमतें आयातित उत्पादों की कीमतों से कम हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड कीमतों के मामले में आयातित मदों से प्रतियोगिता कर सकेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से अपने पिंजौर एकक में जेटर 2011 (20 अश्व शक्ति) के ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

(ख) तथा (घ) : उत्पादन लागत, बिक्री मूल्य इत्यादि का पता विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के तैयार होने पर चलेगा ।

(ग) जी, हां ।

गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों को टेलीफोन की तार बनाने की अनुमति

6952. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में समुद्री तार कारखानों की क्षमता 60 प्रतिशत बेकार पड़ी है;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों ने विविध प्रकार की चीजें बनाने के लिए इच्छा व्यक्त की है जिनमें टेलीफोन की तार जिसकी देश में कमी है बनाना भी शामिल है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के विविधीकरण की अनुमति देने से इन्कार किया है और वह 1956 के औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प के उपबन्धों के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र में टेलीफोन की तार का निर्माण करने के लिए दूसरा कारखाना स्थापित करना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र को विविध प्रकार की चीजें बनाने की अनुमति देना राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिए किस प्रकार हानिकारक होगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : गत एक या दो वर्षों में औद्योगिक मन्दी और उसके फलस्वरूप बिजली बोर्डों का तथा अन्य मुख्य उपभोक्ताओं द्वारा पावर केबल की मांग कम किए जाने के कारण पावर केबल उत्पादक एककों में निष्क्रिय उत्पादन-क्षमता अवश्य रही किन्तु यह कहना सही नहीं है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के केबल एककों में इस समय 60 प्रतिशत उत्पादन-क्षमता निश्क्रिय है।

पावर केबल निर्माताओं ने निस्संदेह ऐसे अभ्यावेदन दिए हैं कि उनके पास कुछ उत्पादन क्षमता निष्क्रिय पड़ी हुई है जिसका उपयोग दूर संचार केबलों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है किन्तु तथ्य यह है कि पावर केबल निर्माता ऐसी स्थिति में नहीं है कि अतिरिक्त उपकरणों का आयात किए बिना वे डाकतार विभाग की आवश्यकतानुसार दूर-संचार केबलों का उत्पादन आरम्भ कर सकें और दूर संचार केबलों को औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प की अनुसूची 'ए' में सम्मिलित किया गया है। सरकार ने दूर-संचार केबलों की उत्पादन क्षमता को सरकारी क्षेत्र में विकसित करने के बारे में निर्णय करने से पूर्व उच्चतम स्तर पर सावधानी पूर्वक इस बात पर तथा इस प्रस्ताव से सम्बन्धित सभी अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर यह विचार कर लिया था कि क्या वर्तमान गैर सरकारी क्षेत्र के एककों को दूर-संचार केबलों का उत्पादन आरम्भ करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं ।

अलाभकर रेलवे लाइनें

6953. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन द्वारा अलाभकर लाइनों में 690 किलोमीटर

नव निर्मित की अथवा लड़ाई के समय ध्वस्त हो जाने के कारण गत 20 वर्षों में पुनः स्थापित की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 690 किलोमीटर में 6 बड़े लाइन सैक्टर अर्थात अकबरपुर-टांडा, बरहन-एटा, बारासेट-हस्नाबाद, बुखतियापुर-राजगिर, रोहतक गोहाना तथा शोरानूर-नीलामपुर और 4 मीटर लाइन सैक्टर अर्थात फतेहपुर-चूरु, रानीवारा-भिल्दी, मुदखेद-अदिलाबाद और मदुराई-बोडीनायाक्कानुर शामिल हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो, क्या उपरोक्त लाइनों को यह जानते हुए भी चालू किया गया था कि वे अलाभकर होंगी और यदि हां, तो ऐसा निर्णय किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) जी हां, इन 10 खंडों की लम्बाई लगभग 650 किलोमीटर है ।

(ग) इन नई रेल लाइनों का निर्माण-कार्य इन क्षेत्रों के विकास और परिचालन की आवश्यकताओं के अनुरूप रेल संचार की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए, किया गया था। उखाड़ी गई कुछ महत्वपूर्ण लाइनों को फिर से बिछाने का काम इसलिए प्रारम्भ किया गया था क्योंकि इन लाइनों को उखाड़ने के पहले भी इन क्षेत्रों की जनता रेल संचार की सुविधाओं का उपभोग करती थी ।

पूर्व रेलवे में डकैती, चोरी आदि की घटनाएं

6954. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में डकैती, चोरी और अन्य अपराधों में वृद्धि हुई है और यदि हां तो उनकी संख्या क्या है ,

(ख) क्या इस कारण रेल यात्रा असुरक्षित हो गई है; और

(ग) रेल-यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) (i) रेलवे पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पहरा देने और अपराधियों और समाज-विरोधी तत्वों को पकड़ने के लिए समय-समय पर छापा मारने जैसे सामान्य पुलिस प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिमबंगाल और बिहार की राज्य सरकारों ने रात को चलने वाली महत्वपूर्ण सवारी-गाड़ियों में अनुरक्षकों की व्यवस्था प्रभावित क्षेत्रों में हथियार बन्द गश्त लगाने/विशेष शिविर/आरक्षी टुकड़ियाँ स्थापित करने जैसे अतिरिक्त सुरक्षा के उपाय किये हैं ।

(ii) कुख्यात व्यक्तियों के ऊपर निगरानी रखने के लिए रेलवे सुरक्षा दल, रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस से निकट सम्पर्क रखती है ।

(iii) रेलों में अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारियों द्वारा रेलवे पुलिस और राज्य पुलिस अधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(iv) यार्डों या स्टेशन प्लेटफार्मों पर रेल सम्पत्ति की रक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को भी कड़ी हिदायत दी गयी है कि वे शीघ्र अपराध-स्थल पर पहुँचें और आक्रान्त व्यक्तियों की हर सम्भव सहायता करें।

मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इन्डिया (प्रा०) लि० अजमेर में कर्मचारियों की संख्या

6955. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लि० अजमेर में श्रमिकों (श्रेणीवार) पर्यवेक्षकों और कारीगरों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इसके चालू हो जाने पर कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी तथा इसमें कब से नियमित उत्पादन आरम्भ हो जाएगा।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : मशीन टूल्स कारपोरेशन आफ इन्डिया, अजमेर में 16 अप्रैल, 1970 को तथा उच्चतम उत्पादन के समय कर्मचारियों की अन्तोगत्वा संख्या का अनुमान निम्न प्रकार है :—

	16 अप्रैल 1970	उच्चतम उत्पादन
1. उच्च प्रबन्धकी या प्रबन्धक तथा उप-प्रबन्धक	16	44
2. कनिष्ठ अधिकारी	28	94
3. अधीकक्षक (गैर-तकनीकी सहित)	60	179
4. सचिवालयीय कर्मचारी	55	282
5. प्रशिक्षित कर्मचारी (चालक सहित)	70	910
6. अप्रशिक्षित कर्मचारी	63	137
कुल :	292	1646

मशीनी पुर्जों का परीक्षण उत्पादन दिसम्बर, 1969 में आरम्भ हो गया। नियमित उत्पादन 1970 के अन्त तक आरम्भ होने की आशा है।

सीमेंट का उत्पादन तथा खपत

6956. **श्री नवल किशोर शर्मा** : **श्री देविन्द्र सिंह गार्चा** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट का कुल कितना उत्पादन होता है तथा देश में उसकी खपत कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों में सीमेंट की कीमतें दुगनी हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या कीमतों में वृद्धि न्यायसंगत है और क्या इससे ग्रामीणों तथा कृषकों द्वारा निर्माण कार्य के लिए सीमेंट के उपयोग में अड़चन पैदा नहीं होती; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि ग्रामीणों तथा कृषकों को सीमेंट सस्ते दर पर मिले ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फरुखद्दीन अली अहमद) : (क) 1969 में सीमेंट का उत्पादन 136.2 लाख मी० टन हुआ जिसमें से 136.4 लाख मी० टन भेजा गया ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सरकारी कार्यवाइयों जैसे कोयला, रेल भाड़ा, स्वामित्व, विद्युत शक्ति की दर, मजदूरी बोर्ड के पंचाट आदि के कारण मूल्यों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत में वृद्धि से समय समय पर उद्योग में मूल्य वृद्धि करने दिया गया था ।

(घ) विद्यमान व्यवस्था द्वारा यह सुनिश्चिय हो गया है कि उचित मूल्यों पर देश भर में सीमेंट उपलब्ध है । ऐसे अनुदेश जारी किए गये हैं कि सहकारी समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में संभरण प्रबन्ध हेतु सीमेंट नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालयों से सीधे ही सीमेंट अधिग्रहण के लिए बंटन आदेश उपलब्ध कर सकती हैं । संभरणकर्ताओं को भी अनुदेश जारी किए गये हैं कि परम्परागत विक्रेताओं के माध्यम से अब से अधिक सीमेंट ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाना चाहिए । यह देखने के लिए निरन्तर निगरानी रखी जाती है कि सीमेंट के लिए ग्रामीण क्षेत्र परेशान न हो ।

अनाज दालों, तिलहन, कपास, तथा कच्चे पटसन के लदान में कमी

6957. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 के पूर्वार्ध में अनाज, दालों, तिलहन, कपास तथा कच्चे पटसन के लदान में कमी होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या लदान की मात्रा बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) 1969-70 के पहले 6 महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चने और दाल और कच्चे पटसन का यातायात कुछ गिर गया । तिलहन और कपास के यातायात में मामूली गिरावट आयी । चने और दालों के यातायात में गिरावट कम आयात के कारण हुई । पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से रबी की जो कुल फसल यातायात के लिए आयी, उसकी निकासी 1969-70 में दो महीने की रिकार्ड अवधि में की गयी । अन्य स्थानों पर भी प्रायः रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ माल डिब्बे दिये जाते रहे । कच्चे पटसन के लदान पर अगस्त, 1969 में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पटसन की मिलों में हड़ताल और पूर्वोत्तर

सीमा रेलवे में लाइनों की टूट-फूट के कारण प्रभाव पड़ा । दक्षिण पथ्य और दक्षिण रेलों में संचलन पर आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ और तूफानों के कारण अनेक बार लाइन टूट जाने और तेलंगाना आन्दोलन के कारण भी प्रभाव पड़ा । 1969-70 के पहले 6 महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लदान अपेक्षाकृत अधिक समसामयिक रहा । जैसा कि सितम्बर, 1968 और सितम्बर, 1969 के अन्त में बकाया मांग-पत्रों से स्पष्ट है :—

महीना	बकाया मांग-पत्र	
	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
सितम्बर, 1968	21523	20862
सितम्बर, 1969	9996	6441

(ख) और (ग) रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ अधिकतम सम्भव सीमा तक माल डिब्बे दिये जा रहे हैं ।

रेलों की ओर अधिक यातायात आकर्षित करने के उद्देश्य से रेल प्रशासनों ने निम्नलिखित विशेष उपाय किये हैं :—

(i) व्यापारियों से निकट सम्पर्क बनाये रखने और रेलों के लिए अधिक से अधिक यातायात प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक रेलवे में एक विपणन और बिक्री संगठन स्थापित किया गया है ।

(ii) परिवहन में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच तेज सुपर एक्सप्रेस माल गाड़ियां चलायी गयी हैं । इस समय सात जोड़े स्थानों के बीच ये गाड़ियां चल रही हैं ।

(iii) विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों से द्रुत परिवहन सेवाएं शुरू की गयी हैं जिनके परिवहन समय की गारन्टी दी जाती है ।

(iv) घर से माल पहुँचाने के उद्देश्य से विभिन्न नगरों से कंटेनर सेवाएँ शुरू की गयी हैं ।

(v) जब कभी माल डिब्बे आसानी से उपलब्ध किये जा सकते हैं, तो इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापारियों को सूचना दी जाती है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे प्रत्येक वर्ष यातायात की मन्दी के मौसम का लाभ उठाकर अपनी मांगे प्रस्तुत करें ।

(vi) मांग आने पर ग्राहकों को तुरन्त सप्लाई करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण लदान स्थलों पर फालतू खाली माल डिब्बे रखे जाते हैं ।

(vii) प्रत्येक रेलवे में कुछ महत्वपूर्ण माल बुकिंग स्थानों को निर्बाध बुकिंग स्थान घोषित किया गया है जहाँ से आमतौर पर बुकिंग पर परिचालन सम्बन्धी प्रतिबन्ध लागू नहीं होते ।

भारतीय रेलवे में रेलवे अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन

6958. **श्री अदिचन** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे अस्पतालों के चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों के नाम तथा उनकी संख्या

क्या है जिनका वर्ष 1965-66 में निधन हो गया था और जिनके आश्रितों को अभी तक परिवार पेंशन नहीं मिली है,

(ख) इसमें विलम्ब करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ मामलों में उनके आश्रितों को अब तक परिवार पेंशन के उनके हकदार होने के बारे में कोई सूचना भी नहीं दी गई है, और यदि हां, तो इसमें विलम्ब करने के क्या कारण हैं, और

(घ) इन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन लिमिटेड के मामले की जांच करने वाले आयोग का प्रतिवेदन

6959. **श्री रामावतार शर्मा** : **श्री देवेन सेन** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड के मामलों को जांच करने के लिये नियुक्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपयुक्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा सयवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) : रिपोर्ट को सम्बन्धित मन्त्रालयों के परामर्श से परीक्षा की जा रही है ।

विदेशी सहयोग से स्थापित औद्योगिक कम्पनियां

6960. **श्री काशी नाथ पांडेय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहयोग से भारत में कार्य कर रही औद्योगिक कम्पनियों तथा सहयोग कर्त्ताओं के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में सप्लाई किए जाने वाले संयंत्रों, मशीनों तथा दी जाने वाली तकनीकी जानकारी की तुलना में कितने प्रतिशत साम्य पूंजी लगाने की अनुमति है;

(ग) क्या ऐसे भी मामले हैं जिनमें देश में बनाई जा सकने वाली मशीनों का सहयोग

करारों के अन्तर्गत आयात किए जाने की अनुमति दी गई और यदि हां, तो इन मामलों का ब्यौरा क्या है तथा ये निर्णय किन परिस्थितियों में किए गए हैं; और

(घ) क्या विदेशी मुद्रा में होने वाला पूरा व्यय सहयोग कर्त्ताओं ने वहन किया था और यदि नहीं तो इसके परिणामस्वरूप हमारे विदेशी मुद्रा संसाधनों पर कितना बोझ पड़ा है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) विदेशी सहयोग के मामलों की त्रैमासिक सूची जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय और विदेशी सहयोगियों के नाम भी होते हैं 'जनरल आफ इण्डस्ट्री एन्ड ट्रेड' में प्रकाशित की जाती है ।

(ख) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर खण्ड में आदिमजाति विकास खण्डों के लिए धन की मांग

6961. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 1970-71 में उस राज्य में आदिम जाति विकास खन्डों के लिये धन नियत करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख) : जी हां । 1970-71 से 1973-74 के 4 वर्षों के दौरान सहकारिता योजना से 8.00 लाख रुपये की राशि लेकर लखमीपुर खेरी जिले में एक विशेष क्षेत्र परियोजना खोले जाने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है ।

चलचित्र समवायो की प्राथमिकता तथा प्रदत्त पूंजी

6962. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजय प्रोडक्शन (प्राइवेट) लिमिटेड, मद्रास और ए० बी० एम० लिमिटेड, मद्रास की प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी कितनी है और इनके निदेशक मन्डलों के सदस्यों के नाम क्या है;

(ख) क्या प्रबन्ध निदेशक और उसका पुत्र समवाय के धन का घोर दुरुपयोग करने के अपराधी पाये गये हैं और क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) इन समवायों के निदेशकों की कुल परिसम्पत्ति कितनी है और इसके सहायक प्रतिष्ठान कौन-कौन से हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क)

कम्पनी का नाम	निदेशकों के नाम	अधिकृत हिस्सा पूंजी	प्रदत्त हिस्सा पूंजी	टिप्पणी
1	2	3	4	5
विजय प्रोडक्शन्स (प्रा०) लि० मद्रास	(1) **श्री आर० नागी रेड्डी** (प्रबन्ध निदेशक)	2,50,000 रु०	2,50,000	(30-9-69 तक)
	(2) **श्री ए० बी० सुब्बा राव**			
	(3) **श्री पी० रामन्ना रेड्डी**			
ए० वी० एम० लि०, मद्रास	(1) **श्री टी० एस० मुत्थू स्वामी**	10,00,000 रु०	6,41,700रु०	(30-4-69 तक)
	(2) **श्री जी० टी० चिदम्बरम**			
	(3) **श्री डी० सत्यनारायण**			
	(4) **श्री एम० मुरगान**			
	(5) **श्री जे० मुहम्मद**			
	(6) **श्री एम० बालासुब्रामैनियन**			

(ख) तथा (ग) : प्रबन्ध निदेशक तथा उसके पुत्र द्वारा कम्पनी के धन के दुरुपयोग को सुझाने वाली कोई सामग्री दृष्टिगोचर नहीं हुई है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 अथवा 237 (ख) के अन्तर्गत, इन दोनों कम्पनियों के कार्य-कलापों की बाबत, कोई जांच-पड़ताल आदेश नहीं दिये गये हैं।

(घ) इन दोनों कम्पनियों के निदेशकों तथा उनके सहयोगियों को कुल परिसम्पतियों को बाबत सूचना उपलब्ध नहीं है। यह भी बताया जाता है कि एक निदेशक को एक कम्पनी में केवल परिसम्पतियां अर्थात उक्त कम्पनी में उसकी हिस्सेधारिता, तथा उसके द्वारा कम्पनी को दी गई अग्रिम ऋण की राशि, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, कम्पनी द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रारों को मिसिल की गई अपेक्षित विवरणियों में दी जाती है।

श्रम-साध्य श्रेणी के नियंत्रकों के कार्य के घन्टे

6963. **श्री शशि भूषण** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियन्त्रकों को 'श्रम साध्य' श्रेणी में रखा गया है और उन्हें प्रति दिन छः घन्टे कार्य करना होता है किन्तु उन्हें बिना किसी पूरे दिन की छुट्टी के वर्ष के पूरे 365 दिन काम करना पड़ता है,

(ख) क्या छः घन्टे के कार्य के बाद 12 घन्टे का विश्राम, जिसमें कार्य भार सौंपने का तथा संभालने और घर से कार्य स्थान तक जाने तथा वहाँ से घर आने में लगने वाला समय भी सम्मिलित है, बहुत अधिक श्रम साधना है,

(ग) क्या यह अमानवीय तथा देश के श्रम कानूनों के विरुद्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो बहुत कार्य भार से दबी इस श्रेणी के लिए रेलवे का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं । काम के घन्टे विनियमों के अन्तर्गत रेलों पर सेक्शन नियन्त्रकों का वर्गीकरण कार्य विश्लेषण द्वारा निर्धारित उनके कार्यभार के आधार पर 'गहन' या 'सतत' के रूप में किया गया है । उन्हें प्रत्येक सप्ताह में क्रमशः 45 या 54 घन्टे ड्यूटी करनी होती हैं और जब वे निर्धारित सीमा से अधिक काम करते हैं तो उन्हें समयोपरि भत्ता दिया जाता है । उन्हें प्रति दिन 6 दौर; में कम से कम क्रमशः 10 या 12 घन्टे का विश्राम दिया जाता है और कम से कम 30 घन्टे की अवधि का एक और विश्राम प्रति सप्ताह दिया जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं, काम के घन्टे विनियमों के सांविधिक विनियमों का पालन किया जा रहा है ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

भारतीय रेलवे में सेक्शन नियन्त्रकों से मुख्य नियन्त्रक तक के वेतन मानों का पुनरीक्षण

6964. **श्री शशि भूषण** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेक्शन नियन्त्रकों को मुख्य नियन्त्रक तक का वेतनमान वर्ष । 1930 में 260 रुपये से 575 रुपये तक था और इस समय वर्ष 1970 में यह वेतनमान 250 रुपये से 575 रुपये तक है; और

(ख) यदि हां, तो इस श्रेणी में कर्मचारियों का वेतनमान न बढ़ाने के क्या कारण हैं जो कि रेलवे के सभी संचालन कार्यों के केन्द्र बिन्दु माने जाते हैं और रेलवे के तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों से पूर्व कर्मचारियों की इस अवरुद्ध श्रेणी के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : संलग्न विवरण (अनुबन्ध 'क') में 1930 से नियन्त्रकों की कोटि के वेतन-मान दिये गये हैं । इससे यह स्पष्ट है कि आमतौर से वेतन मानों में 1931 के बाद से वेतन मानों की तुलना में सुधार हुआ है । सरकार अब इस कोटि के वेतन मान को अकेले संशोधित करना उपयुक्त नहीं समझती । जहाँ तक उल्लिखित नियन्त्रकों का अपने वेतन मान के अधिकतम पर रुके रहने का सम्बन्ध है, हाल में ही ऐसे राजपत्रित कर्मचारियों को, जो दो वर्ष से अधिक समय से अपने वेतन मान के अधिकतम पर रुके हुए हैं,.....राहत देने के रूप में वैयक्तिक वेतन दिये जाने के लिए आदेश जारी किये गये हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए एल० टी०** 3261-70]

Four-Wheeler and Eight-Wheeler Saloon Cars For Broad-Gauge and Metre-Gauge Lines

6965. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of four-whepler and eight-wheeler Saloon Cars in the country ;

(b) the number among them of those which run on the metre-gauge line and of those which run on the broad-gauge lines ;

(c) the number of them of those which are airconditioned and also of those which are not ;

(d) the number of such Saloon Cars ten years ago and the number of them at the end of 1969 ;

(e) the number of Saloon Cars manufactured annually ; and

(f) the shedding arrangements made therefor and shedding capacity available in this respect with one single Railway Division ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a), (b), (c) and (d): Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

(e) No saloons are being manufactured.

(f) No special sheds are constructed for the purpose.

Post of Joint Director (Official Languages) in Railway Ministry

6966. **Shri Ramesh Chandra Vyas** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some time past a post of Joint Director (Official Languages) was created in his Ministry ;

(b) if so, whether some person has been appointed on that post ; and

(c) if not, the reasons thereror ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes, Sir.

(b) Orders have been issued for appointment of a Railway Officer as Joint Director (Official Languages).

(c) Does not arise.

Staff employed in Educational Institutions run by Railways.

***Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of places where the Railways are running High Schools, Higher Secondary Schools and Inter Colleges ;

(b) the number of posts of Principals, trained Graduate Teachers and trained Post-Graduate Teachers or Lecturers, separately, in each of the said Schools and Colleges and the number of such posts against which the persons have been working ; and

(c) the number of Teachers and Principals out of them belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c) : The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

Door-To-Door Railway Service in Madhya Pradesh During Fourth Plan

6968. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government proposes to provide door to door Railway service in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, the towns in which such service is proposed to be provided; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No. No specific proposals are at present under consideration for providing door to door railway service in the cities of Madhya Pradesh.

(b) Does not arise.

(c) The provision of these services is considered on the basis of the prospects of traffic likely to be attracted to the Railway and the traffic being sufficient to attract a suitable contractor to operate the service.

The provision of such services at Bhopal, Jabalpur and Bilaspur has been considered but in view of insufficient traffic prospects, it was not found to be financially justified. However, a City Booking-cum-Street Delivery and Collection service for parcels and goods existing at Indore which was closed down from 1.2.69 due to the contractor's unwillingness to operate the same is being revived and a new contractor is being appointed.

रेलवे में अधिकारियों की कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति

6969 **श्री वीर भद्र सिंह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे और रेलवे बोर्ड में ट्रैफिक (ट्रांसपोर्टेशन) तथा कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अधिकारियों की वरिष्ठ वेतनक्रम से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति देने के क्या नियम और विनियम हैं,

(ख) पहली जनवरी, 1957 से ट्रैफिक (ट्रांसपोर्टेशन) और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में वरिष्ठ वेतन क्रम से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में स्थानापन्न या अस्थाई तौर पर तदर्थ पदोन्नति दिये गए अधिकारियों के नाम वरीयता क्रम से क्या है तथा उन्हें यह पदोन्नति कब से दी गई, और

(ग) ट्रैफिक (ट्रांसपोर्टेशन) तथा कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के उन अधिकारियों के नाम वरीयता क्रम से क्या हैं जो उन अधिकारियों जिन्हें। जनवरी, 1970 से अस्थाई तदर्थ अथवा स्थानापन्न पदोन्नति दी गई, से वरिष्ठ थे या हैं तथा उन्हें यह अवसर न देने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) रेलों में परिवहन (यातायात) तथा वाणिज्य विभाग के कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड में नियुक्तियां योग्यता के आधार पर ऐसे अधिकारियों में से प्रवरण के द्वारा की जाती हैं जिन्होंने श्रेणी 1 (वरिष्ठ वेतन क्रम) में सामान्यतया कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो। रेलवे बोर्ड में परिवहन (यातायात) तथा वाणिज्य विभाग के संयुक्त निदेशकों के पद सामान्यतया रेलवे के कनिष्ठ प्रशासी या मध्यवर्ती प्रशासी ग्रेड के उपयुक्त अधिकारियों द्वारा प्रवरण के आधार पर भरे जातें हैं।

(ख) और (ग) : सूचना मंगायी जा रही है सभा-पटल पर और रख दी जायेगी।

सतपुड़ा रेलवे (उत्तर रेलवे) के लिए बड़ी रेल लाइन

6970. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतपुड़ा रेलवे (उत्तर रेलवे) की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में क्या अलाभकर शाखा लाइन समिति (1969) की उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने की योजना है,

(ख) यदि हां, तो इसकी मोटी रूप रेखा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क), (ख) और (ग)अलाभप्रद शाखा लाइन समिति,1969 की सिफारिशों के अनुसार समिति की आमान परिवर्तन/लाइनों केविस्तार से सम्बन्धित सिफारिशों में से 10 के बारे में ब्यौरेवार यातायात सर्वेक्षण 1970-71 में किये जा रहे हैं। जब ये सर्वेक्षण पूरे हो जायेंगे और उनके परिणाम सामने आ तो जायेंगे, आमान परिवर्तन/ लाइनों के विस्तार से सम्बन्धित समिति की अन्य सिफारिशों (जिनमें सतपुड़ा छोटी लाइन के उत्तरी खंड को बड़ी लाइन में बदलने के सिफरिशों सम्बन्ध में की गयी शिफारिश भी शामिल है) के सम्बन्ध में सर्वेक्षण शुरू करने के बारे में विनिश्चय किया जायेगा।

चोरी के कारण रेलवे को हानि

6971. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चोरी के कारण रेलवे को प्रति वर्ष कितनी हानि होती है ;

(ख) इसमें से कितनी हानि रेलवे सुरक्षा दल के कारण होती है ;

(ग) क्या रेलवे सुरक्षा दल का प्रत्येक व्यक्ति अपने साधनों से अधिक धन व्याय कर रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच की जायेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) उठाईगीरी के कारण वार्षिक क्षति निर्धारित करने का सही सूचकांक केवल वह रकम है, जिसका भुगतान क्षतिपूर्ति के रूप में किया जाता है। 1968-69 के दौरान यह रकम 4.33 करोड़ रुपये थी।

(ख) क्षति का कारण रेल सुरक्षा दल नहीं है, लेकिन चूंकि उसका सम्बन्ध रेल सम्पत्ति की सुरक्षा और बचाव से है इसलिए अपराधिक कारणों से जो क्षति होती है उनकी रोकथाम करना इस दल की जिम्मेदारी। है चूंकि उपर्युक्त क्षति में, रास्ते में होने वाले छोटे मोटे नुकसान भी शामिल हैं जैसे बोरों का फट जाना, छलक कर माल गिर जाना, माल बहना या रिसना। अतएव यह निर्धारित करना कठिन है कि इसमें से कितनी क्षति आपराधिक कारणों से हुई।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

सीमेंट कारखानों के लिए अपेक्षित मशीनों का निर्माण

6972. **श्री दे० बि० सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सीमेंट कारखानों के लिये विशेष रूप से छोटे कारखानों के लिये अपेक्षित मशीनें बनाने के कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में ऐसी मशीनों की वर्तमान वार्षिक आवश्यकता कितनी है तथा उत्पादन कितना है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो चौथी योजना में राज्य से बाहर ऐसे कारखाने स्थापित करने के यदि कोई प्रस्ताव है, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में अनिर्णीत नहीं पड़े हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 1973–74 तक **माँग का अनुमान**
(मशीनों का मूल्य लाख रू० में)
1900

विगत 3 वर्षों में उत्पादन
(मशीनों का मूल्य लाख रू० में)
1967––65.80
1968––81.80
1969––980.0

(घ) सरकार के पास ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं हैं ।

ब्रिटिश स्वामित्व वाले जेस्टेटनरस् लिमिटेड की क्षमता के विस्तार के लिए लाइसेंस

6973. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ब्रिटिश स्वामित्व वाले जेस्टेटनरस् लिमिटेड को 5000 और डुप्लीकेटर मशीनों का निर्माण करने की उनकी क्षमता का विस्तार करने के लिये लाइसेंस दिया है जो कि उनकी एकाधिकार विरोधी नीतियों के विरुद्ध है तथा जो डुप्लीकेटरों के 11 लघु निर्माताओं के हितों के भी विरुद्ध है, जिनमें से कुछ संभरण तथा निपटान निदेशालय की अनुमोदित सूची में शामिल है ;

(ख) क्या सरकार ने इन 11 लघु उद्योगों की उत्पादन क्षमता का कोई मूल्यांकन किया है ताकि यह जाना जा सके कि क्या वे न केवल अगले 20 वर्षों में देश की अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा करने, अपितु निर्यात के लिये भी अतिरिक्त क्षमता रखने के लिये अपना उत्पादन पर्याप्त बढ़ा सकते हैं ; और

(ग) क्या जेस्टटनरस् लिमिटेड का विस्तार करने के लिये लाइसेंस देने के बारे में लघु

उद्योग विकास आयुक्त की राय ली गई थी और यदि हां, तो इस आयुक्त की क्या राय थी और क्या वे विस्तार करने के लाइसेंस देने के पक्ष में थे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : डुप्लीकेटरों का निर्माण उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस प्राप्त करने के उपबन्धों में नहीं आता क्योंकि यह उद्योग उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में नहीं है। मेसर्स जेस्टेटनर डुप्लीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता जो कि ब्रिटेन की कम्पनी की पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय अधीनस्थ कम्पनी है और वह पहले से ही डुप्लीकेटरों का निर्माण कर रही है और तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची पर है। इसने मई 1968 को 5000 डुप्लीकेटर (नया नमूना) प्रति वर्ष के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे जिसकी विशेषतायें निम्न प्रकार है ;

1. कम्पनी अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत निर्यात करेगी और वह अपने निर्यात के स्तर में और सुधार करेगी।

2. वह यथाशीघ्र व्यावहारिक होने पर भारतीय पूंजी को भी शामिल करेगी।

3. अपने डुप्लीकेटरों के पुर्जों का अधिकांश लघु उद्योग एककों से बनवायेगी।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस योजना की सिफारिश इस आधार पर की थी कि इसके पुर्जों का अधिकांश पश्चिमी बंगाल के लघु एककों द्वारा निर्मित किया जायेगा और इनका सहयोजन कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

लघु उद्योग विकासयुक्त ने इस कम्पनी को विस्तार की अनुमति दिये जाने के कारण लघु उद्योग पर पड़ने वाले कुप्रभाव की आशंका व्यक्त की थी। डुप्लीकेटरों की मांग का अनुमान नहीं लगाया गया है। सविस्तार जानकारी भेजने के लिये सभी लघु उद्योग एककों को एक परिपत्र भेजा गया था किन्तु दिल्ली स्थित एक एकक को छोड़कर किसी से भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्त विचारों को और विशेषकर इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि कम्पनी अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत निर्यात करेगी तथा लगभग 60 प्रतिशत पुर्जों को लघु एककों का निर्माण हेतु देगी, यह समझा गया था कि इस कम्पनी के विस्तार का लघु एककों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः प्रस्ताव को दिसम्बर 1968 में स्वीकृति दे दी गई थी।

भारतीय रेलवे के कुलियों तथा विक्रेताओं के सम्बन्ध में अध्ययन दल का प्रतिवेदन

6974. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के कुलियों तथा विक्रेताओं के सम्बन्ध में अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) समिति की कई सिफारिशें मान ली गयी हैं और तदानुसार आदेश जारी कर दिये गये हैं। बाकी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल० टी०** 3062/70]

अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्य-लिपिक संघ का प्रतिनिधि-मण्डल

6976. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : **श्री श्रीचन्द गोयल** :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मार्च, 1970 को उनसे कुछ संसद सदस्यों के साथ अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्य लिपिक संघ के एक प्रतिनिधि-मंडल ने भेंट की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अपनी मांगों के बारे में उन्होंने एक ज्ञापन भी उन्हें प्रस्तुत किया था ;

(ग) यदि हां, तो ज्ञापन का पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(घ) ज्ञापन की प्रत्येक मद पर अलग-अलग सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें उनकी मांगों का ब्यौरा और उनके सम्बन्ध में टिप्पणियां की गयी हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये एल० टी०** 3263-70]

गृह-कार्य तथा वित्त मन्त्रलायों द्वारा जारी किये गये विभिन्न आदेशों की कार्यान्विति

6978. **श्री लखन लाल कपूर** : **श्री क० लकप्पा** :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मन्त्रालय तथा वित्त मन्त्रालय द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी किये गये हैं :—

(1) कर्मचारी निरीक्षण के यूनिट के अध्ययनों के प्रशासनिक सुधार को लागू करने के फलस्वरूप फालतू घोषित हुए कर्मचारियों को अन्यत्र काम पर लगाने के बारे में गृह-कार्य मंत्रालय का दिनांक 25 फरवरी, 1966 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 3/27/65- सी० एस० 11;

(2) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की शर्तों के बारे में वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 12 (9) ई० वी०–66 ;

(3) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की शर्तों के बारे में वित्त मंत्रालय का दिनांक 17 मई, 1966 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 12 (9) ई० वी०–66 ;

(4) फालतू कर्मचारियों को अन्यत्र काम पर लगाने के बारे में गृह कार्य मंत्रालय की दिनांक 30 नवम्बर, 1967 की अधिसूचना संख्या 1–2–66 सी० सी०/सी०–3,

(ख) क्या इन आदेशों को कार्यान्वित करने के लिये रेलवे बोर्ड को भेजा गया है, और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) ये आदेश सभी मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों और सभी संघ शासित क्षेत्रों को भेजे गये थे और रेलवे बोर्ड को भी मिल गये थे ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के मद (1) से (iv) में उल्लिखित आदेश क्रमश: 28-2-66, 16-3-66, 19-5-66 और 4-12-67 को प्राप्त हुये थे ।

सीमेंट नियतन तथा समन्वय संगठन के विरुद्ध जांच

6979. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री सीमेंट नियतन तथा समन्वय संगठन के विरुद्ध जांच के बारे में 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 284 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इस संगठन के विरुद्ध जांच इस बीच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो जांच कब तक पूरी हो जायेगी और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : यह विषय अभी परीक्षान्तर्गत है ।

कल्याण कारी संस्थाओं को सहायता

6981. **श्रीमती सुधा बी० रेड्डी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंधे, विकलांग और मानसिक रूप से अपरिपक्व व्यक्तियों के लिये कल्याणकारी संस्थाओं को चलाने के लिये अधिक सहायता-अनुदान देने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन श्रेणियों को भावी जनगणना में सर्वेक्षण और गिनती करने के हेतु शामिल करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) विकलांगों की इन श्रेणियों में से प्रत्येक के लिये योजना में कितनी धनराशि नियत की जायेगी ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वंयसेवी संगठनों को सहायक अनुदान देने के लिए 1970-71 के बजट में 7.5 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। 1969-70 के बजट में भी ऐसी ही राशि की व्यवस्था की गई थी ।

(ख) 1971 की जनगणना के समय विकलांग व्यक्तियों की गणना करने का जनगणना आयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रमुख वर्गों के लिए केन्द्रीय कार्यक्रमों के हेतु चतुर्थ योजना में 250 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

अनुसूचित आदिम-जातियों के विद्यार्थियों को दी गई धनराशि

6982. **श्रीमती सुधा बी० रेड्डी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित आदिम-जातियों के विद्यार्थियों को, गत तीन वर्षों में, राज्यवार कितनी धनराशि दी गई ; और

(ख) प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई और उनके लिये शिक्षा के प्रसार के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) तथा (ख) : आदिम जातियों में शिक्षा का प्रसार करने के कार्यक्रम में ये प्रमुख योजनाएं शामिल की गई हैं–विभिन्न प्रकार के स्कूल, विशेषतया आश्रम स्कूल खोलना, छात्रवृत्तियां प्रदान करना, स्थान सुरक्षित करना तथा दाखले में छूट देना, छात्रावास सुविधाएं, वज़ीफे, पुंस्तकें, लेखनसामग्री अनुदान, मध्याह्न भोजन, इत्यादि प्रदान करना तथा विभिन्न स्तरों पर, जो विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं, विद्यार्थियों को अन्य सहायता देना । केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अधीन अनुसूचित आदिम जातियों को बिना किसी जीविका साध अथवा गुण जांच के मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियों पर राज्य-वार खर्च तथा पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों को दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । एल० टी०** 3265-70]

देश में अंधे बहरे और गूंगें

6983. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अंधे, बहरे और गूंगे तथा अन्य प्रकार से विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उनके कल्याण के लिये देश में कौन-कौन सी संस्थाएं हैं और उनकी आय के साधन क्या हैं ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) कोई विश्वसनीय आधार सामग्री उपलब्ध नहीं है । नमूने के सर्वेक्षणों पर आधारित बच्चे आंकड़ों से अनुमान लगाया गया है कि भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित होगी :—

नेत्रहीन	40 से 50 लाख
वधिर	10 से 15 लाख
अपंग	40 से 50 लाख
मंदमति	20 लाख बच्चे

(ख) समाज कल्याण विभाग के पास उपलब्ध संस्थाओं की सूची संलग्न है। प्रत्येक संस्था की आय के साधनों के बारे में सूचना सुलभ नहीं है।

अंधे, गूंगे और बहिरों के लिए राष्ट्रीय संस्थाएं

6984. **श्री नितिराज सिंह चौधरी :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंधे, गूंगे और बहरे अथवा विकलांगों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं और कितने व्यक्तियों की सेवा करने की उनकी क्षमता है ;

(ख) यदि ऐसी कोई संस्था नहीं है, तो क्या सरकार उनको स्थापित करने की संभावना पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि सरकार मामले पर पहले से ही विचार कर रही है, तो उन विचाराधीन संस्थाओं के क्या नाम हैं ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख) : हां, श्रीमान। निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थाएं स्थापित की गई हैं :—

नाम	सेवा प्राप्त कर सकने वाले व्यक्तियों की लगभग संख्या	टिप्पणी
नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र, देहरादून।	350	इसके अलावा प्रकाशित की गई ब्रेल पुस्तकें तथा बनाए गए साधन अधिक व्यक्तियों को बेचे जाने जैसी केन्द्र की कुछ सेवाएं भी हैं। नेत्रहीनों के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय, जो केन्द्र के एक अविभाज्य भाग के रूप में चल रहा है और देश में लगभग एक हजार नेत्रहीन पाठकों की सेवा करता है।
बयस्क बधिरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद।	90	
आंशिक रूप से बधिर बच्चों के लिए स्कूल, हैदराबाद।	50	
मंदमति बच्चों के लिए आदर्श स्कूल, नई दिल्ली।	150	

(ग) अपंग व्यक्तियों के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय केन्द्र की रूपरेखा का सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की है।

यातायात की बकाया राशि का जमा होना

6985. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में स्टेशन बकाया (स्टेशन आउट स्टैंडिंग्स) अर्थात् रेलवे प्रयोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं के बदले में रेलवे को प्राप्त होने वाली न वसूल हुई आय की राशि कितनी है ;

(ख) इस राशि के वसूल न होने के कारण क्या हैं ; और

(ग) इस राशि को शीघ्र वसूल करने और भविष्य में इसे एकत्र न होने देने के लिये सरकार द्वारा यदि कोई उपाय किये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) :

(क) **निम्नलिखित वर्षों के अन्त में बकाया**	**रकम (करोड़ रुपयों में)**
1966-67	22.43
1967-68	25.02
1968-69	31.03

(ख) इस प्रकार रकम जमा होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(i) माल भेजने वाले स्टेशन द्वारा इन्वायस जारी किये जाने की तारीख जिसके आधार पर स्टेशन के जिम्में बकाया निकाला जाता है और माल की सुपुर्दगी की तारीख के बीच आमतौर पर लगने वाला समय ।

(ii) गन्तव्य स्टेशनों पर माल छुड़ाने में माल पाने वाले की ओर से विलम्ब ।

(iii) स्थान शुल्क और विलम्ब शुल्क की रकम माफ करने आदि के बारे में विवादों और आभ्यावेदनों के कारण समय पर उनसे सम्बधित रकमों का वसूल न होना ; और

(iv) विविध कारण जैसे (1) स्थानान्तरण, गैरहाजिरी और मज़दूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की सीमा आदि के कारण कर्मचारियों से स्वीकृत अवप्रभारों की वसूली में विलम्ब, और (2) क्षतिपूर्ति के दावों आदि के तय होने तक खोये या क्षतिग्रास्त माल पर माल भाड़ा प्रभारों के समायोजन में विलम्ब ।

(ग) वाणिज्यक कर्मचारियों के मार्ग निर्देशन के लिए विभागीय नियमावलियों में बकाये की रकम जमा होने से रोकने के बारे में ब्यौरेवार उपाय बताये गये हैं। रेलवे बोर्ड सहित विभिन्न स्तरों पर स्टेशन बकाया रकमों की समीक्षा की जाती है और उनका शीघ्र निबटारा करने के लिए आवश्यकता के अनुसार विशेष अभियान चलाये जाते हैं।

यात्री डिब्बा परिचारकों का वाणिज्य विभागों यांत्रिक विभागों में स्थानांतरण

6986. **श्री देवराव पाटिल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री डिब्बा परिचारकों को कुछ शर्तों के साथ वाणिज्य विभागों से यांत्रिक (सी० एण्ड० डब्लू०) विभागों में स्थानान्तरण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अधिकतर यात्री डिब्बा परिचारक यांत्रिक (सी० एण्ड डब्लू०) विभाग में जाने के लिये अनइच्छुक हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर जोर दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : उत्तर और पूर्वोत्तर रेलों में सवारी डिब्बा परिचरों का वाणिज्यिक से यांत्रिक विभाग में स्थानान्तरण किया गया है । मध्य रेलवे में जबलपुर मण्डल में सवारी डिब्बा परिचरों को यांत्रिक विभाग में स्थानान्तरित किया गया है और अन्य मण्डलों के सम्बन्ध में मामला विचाराधीन है । अन्य रेलों में सवारी डिब्बा परिचरों को यांत्रिक विभाग के अधीन अन्तरित करने का फिलहाल, कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) जी हां । कुछ अभ्यावेदन मिले थे ।

(घ) चूंकि सवारी डिब्बा परिचरों के लिए निर्धारित ड्यूटी में पहले दर्जे के सवारी डिब्बों के उपकरणों की छोटी-मोटी मरम्मत के काम भी शामिल है, इसलिए यदि ये कर्मचारी यांत्रिक विभाग के अधीन रहेंगे तो ये काम अधिक कारगर और संतोषप्रद ढंग से किया जायेगा ।

यवतमाल-मुरताजपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

6987. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यवतमाल-मुरताजपुर छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को चौथी योजना में शामिल न करने के सम्बन्ध में महाराष्ट्र के संसद् सदस्यों ने कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इसे चौथी योजना में शामिल करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) हाल में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) यह कम्पनी की लाइन है (जिसका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है) । इस लाइन के परिवर्तन सम्बन्धी काम को चौथी योजना में शामिल करने के लिए फिलहाल सरकार का कोई विचार नहीं है ।

Catering by Voluntary Bodies

6988. **Shri S. A. Agadi** : Will the minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some voluntary bodies are being created to take up Railway Catering in the name of the Railway Users Food Supply Samaj ;

(b) whether any voluntary bodies have come forward to take up such work ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The Railways are not creating any voluntary bodies under the name of the Railway Users' Food Supply Samaj.

(b) and (c) : A request has been received from the Garhwal Jan Sewak Samaj, Delhi, offering their services to take up catering arrangements on Railways.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवदन

6989. **श्री सूरज भान** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के 1968-69 के प्रतिवेदन के पृष्ठ 41 पर पैरा 5.15 से 5.17 की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त को अधिक प्रभावशाली बनाने और उसके ऊँचे पद की मर्यादा को बनाये रखने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां ।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को जिस सूचना तथा दस्तावेजों की आवश्यकता हो, उन्हें उसे उपलब्ध कराने के लिए गृह मन्त्रालय के परामर्श से आदेश जारी किए जा रहे हैं ।

रेलवे सैलूनों और उनके रख-रखाव पर लागत

6990. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में सैलूनों की संख्या कितनी है और उनकी पूंजीगत लागत क्या है;

(ख) पटरी पर चलते समय उनको खींचने तथा उनके रख-रखाव की लागत क्या है;

(ग) क्या उच्चाधिकारी इस बात की जाँच करते हैं कि सैलून कुल कितने मील चले हैं और पिछले वर्ष प्रत्येक अधिकारी द्वारा इनका प्रयोग करने की औसत क्या थी;

(घ) जब साधारण रेलगाड़ियों द्वारा कार्य किया जा सकता है तो सैलूनों का प्रयोग न करने के लिये नियम क्यों नहीं बनाये गये हैं और सैलूनों द्वारा जाने वाले अधिकारियों से पूछा क्यों नहीं जाता कि वे साधारण गाड़ियों द्वारा कार्य क्यों नहीं करते; और

(ङ) क्यों सैलूनों को यात्री डिब्बे बनाने के सम्बन्ध में कोई कठिनाई है और क्या सरकार ऐसा करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) इन वाहनों के अनुरक्षण और ढुलाई का खर्च अलग-अलग नहीं रखा जाता ।

(ग) सैलून कितने मील चले इसका रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

(घ) रेल पथों, सिगनलों, स्टेशन यार्डों आदि के निरीक्षण के उद्देश्य से केवल ड्यूटी पर यात्रा करते समय ही रेल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण यानों का उपयोग किया जाता है। इन निरीक्षण यानों में कार्यालय के लिए स्थान की भी व्यवस्था रहती है, जिसका उपयोग

कर्मचारियों, अधिकारियों और जनता से साक्षात्कार करने के लिए होता है चाहे यान चालू हो या किसी स्टेशन पर ठहरा हुआ हो। इसका उपयोग सरकारी कागजों के निबटारे के लिए भी होता है अन्यथा अधिकारी के मुख्यालय लौटने तक कार्य-भार बढ़ता रहेगा। यात्री जनता की कठिनाइयों का पता लगाने और गाड़ियों में तथा स्टेशनों पर सुविधाओं के स्तर की जांच करने के लिए अधिकारियों को बहुधा यात्रा करनी पड़ती है। सामान्यतः अधिकारी निरीक्षण यानों का उपयोग किसी ऐसे स्थान तक जाने के लिए नहीं करते जहाँ आराम घर की सुविधाएँ सुलभ हों, कई महत्वपूर्ण गाड़ियों में इन निरीक्षण यानों को लगाया जाना भी मना है। निरीक्षण यानों के उपयोग के निषेध के लिए और नियम बनाना आवश्यक नहीं समझा जाता।

(ङ) इन निरीक्षण यानों को सवारी डिब्बों में बदलना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इनमें से 65 प्रतिशत यान चौपहिये हैं और तेज गाड़ियों में लगाने के अयोग्य हैं और इन्हें सवारी गाड़ी या माल गाड़ियों में ही लगाया जा सकता है। अधिकतर बोगी यान लकड़ी के बने होते हैं और यात्रियों की संरक्षा के हित में लकड़ी के सवारी डिब्बों की व्यवस्था करने की नीति नहीं है।

माटुंगा रेलवे वर्कशाप (मध्य रेलवे) के कतिपय कर्मचारियों के सम्बन्ध में भविष्य निधि में सरकार के अंशदान का जब्त किया जाना

6991. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक ने निर्देश संख्या ई० 214 एम०/मिस्स० सैटलमैंट/डी० पी० एफ० आफ सी० (डब्ल्यू०/एस) आफिस, माटुंगा, दिनांक 1/3 दिसम्बर, 1969 के अन्तर्गत माटुंगा रेलवे वर्कशाप के कतिपय कर्मचारियों के सम्बन्ध में भविष्य निधि में सरकार के अंशदान को जब्त करने के आदेश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि सम्बन्धित कर्मचारी गम्भीर कदाचार के कारण नौकरी से बर्खास्त किये गये थे इसलिए नियमानुसार भविष्य निधि में सरकारी अंशदान को रोक देने के आदेश दिये गये।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा लोहे के कबाड़ का विक्रय

6992. **श्री स० कुण्डू** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तीन संयंत्रों में किस किस प्रकार के लोहे के कबाड़ को बेचा गया, उसका भार तथा मूल्य कितना था; और

(ख) उसका वितरण किस प्रकार किया गया ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस्पात की विभिन्न प्रकार की रद्दी वस्तुओं/दोषयुक्त वस्तुओं को मोटे तौर पर निम्न-लिखित श्रेणियों में बाँटा जाता है :—

(1) पिघलाया जा सकने वाला स्क्रैप लोहा

(2) पुनर्वेलनीय स्क्रैप

(3) औद्योगिक स्क्रैप

(4) दोषयुक्त माल

उपर्युक्त चार श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले स्क्रैप के लिए केवल दो शीर्षों अर्थात् लौह-स्क्रैप और इस्पात-स्क्रैप के अन्तर्गत आंकड़े रखे जाते हैं । गत तीन वर्षों के प्रेषण और मूल्य नीचे दिये गये है :—

(मूल्य दस लाख रुपयों में है)

हजार टन

वर्ष	श्रेणी			मूल्य
	लौह-स्क्रैप	इस्पात-स्क्रैप	कुल स्क्रैप	
1967-68	44	40	84	31.7
1968-69	53	42	95	41.7
1969-70	84	59	143	78.2

(ख) **पिघलाया जाने वाला स्क्रैप** : अधिकांशतः इसका उपयोग इस्पात कारखाने अपनी भट्टियों के लिए करते हैं ।

रद्दी ढ़लवा लोहा : यह अधिकांशतः ढ़लाई कारखानों को कच्चे लोहे के स्थान पर बेचा जाता है ।

पुनर्वेलनीय स्क्रैप : इस श्रेणी में दोषयुक्त बिलेट, दोषयुक्त स्लीपर छड़, दोषयुक्त ढांचे, भारी ढ़ांचों की कतरन तथा दोषयुक्त गोल, बिलेट की कतरन आदि सम्मिलित है । हिन्दुस्तान स्टील लि० इसका आवंटन विभिन्न स्क्रैप पुनर्वेलन मिलों को करते हैं । लगभग ५० प्र० श० दोषयुक्त बिलेट उद्योग निदेशकों की सूची में सम्मिलित पुनर्वेलन मिलों तथा शेष री-रोलिंग मिल्स एसोसिएशन की सूची में सम्मिलित पुनर्वेलन मिलों को दिया जाता है । जब कभी स्क्रैप पुनर्वेलकों की किसी विशेष वस्तु की मांग अधिक नहीं होती तो हिन्दुस्तान स्टील लि० उसकी बिक्री के लिए विज्ञापन देते हैं ताकि जो कोई खरीदना चाहे खरीद सके ।

औद्योगिक स्क्रैप और दोषयुक्त माल : इस श्रेणी में सम्मिलित माल अधिकांशतः हिन्दुस्तान स्टील लि० के स्टाकयार्डों को सीधा उपभोक्ताओं को बेचने के लिए भेज दिया जाता है । चूंकि ठंडी बेलित चादरों और ठंडी बेलित चादरों की कतरनों की मांग काफी है इसलिए स्टाकयार्ड यह माल उपभोक्ताओं को राज्यों के उद्योग निदेशकों की सिफारिशों पर बेचते हैं ।

रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा धातु पिंडों को तोड़ने के ठेकों का दिया जाना

6993. **श्री स० कुण्डू** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने के ठेकेदारों को कच्चे लोहे के बने धातु पिंडों को तोड़ने के लिए 1966, 1967 तथा 1968 के वर्षों के लिये ठेके दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इन धातु पिन्डों को तोड़ने की प्रति टन दर क्या थी और यह ठेका किसे दिया गया था तथा इन वर्षों में कितने टन धातु पिण्डों को तोड़ा गया;

(ग) क्या 1969 तथा 1970 में इन ठेकों की दर बढ़ा दी गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो 1969 तथा 1970 के लिये बढ़ी हुई दर क्या थी और इस बढ़ी हुई दर पर ठेका किसे दिया गया है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Certification of Thermometers by I. S. I.

6994. **Shri Hem Raj** : Will the Minister of **Industrial Development, Intenral Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the various makes of thermometers that are manufactured by the industrial factories or concerns in the country ;

(b) which of them have been granted certification mark by the Indian Standards Institution ;

(c) whether the remaining makes had been certified before being put on sale in the open market ; and

(d) if so, whether they comply with the Standards fixed by the Indian Standards Institution ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Presuming that the information sought for relates to clinical thermometers, a list of the manufacturers is given in the enclosed statement. **(Placed in the Library. See L. T. 3266-70).**

(b) The following four firms have been granted licence to use ISI Certification Mark :

(1) M/s. National Instruments Ltd.
1/1, Raja Subodh Mullick Road, Jadavpur,
Calcutta-32.

(2) M/s. N. D. Windsor and Co.,
6-A, Saharanpur Road,
Dehradun, having their Office at Gandhi Road, Dehradun.

(3) M/s. Ideal Thermometers,
Raj Garh Road, Solan.

(4) M/s. Kanwal Scientific Production Pvt. Ltd.,
37-A, Laxman Chowk,
Dehradun (U. P.).

(c) and (d) : Under the Drugs and Cosmetics Act, 1940, Clinical Thermometers are covered by the definition of 'drug'. As such they are subject to the provisions of the said act.

भारतीय मानक संस्था द्वारा खाद्य वस्तुओं का मानकीकरण

6995. **श्री हेम राज** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1970 के अन्त तक भारतीय मानक संस्था द्वारा किन-किन खाद्य वस्तुओं का मानकीकरण किया गया है तथा उन्हें प्रमाणित किया गया है; और

(ख) इन वस्तुओं के निर्धारित स्तर नीचे न गिरने देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारतीय मानक संस्था ने विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुओं के 200 से अधिक मानक जारी किया है। 31-12-69 तक भारतीय मानक संस्था ने खाद्य उत्पादों की जिन वस्तुओं के मानक जारी किये हैं उन्हें "भारतीय मानक कृषि तथा खाद्य उत्पाद की खंडकार सूची" नामक प्रकाशित सूची में दिया गया है, इसकी प्रति संसद के पुस्तकालय में रखी गई है।

(ख) भारतीय मानक संस्था प्रमाणीकरण चिन्ह योजना पर एक स्वैच्छिक अभ्युपाय है। तो, भी बहुत सी अन्य एजेंसियां इन मानकों को कानूनी आदेशों के मुताबिक कार्यान्वित करती हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) सरकार के चालू आदेश के मुताबिक चीनी तथा बनस्पति निदेशालय द्वारा इन मानकों को विलायक निस्सारण तेल चिकनाहट रहित खाना तथा खाद्य आटे पर लागू किया जाता है,

(2) चीनी तथा बनस्पति निदेशालय द्वारा चीनी के कोटि निर्धारण करने में लागू किया जाता है,

(3) खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय द्वारा फलोत्पाद आदेश के अधीन परिष्कृत फल तथा सब्जी पर मानकों को लागू किया जाता है;

(4) खाद्य उत्पाद की अन्य बहुत सी वस्तुओं पर खाद्य अपमिश्रण अधिनियम तथा नियम की रोक लगाने की व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नागरीय विकास मन्त्रालय द्वारा लागू की जाती है; और

(5) मछली तथा मछली के उत्पादों पर निर्यात निरीक्षण परिषद, विशेष रूप से क्वालिटी नियंत्रण तथा जहाज पर लदान के पूर्व निरीक्षण द्वारा मानकों को कार्यान्वित किया जाता है ।

Extension of Railway Service to Border Areas of Sunderbans.

6996. **Shri Sardar Amjad Ali** : Will the Minister of **Railways** bc pleased to state :

(a) whether Govrnment have considered the plea regarding the extension of Railway service to the border areas of Sunderbans ;

(b) if so, the time by which Government will be in a position to start construction of these new sections ; and

(c) the reasons for not running direct trains between Basirhat and Sealdah and Stations on the southern sections and northern sections of the Sealdah Division ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b) : Due to paucity of funds and lack of adequate traffic justification, it is not possible to consider the extension of Railway lines in the Sunderbans areas at present. These have to await better times for consideration.

(c) Trains on Sealdah-Barasat main line section run under electric traction while those on Barasat-Hasanabad branch (on which Basirhat is situated) are operated by steam locomotives. Running of direct trains between Hasanabad/Basirhat and Sealdah entails change of traction at Barasat. Introduction of a direct steam train from Basirhat to Sealdah is not desirable because penetration of steam train in electrified territory will affect the section capacity and also the running of trains. Convenient connections, however, are available at Barasat.

Different Colours of Railway Coaches and amenities on Railway Platforms

6997. **Shri Lobo Prabhu** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to a letter of Dr. R. Charan in the Hindustan Times of the 2nd April that Railway coaches should be in different colours for each class and that coaches in which the alarm signal is pulled, a mechanism be made to flash a warning light out side ;

(b) what is the rule or provision of seats on the Railway platform and whether surveys would be made to provide seats where they are short of the rule ; and

(c) whether there is a programme for introducing water seal latrines on Railway platforms and when this will be achieved for the bigger Railway stations ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes. The proposal to have different colours for different classes is not considered desirable as it will cause maintenance problems and will not be aesthetic. Arrangements already exist for indicating the coach on which the alarm signal has been pulled. No additional advantage will be gained by providing flashing lights, which will be more difficult to maintain.

(b) Provision of benches on platforms at stations is one of the basic amenities to be provided at all stations (including flag but excluding halt stations) on the Indian

Railways. Only in about 35 stations this amenity is still to be provided and the Railways have been directed to provide the same before 31.3.1971.

(c) Replacement of existing dry type latrines by flush type latrines at stations, where piped water supply is available and by acqua privy or bore hole type latrines where piped water supply is not available, is done on a programmed basis by Railways.

Action on Representations Received From Unrecognised Railway Union

6998. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3867 on the 24th March 1970 regarding action on representations received from unrecognised Railway Unions and state :

(a) the detailed reasons for not replying to representations received from the unrecognised unions and for not entertaining into any correpondence with them ;

(b) whether this policy is observed in all the Departments of Government or in the Railways alone ; and

(c) what are the advantages of adopting this policy ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No reply is given to representations received from unrecognised unions/associations on Railways, as regular correspondence is conducted only with Unions recognised by the concerned Administration.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) It is not practicable to deal with numerous unrecognised unions.

दक्षिण-मध्य रेलवे में वाणिज्य लिपिकों की पदोन्नति के लिए तालिका

6999. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-मध्य रेलवे की स्थापना अब तक 250-380 के ग्रेड वाले वाणिज्य लिपिकों की पदोन्नति के लिये तालिका तैयार नहीं की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वास्तविक दावेदारों की अवहेलना करके सभी पदोन्नतियां-तदर्थ आधार पर की जाती हैं;

(ग) यदि हां तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं और यदि नहीं, तो तालिका किस तारीख को बनाई गई तथा उसकी वास्तविक प्रति का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने तालिका तैयार करने के लिये क्या कार्यवाही की है और इसमें कितना समय लगने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) (क) जी हां।

(ख) जी हां, ये पद वरिष्ठतम उपयुक्त कर्मचारी की पदोन्नति द्वारा तदर्थ आधार पर भरे जाते हैं ।

(ग) और (घ) दक्षिण मध्य रेलवे के निर्माण के फलस्वरूप कर्मचारियों की पदोन्नति की सारणियों चार्ट बनाने और संयुक्त वरिष्ठता सूचियों को तैयार करने का प्रश्न रेल प्रशासन के विचाराधीन रहा है। पदोन्नति की सरणि के चार्ट बनाने के काम को अन्तिम रूप दिया जा

चुका है और इसे अधिसूचित कर दिया गया है। सिकन्दराबाद, शोलापुर और हुबलीमंडलों में 250-380 (अधिकृत वेतनमान) पदक्रम में वाणिज्यिक क्लर्कों के पद के लिए प्रवरण पहले ही पूरा हो गया है और एक महीने के भीतर ही नामावली बन जाने की सम्भावना है। विजयवाड़ा मंडल में अभी तक प्रवरण नहीं किया जा सका क्योंकि कर्मचारियों की वरिष्ठता निश्चित करने से संबंधित विषय अभी तक विचाराधीन हैं।

अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्य लिपिक संघ, सिकन्दराबाद डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) द्वारा ज्ञापन

7000. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्य लिपिक संघ सिकन्दराबाद डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) ने कांचगुड़ा स्टेशन पर कार्य-विश्लेषण के सम्बन्ध में सिकन्दराबाद डिवीजन के डिवीजन सुपरिन्टेंडेंट तथा हैदराबाद के श्रम आयुक्त (सी) को ज्ञापन दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कार्य विश्लेषण श्रम विभाग (सी) द्वारा किया गया था और उसने रेलवे अधिकारियों को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था;

(ग) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्यौरा तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) यह अभ्यावेदन नियोजक काल विनियमों के अधीन कांचगुड़ा के पार्सल और टिकट क्लर्कों के पुनर्वर्गीकरण के बारे में है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने नियोजककाल विनियमों के अधीन पार्सल और टिकट क्लर्कों के पुनर्वर्गीकरण की सिफारिश की थी।

(घ) श्रम प्रवर्तन अधिकारी की सिफारिशों पर रेल प्रशासन विचार कर रहा है।

सिकन्दराबाद डिवजिन (दक्षिण मध्य रेलवे) के स्टेशनों पर कमर्शियल क्लर्कों के ड्यूटी रोस्टरों तथा सूची का न लगाया जाना

7001. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कमर्शियल क्लर्कों के उपयुक्त ड्यूटी रोस्टर और ड्यूटी सूचियां दक्षिण मध्य रेलवे में सिकन्दराबाद डिवीजन के सभी स्टेशन पर नहीं लगाई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) लगाये जाने वाले रोस्टरों का स्वरूप क्या है; और

(घ) सभी स्टेशनों पर उपयुक्त ड्यूटी रोस्टर और ड्यूटी सूचियों का लगाया जाना सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) नियोजक-काल विनियम के उपबन्धों के अधीन दक्षिण-मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद मण्डल के सभी स्टेशनों पर जहां कहीं भी वाणिज्यिक क्लर्क नियोजित हैं उनके ड्यूटी रोस्टर लगाये गये हैं। इन नियमों के अनुसार कर्मचारियों की काम की सूची प्रदर्शित करना अपेक्षित नहीं है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) नियोजक काल विनियम के अन्तर्गत कार्य-भार के अनुसार वाणिज्यिक क्लर्कों का वर्गीकरण "निरन्तर" या सारतः आन्तरालिक किया गया है और तद्नुसार ड्यूटी-रोस्टर की व्यवस्था की गयी है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

दक्षिण रेलवे में कालंकरापतिकुन्नू, कासरगोड (केरल) में रेलवे फाटक के निकट ऊपरी पुल

7002. **श्री अ० कु० गोपालन** : **श्री सी० के० चक्रपाणि**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री प० गोपालन** :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कासरगोड केरल में कालंकरापतिकुन्नू में रेलवे फाटक पर एक ऊपरि पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

मुगलसराय से पठानकोट तक अतिरिक्त रेल गाड़ी अथवा अमृतसर और हावड़ा के बीच डीलक्स रेल गाड़ी चलाने की मांग

7003. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुगलसराय से पठानकोट तक एक अतिरिक्त रेल गाड़ी चलाने अथवा अमृतसर और हावड़ा के बीच सप्ताह में एक बार की बजाय दो बार डीलक्स रेल गाड़ी चलाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को रद्दी रेलपटरियों की सप्लाई

7004. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने फरवरी, 1969 में रद्दी रेलवे पटरियों के क्रयादेश मांगे थे और यदि हां, तो उसने क्या मूल्य रखा था ;

(ख) मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड ने कितनी रेल पटरियां मांगी थीं और उन्हें कितनी सप्लाई की गई और कितना मूल्य लिया गया ;

(ग) कम मात्रा सप्लाई किये जाने और अधिक मूल्य लिये जाने के क्या कारण थे; और

(घ) शेष मात्रा सप्लाई करने तथा मूल्य कम करने के लिये कब तक और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) रेलवे बोर्ड ने 5–2–69 को सभी रेलों को हिदायतें जारी की थीं कि वे फालतू, बेकाम, अप्रचलित और रद्दी पटरियों को निम्नलिखित दरों और इसके अलावा 5 प्रतिशत आस्थगित भुगतान के आधार पर, बिजली बोर्डों को बेच दें ।

(i) 50 पौंड से कम की पटरियों के लिए 485 रुपये प्रति मी०/टन उपलब्ध स्थान पर सेक्शनल भार के आधार पर (घिसाव के कारण भार में कमी के लिए कोई छूट दिये बिना)

(ii) 50 पौंड और इससे अधिक की पटरियों के लिए 461 रूपये प्रति मी०/टन उपलब्ध स्थान पर, सेक्शनल भार के आधार पर (घिसाव के कारण भार में कमी के लिए कोई छूट दिये बिना) ।

उपर्युक्त हिदायतें 28-3-69 को संशोधित की गयीं और रेलों को सूचित किया गया कि वे उपर्युक्त दरों को कम से कम मूल्य के रूप में समझें और बिजली बोर्डों को पटरियां उपर्युक्त मूल्यों अथवा अन्तिम नीलाम/टेण्डर बिक्रीदर, उनमें से जो अधिक हो पर यह सुनिश्चित कर के दें कि अन्तिम बिक्री दर 6 महीनों से अधिक पुरानी नहीं है ।

(ख), (ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभापटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे लाइन का मणिपुर तक विस्तार

7005. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे लाइन का मणिपुर अर्थात जिरिबूम तक विस्तार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक सर्वेक्षण आरम्भ करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस पर विचार किया जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) धन की कमी और यातायात सम्बन्धी औचित्य न होने के कारण जिरिबम तक रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में, फिलहाल, विचार नहीं किया जा सकता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में (प्रक्रिया)

RE. CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE (PROCEDURE)

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेंगे । श्री नायडू ।

श्री ज्योर्तिमय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 372 (2) में बताया गया है "व्यवस्था का प्रश्न तत्समय सभा के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकता है ।"

सभा के समक्ष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद इसे सुनूंगा । अब नहीं ।

श्री ज्योर्तिमय बसु : मैं इसे नियम 376 (2) के अंतर्गत उठा रहा हूँ । कल मध्याह्न पश्चात् ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दूसरा नाम शामिल किया गया । मुझे बताया गया कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव केवल श्री एन० पी० सी० नायडू के नाम में है । बाद में मुझे बताया गया कि श्री कंवरलाल गुप्त द्वारा दिया गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कार्यालय में नहीं मिल रहा है । श्री कंवरलाल गुप्त का नाम बाद में शामिल किया गया । क्या यह अनियमितता नहीं है ?···** (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री ज्योर्तिमय बसु : यह व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप बैठ जायें । इसी कारण कि आपके मस्तिष्क में कोई बात है, आप खड़े न हों ।

ज्योर्तिमय बसु : मेरे मस्तिष्क में कुछ नहीं है । यह तथ्य है ।·····**

यह गम्भीर मामला है । सूची में दूसरा नाम बाद में जोड़ा गया है ।.....**

मैंने इसे देखा है । बैलेट में केवल श्री नायडू का नाम था.....(**व्यवधान**) इसका बैलेट पुनः किया जाये । यह नाम बाद में शामिल किया गया.....**

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं और काम में बाधा डाल रहे हैं ।

Shri Ramavtar Shastri : (Patna) You are requested to think over it seriously. We are protesting against it. The names of some members appear daily whereas the names of other members are not included at all.

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जायें । भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के बारे में एक प्रस्ताव आया था । वह श्री नायडू ने दिया था । जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये प्रस्ताव अध्यक्ष के पास आते हैं तो सूची में नामों का उल्लेख नहीं किया जाता । यही प्रक्रिया है ।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाला गया ।

**Expunged, as ordered, by the Chair.

श्री रामावतार शास्त्री : भविष्य में इनका उल्लेख किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कंवरलाल गुप्त द्वारा ऐसा ही प्रस्ताव दिया गया था । यह पहले दिन 16 तारीख को मिला था । क्योंकि केवल दो प्रस्ताव थे और हम इसे पांच व्यक्तियों के नाम पर दिखा सकते हैं इसलिए बैलेट करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ज्योर्तिमय बसु : **

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : प्रत्येक बार श्री कंवर लाल गुप्त...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सभा दो-चार सदस्यों के नामों का चयन कर दे और मैं इन सदस्यों द्वारा इस मामले की जांच कराने के लिए तैयार हूँ और यदि वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मैंने जो कुछ किया है वह बिलकुल उचित है तो माननीय सदस्य को दण्ड देने का मुझे पूर्ण अधिकार है ।

श्री रङ्गा (श्रीकाकुलम) : किसी समिति की आवश्यकता नहीं है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह हर बार सचिवालय पर आक्षेप लगाते हैं·····(व्यवधान) यह अच्छा नहीं है । वह बेकार में मुसीबत पैदा करते रहते हैं । मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि मैं भविष्य में इसे सहन नहीं करूंगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I request you to conduct an enquiry into it. If I am found wrong, I am prepared to resign from the membership and if he is found wrong, he should resign.

श्री ज्योर्तिमय बसु : इसकी जांच की जानी चाहिये...(व्यवधान)

श्री बलराज मधोक : महोदय, कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जोकि न केवल अध्यक्ष के लिए अपमान जनक है बल्कि समूची सभा के लिए हैं । मेरा अनुरोध है कि उन बातों की जांच करें तथा यह देखें कि उन सब को कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया है और सदस्य को यह चुनौती है कि वह पुनः इस प्रकार का व्यवहार न करें । सभा यह सुनिश्चित करने के लिए आपसे अनुरोध कर सकती है कि सभा के हितों की रक्षा की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : जब आप जिम्मेदार संसद सदस्य के रूप में कुछ कहते हैं तो मुझे आशा है कि आप जिम्मेदाराना व्यवहार करेंगे । यदि आपको इसके बारे में कोई सन्देह था या आप इसे गलत समझते हैं तो आप सचिव को सूचना दे सकते थे या मेरे साथ बात कर सकते थे या इसके बारे में मुझे लिख सकते थे । यह अनुचित बात है कि आप सभा में इस प्रकार की निराधार बातें लायें ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं एक बात कहना चाहता हूँ । मैं मानता हूँ कि इस प्रश्न पर इतनी गर्मागर्मी करने की कोई आवश्यकता नहीं । बात यह हुई कि कल श्री ज्योर्तिमय बसु को कार्यालय द्वारा यह सूचना दी गई कि कोई बैलेट नहीं हुआ और केवल एक नाम हैं । कभी-कभी सदस्य बैलेट के समय वहीं उपस्थित होते हैं और कभी-कभी मैं भी वहीं

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाला गया ।

**Expunged, as ordered, by the Chair.

होता हूँ किन्तु अब मैंने बैलेट पर ही छोड़ दिया है। प्रश्न यह है कि जब उन्हें यह बताया गया है कि कोई बैलेट नहीं हुआ था और केवल एक नाम था और आज प्रातः जब उन्होंने कार्य सूची देखी और उसमें उन्होंने दो नाम देखे तो उन्हें शंका होना स्वाभाविक था, चाहे यह निराधार ही क्यों न हो। इन्हें आपसे बात करनी चाहिये थी और जानकारी लेनी चाहिये थी। वह तो केवल अध्यक्ष से अपनी शंका का स्पष्टीकरण करना चाहते थे। क्या यह गलत बात है? मेरे मस्तिष्क में ऐसी कोई शंका नहीं है कि श्री कंवर लाल गुप्त या कोई अन्य हेर-फेर कर रहे हैं। यदि किसी सदस्य को कोई शंका हो जाये तो क्या आपके पास उसे उठाना अनुचित है?

बलराज मधोक : लेकिन उसका कोई ढंग होता है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : महोदय, आपके कार्यालय के विरुद्ध श्री ज्योतिमय बसु ने बड़े गंभीर आरोप लगाये हैं। आपके लिए सब से अच्छी बात यह होगी की इन आरोपों की तुरंत ही जांच कराने का आदेश दें ताकि लोगों के मस्तिष्क से सन्देह मिट जाये।

श्री रंगा : जहाँ तक इस मामले का सम्बन्ध है, अध्यक्ष महोदय ने पहले ही तथ्य बता दिया है। इसलिए जांच कराने की आवश्यकता क्या है?

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : महोदय, आप एक बात ध्यान में अवश्य रखें। श्री मोलहू प्रसाद इस प्रकार की 50 घटनाएं बताने को तैयार हैं। श्री बिस्वास भी घटनाएं देने के लिए तैयार हैं। श्री ज्योतिमय बसु चिल्ला रहे हैं कि वह भी घटनाएं बता सकते है तो आप क्या करने वाले हैं?

अध्यक्ष महोदय : प्रशासनिक मामलों में यदि कोई गलती हो जाती है तो माननीय सदस्यों के लिए यह अच्छा होगा कि वे सचिव को या मुझे लिखें। आप जानते हैं सभी काम अध्यक्ष के नाम पर होते है। मेरे विचार में सचिवालय के पास प्रतिदिन सैंकड़ों मामले आते हैं। उनकी जांच और संवीक्षा करनी होती है और उनके औचित्य को देखना होता है। तब वे मन्त्रालयों में भेजे जाते है और ये प्रश्न उनकी टिप्पणियों के साथ वापस आते हैं। इस मामले में मैं यह कह सकता हूँ कि इसे देखने से पहले मैंने नाम नहीं देखा है। मेरे पास नाम कभी नहीं आते। मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्ष के समय यह प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। माननीय सदस्य प्रायः मुझे प्रतिदिन मिलते हैं। वह मेरे साथ विचार विमर्श कर सकते थे। मैं अन्य बातों के बारे में कुछ नहीं जानता। मेरे सचिव ने मुझे बताया था कि श्री मोलहू प्रसाद के पत्र प्रायः आते रहते हैं और मैं ये पत्र इस सभा के दो या तीन सदस्यों को दिखाने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने सचिवालय के बारे में उनके मत को स्वीकार करने को तैयार हूँ। यदि उनके विरुद्ध कोई विचार दिये जाते हैं तो वह भी इसे स्वीकार करें।

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : I am prepared to furnish the facts.

Shri Kanwar Lal Gupta : I request you to allow me to clarify my position because serious allegations have been made against me. I would like to say only this that I give Calling Attention Notice before 10 A. M. I wish that an enquiry sould be conducted into this matter.....(interruption).....If the charges levelled by Shri Jyotirmoy Basu are found correct I am prepared to resign and if these are found false he should resign, otherwise he should withdraw his charges.....(interruptions).

अध्यक्ष महोदय : इस मामले से, जैसा कि श्री बनर्जी ने बताया है, पता चलता है कि श्री बसु को यह सूचना दी गई थी कि केवल एक नाम आया है। जब इन सब बातों पर चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि एक नाम पहले की तारीख से विचाराधीन था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तो फिर बैलेट के लिए दो नाम क्यों नहीं दिये गये ?

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, then the cause of complaint is mine. My notice should have been balloted earlier and my turn should have come first.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के संबन्ध में प्रतिरक्षा मन्त्री का कथित वक्तव्य

श्री चेंगलराया नायडू (चिमूर) : महोदय, में प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं, और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास में सहायता देने के लिए राज्यों से आग्रह के बारे प्रतिरक्षा मन्त्री द्वारा दिया गया कथित वक्तव्य।"

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मेरी अध्यक्षता में 18 अप्रैल, 1970 को जयपुर में भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक बोर्ड की 8वीं बैठक हुई थी जिसमें दो मुख्य मंत्रियों, कुछ राज्यों के मंत्रियों और कुछ अन्य राज्यों से वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बैठक में मैंने यह कहा था कि सेना को युवा और सदैव तैयार रखने के लिये यह आवश्यक है कि सेना के जवानों, जे० सी० ओ० और अधिकारियों की बहुत बड़ी संख्या को असैनिक कर्मचारियों की अपेक्षा कम आयु में सेवा निवृत्त किया जाए। इसलिए उनके पुनर्वास के प्रश्न पर एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में विचार किया जाना चाहिये। उनका प्रशिक्षण तथा उनके परिश्रमी और अनुशासित जीवन की पृष्ठ भूमि सामाजिक सम्पति है जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी सेवाओं का उपयोग करके हमें लाभ उठाना चाहिये।

अधिकारियों, जे० सी० ओ० और अन्य सैनिक और विशेष कर सेवा युक्त इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों, जिन्होंने संकट के समय हमारी पुकार सुनी थी, के पुनर्वास और उन्हें काम धन्धे में लगाने के विभिन्न पक्षों की ओर हमने सभी सम्बद्ध लोगों का ध्यान दिलाया है। यह बताया गया है कि इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के एक तिहाई से अधिक अधिकारियों को स्थायी कमीशन दे दिया गया है और कई अन्य अधिकारियों को सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रों में सरकार द्वारा रक्षित या अन्य रिक्त स्थानों में, कृषि और सहकारिताओं में काम पर लगा दिया गया है, अन्य कई लोग पुरानी नौकरियों में वापस चले गए। परन्तु अभी भी इन अधिकारियों के काफी बड़े भाग के लिये पुनर्वास की व्यवस्था करनी शेष रहती है। राज्यों के प्रतिनिधियों से इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देने और इनके पुनर्वास की तत्काल व्यवस्था करने के प्रयत्नों को और भी तीव्र करने के लिये कहा गया है। अन्य श्रेणियों के सैनिकों के बारे में यह कहा गया है कि जिला अधिकारियों को अधिक सहानुभूतिपूर्ण रवैये के द्वारा

और रोजगार कार्यालयों को पूर्ण सहयोग द्वारा उनकी स्थिति में काफी सुधार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैंने सरकार और संसद की इस समस्या के सम्बन्ध में चिन्ता को दुहराया और मेरी अपील पर राज्यों के प्रतिनिधियों की अनुकूल प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने अनेक उपायों की चर्चा की जिनसे भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्वास व्यवस्था में सहायता मिल सकती है। उन्होंने वचन दिया है कि इस मामले में वे पूरा सहयोग देंगे और हम आशा करते हैं कि निरन्तर प्रयास से और राज्य तथा जिला अधिकारियों की सहायता से इस मामले में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

श्री चेंगलराया नायडू : समय की पुकार के साथ सैकड़ों लोग भारत माता की रक्षा के लिये मैदान में आ गये और उन्होंने अपने आपको ई० सी० ओ० और जे० सी० ओ० के रूप में सेना में भर्ती करवा लिया। उन्होंने देश की रक्षा में जान की बाजी लगाकर देश को बचाने में अपना योगदान दिया, किन्तु अब उनको निकाला जा रहा है। उनको कोई कारोबार नहीं मिल रहा है। कोई उनको लेने को तैयार नहीं है। और क्योंकि अब आयु अधिक हो गई है इसलिये उनके लिए नौकरी पाना आसान काम नहीं है, जिसके लिये सिफारिश की तथ्य बड़े-बड़े आदमियों, जैसे मंत्री आदि से सम्बन्ध की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में सरकार भी उनकी कोई सहायता नहीं कर रही है।

प्रधान मंत्री को इस स्थिति से अवगत कराने के लिये भूतपूर्व सैनिक उनकी कोठी पर भूख हड़ताल कर रहे हैं जिसके लिये उनको सभा में वक्तव्य देना चाहिये था—परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया और हमें इस ओर सभा का ध्यान दिलाना पड़ा है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गोरखा रेजीमेंट को तोड़ दिया गया है और उन लोगों को चीनी लोग अपनी फौज में भर्ती कर रहे हैं। इनका भारत के विरुद्ध उपयोग किया जायगा। इस सम्बन्ध में सरकार का क्या रवैया है तथा उनको वापस लाने के लिये क्या प्रयत्न करे जा रहे हैं ताकि जरूरत पर देश की उचित रक्षा हो सके ?

काशमीर में कोई भूतपूर्व सैनिक भूमि खरीद कर बस नहीं सकता। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करेगी ?

नौकरी आदि प्राप्त करने के सम्बन्ध में भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करने के लिये क्या सरकार आदेश जारी करेगी ताकि उनको नौकरी, काम आदि के मामले में प्राथमिकता मिल सके।

श्री स्वर्ण सिंह : आपात कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों की समस्या डाक्टरों और इंजीनियरों के सम्बन्ध में अधिक नहीं है क्योंकि अधिकतर डाक्टर और इंजीनियरों को काम में लगा लिया गया है। यदि कोई विशेष मामले हैं भी तो मैं उनकी जांच करने को तैयार हूँ। ये विभाग ऐसे हैं जिनमें अभी भी सेना में कमी है। परन्तु सामान्य केडर में कठिनाई है। कुल 8846 ई० सी० ओ० में से 2400 के लिये काम धन्धे की व्यवस्था की जानी बाकी है। हम उन्हें न केवल रोजगार देने के लिये बल्कि उन्हें पुनः अच्छी तरह बसाने के लिये भी निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं जिससे समाज के उपयोगी सदस्य बन सकें।

इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के अतिरिक्त 50,000 सैनिकों तथा जे० सी० ओ० को सेना निवृत किये जाने की संभावना है। उन्हें अपनी असैनिक सेवाओं में वापस जाना

होगा। हमने कुछ भूमि पर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिये कदम उठाए हैं। और भी कदम उठाने होंगे। इस सम्बन्ध में हम राज्य सरकारों की सहायता करेंगे जो इस काम के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं।

जहाँ तक गोरखा सैनिकों का प्रश्न है, वे नैपाल निवासी हैं और उन पर नैपाल सरकार के कानून आदि लागू होते हैं। यदि उनको किसी सहायता की आवश्यकता है तो हम करने को तैयार है परन्तु वह स्वतंत्र नागरिक हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The scheme for the rehablitation of Ex-service men is merely an eye-wash and it benefitted only a few people. Infact about 90-95 percent people have not been benefitted by this scheme. The scheme has not been attached due importance.

Secondly, the ex-servicemen should be resettled in the border areas. Minister should find out a way to settle them in the Border States. It will contribute towards the security of the country.

I want to know whether there is any scheme for fixation of quota for recruitment in C. R. P., B. S. F. and Industrial Force.

To see that out going Nepali ex-servicemen do not fall a prey to Chinese sympathies, they should be offered rehablitation here.

Contact should be established with E. C. O.'s to find out a way, to end the Dharna and the fast.

श्री स्वर्ण सिंह : यह कहना ठीक नहीं है कि मंत्रालय का पुनर्वास या पुनः काम धंधा देने के विभाग में अपेक्षाकृत कनिष्ठ अधिकारी नियुक्त हैं। उसमें अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं और इस संगठन के प्रमुख एक मेजर जनरल हैं जो राज्यों का दौरा करते हैं और इमरजेंसी अधिकारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित करते हैं।

जहाँ तक विभिन्न राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में इनको बसाने की व्यवस्था करने का सम्बन्ध है, हमें सभी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों की परिस्थितियों को ध्यान में रखना है, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थिति बदली हुई है। परन्तु जहाँ भी बसाने की व्यवस्था की गुंजाईश होगी हम सम्बन्धित राज्य सरकार के साथ इस पर बात-चीत करेंगे।

इस तरह हम इनकी समस्या के समाधान के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों से अपना अनशन समाप्त करने का अनुरोध करता हूँ क्योंकि अनशन करने मात्र से ही कोई समस्या नहीं सुलझ सकती।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

बायदा करार (विनियमन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : मैं श्री फकुरुद्दीन अली अहमद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

1. वायदा करार (विनियम) अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अन्तर्गत जारी की गई अधि सूचना संख्या एस० ओ० 1089 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 16 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

2. वायदा करार (विनियमन) अधिनियम 1952 की धारा 18 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1090 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 16 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3245/70]

राष्ट्रीय श्रम आयोग 1969 के निष्कर्ष तथा सिफारिशें

श्रम तथा पुर्नवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भगवत झा आजाद) : मैं राष्ट्रीय श्रम आयोग, 1969 के मुख्य निष्कर्षों तथा सिफारिशों के हिन्दी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 3246/70]

कम्पनी अधिनियय, 1956 के अन्तर्गत पत्र

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (i) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडेक्टस लिमिटेड के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा

(दो) वर्ष 1968-69 के लिए तुंगभद्रा स्टील प्रोडेक्टस लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

(2) (एक) भारत हैवी प्लेट एंड वैसल्स, विशाखापतनम के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा

(दो) वर्ष 1968-69 के लिए भारत हैवी प्लेट एंड वैस्लस लिमिटेड, विशाखा-पतनम् का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महा लेखापरीक्षक की टिप्पाणियां

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3247/70]

मध्यावधि सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री मु० यूनस सलीम) : मैं भारत में मध्यावधि सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन-खण्ड I–(सामान्य) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3248/70]

चमड़ा तथा चमड़ा वस्तु उद्योग विकास परिषद का वार्षिक प्रतिवेद

औद्योगिक व्यापार, आन्तरिक व्यापार तथा समवायव-कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत वर्ष 1968-69 के लिए चमड़ा तथा चमड़ा वस्तु उद्योग विकास परिषद के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए एल० टी० संख्या** 3249/70]

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

कार्यवाही सारांश

श्री तिरुमल राव (काकी नाडा : मैं श्रम, रोजगार तथा पुर्नवास मन्त्रालय (श्रम तथा रोजगार विभाग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की सातवीं, सोलहवीं, सत्रहवीं तथा पैंतीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूँ ।

नियम 377 के अन्ततर्ग मामला
MATTER UNDER RULE 377

पश्चिमी बंगाल के सलाहकारों की नियुक्ति

श्री ज्योतिमय बसु (डायमन्ड हार्बर) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित का उल्लेख करना चाहता हूं ।

राष्ट्रपति शासन के अधीन पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का पांच नए नियुक्त किए गए सलाहकारों को प्रत्यायोजन कर दिया है और उन सलाहकारों में विभागों का वितरण कर दिया गया है । राज्यपाल ने अपने पास न्यायिक तथा वैधानिक विभागों तथा उच्च न्यायालय से सम्बन्धित विभागों के मामले रखे हैं । मन्त्री मन्डल की बैठकों की तरह इन सलाहकारों की बैठकों का सभापतित्व राज्यपाल द्वारा किया जायेगा ।

संसद ने अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की है कि वह ऐसी शर्तों के साथ जिन्हें वह लगाना उचित समझें उसको प्रदान किए गए अधिकार को किसी ऐसे दूसरे प्राधिकारी को, जिसको वह उस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करें, प्रत्यायोजित कर सकता है । परन्तु राज्यपाल को अपनी शक्तियों का सलाहकारों या अन्य किसी को अपनी तरह से कार्य करने के लिए प्रत्यायोजन करने के अधिकार सम्बन्धी कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए राज्यपाल द्वारा सलाहकारों की नियुक्ति और उन्हें शक्ति प्रत्यायोजित करना तथा उन्हें विभाग सौंपने, उनके अधिकार क्षेत्र के बिल्कुल बाहर है ।

संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय को प्रदत या उसके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियों को स्वयं नहीं ले सकता, परन्तु पश्चिमी बंगाल के राज्य-

पाल ने स्वयं ही न्यायिक व सांविधिक विभागों तथा उच्च न्यायालय से सम्बन्धित मामलों को अपने हाथ में ले लिया है। यह संविधान की व्यवस्था का खुलम खुला उल्लंघन है।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि संविधान के किन उपबन्धों के अन्तर्गत राज्यपाल को सलाहकार नियुक्त करने का अधिकार है। इन सलाहकारों का चुनाव उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण और उनका वेतन निर्धारण मनमानी कार्य है और इसको कानून की स्वीकृति प्राप्त नहीं है, अतः यह अमान्य है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I read in the 'Hindustan Stanadrd' that the name which was nominated by the Central Government for the postof Chief Secretary, was denied by the Governor. Why the Governor is working arbitrarly.

श्री समर गुह (कन्टाई): आज के समाचार पत्र में राज्यपाल ने इसे खंडन किया है।

Shri Madhu Limaye : That is right. But I have nothing to do with Governor's contradiction.

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु ने इसको नियम 377 के अधीन उठाया है। मन्त्री जी को उत्तर देने दीजिए।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : श्री बसु ने अनुच्छेद 356 (1) (क) को ठीक से नहीं पढ़ा। अनुच्छेद 356 (1) (क) का परामर्शदात्री समिति या संसद या किसी भी व्यक्ति को शक्तियों के प्रत्यायोजन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

एक प्रश्न और उठाया गया है जो उच्च न्यायालय की शक्तियों के सम्बन्ध में है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब राज्यपाल ने यह कहा कि न्यायिक और वैधानिक विभाग तथा उच्च न्यायालय से सम्बन्धित मामले उनके अधीन हैं तो वह उच्च न्यायालय की कानूनी निर्णय देने की शक्तियों को स्वयं नहीं रख रहे हैं। वह कुछ कार्यपालिका सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में वैधानिक और न्यायिक विभागों को हाथ में ले रहे हैं। उच्च न्यायालय की शक्तियां यथावत बनी हुई हैं। वे न तो छीनी गई हैं और न ही शक्तियां छीनी जा सकती हैं।

उनका तीसरा प्रश्न यह है कि राज्यपाल ने किस प्राधिकार से सलाहकारों की नियुक्ति की है और कैसे उनको विभाग वितरित किए गए। अनुच्छेद 166 (3) में स्पष्ट रूप से राज्यपाल को सरकार के कार्य को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां हैं। उनके द्वारा वह कुछ अधिकारियों को कुछ विशेष कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। अतः राज्यपाल ने जो कुछ प्रबन्ध बंगाल में किया है वह सांविधानिक तथा ठीक है।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : वर्तमान मैसूर मन्त्रालय के विरोध में गंभीर आरोप है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी है।

श्री क० लकप्पा : मैं जानना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई स्वतंत्र जांच की जा रही है।

श्री हेम बरुआ (मन्गलदायी) : भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है चाहे कोई भी दल इसको करे। जब श्री निजलिंगप्पा मुख्य मन्त्री थे तो उन पर आरोप लगाए गए। उसकी कोई जांच नहीं हुई और अब वर्तमान मन्त्रालय के विरुद्ध आरोप हैं।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : आपको इस चर्चा को करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अनुदानों की माँगे पर कार्य करेंगे ।

श्री ज्योर्तिमय बसु (डायमंड हार्बर) : बंगाल के बारे में मन्त्री जी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया कि राज्यपाल ने किस प्रकार अपनी शक्तियों का प्रयोग किया ।

अनुदानों की मांगे 1970-71 जारी
(DEMANDS FOR GRANTS 1970-71 CONTD.

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय-जारी

Shri G. C. Dixit (Khandwa) : The Administrative system which we had adopted is not only a Administrative System but also a life System. The Fundamental Rights which are provided in our constitution can only be utilized properly when the people are educated.

अध्यक्ष महोदय : वे अपना भाषण मध्याह्न भोजन के पश्चात जारी रख सकते हैं ।

मैं श्री ज्योर्तिमय बसु को सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने वह मामला जो उन्होंने अनुच्छेद 377 के अधीन आज प्रातः समाचार पत्र में दिया है, देखा है । उनको ज्ञात होना चाहिए कि नियम इसकी अनुमति तब तक नहीं देते जब तक किसी मामले को सभा में न प्रस्तुत किया जाय । मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इसका पालन करें ।

श्री ज्योर्तिमय बसु : मैंने राष्ट्रपति को एक दिन पहले पत्र लिख दिया था ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : पत्र का मजमून आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं हुआ, केवल सारांश, इस के पीछे जो विचार है, वह प्रकाशित हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक उचित प्रथा नहीं है ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।
The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।
The Lok Sabha reassembled after lunch at Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair.*]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ग० न० दीक्षित अपना भाषण जारी रखें ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : श्रीमान जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्रीमती इला पालत्तौधरी (कृषनगर) : श्रीमान जी, मैंने एक पत्र आप को भेजा है ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : यह मामला उठाया गया था कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने संविधान का उल्लंघन करके कुछ सलाहकारों की नियुक्ति की है और उनके विभागों का आबंटन

किया है। मध्याह्न भोजन से पूर्व इस बात पर चर्चा हो रही थी। जब व्यवस्था के प्रश्न का मामला उठाया गया था, तब श्री मधु लिमये द्वारा दूसरा मामला उठा दिया गया। ये दोनों मामले अभी तक पेंडिंग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप द्वारा उठाया गया मामला निपटा दिया गया था। यदि आप उसके निपटाने के ढंग से सन्तुष्ट नहीं हैं, तो इसे उठाने के कई दूसरे ढंग हैं, लेकिन इस प्रकार नहीं।

श्री श्रीनिवास मिश्र : यह एक गम्भीर सांविधानिक मामला है। यह किसी भी समय व्यवस्था का प्रश्न बन जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक संविधान और एक राज्यपाल के बिना चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस समय सभा में शिक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने का आदेश है। इस समय यह मामला कैसे उठाया जा सकता है। आप दूसरे मार्ग अपना सकते हैं।

श्री श्रीनिवास मिश्र : राज्यपाल के सांविधानिक अधिकार नहीं होते हैं। यह अब राष्ट्रपति में निहित है। अब राज्यपाल अनुच्छेद 163 के अधीन सलाहकार नियुक्त करके और विभागों का आबंटन करके कार्य कर रहा है ? यह अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के नाम पर और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिये।

श्रीमती इला पाल चौधरी : मैं सभा में यह बात आज उठाना चाहती हूँ कि समूचे पश्चिम बंगाल में, नक्सलवादियों के द्वारा गांधी साहित्य को प्रत्येक स्थान पर जलाये जाने के कारण, गांधी साहित्य का वितरण रोक दिया गया है। यह बहुत ही खतरनाक है।

श्री ज्योर्तिमय बसु : कम्बोडिया द्वारा वियतनामी नागरिकों पर किये गये अत्याचार के बारे में मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप ने नोटिस दिया था ?

श्री ज्योर्तिमय बसु : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : तब इस पर विचार किया जायेगा।

अनुदानों की मांगे 1970-71 जारी

DEMANDS FOR GRANTS 1970-71 CONTD.

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय जारी

Shri G. C. Dixit (Khandwa) : Mr. Deputy Speaker, the democratic form of Government, which we have adopted requires that administration should see that each person of the society is making progress and the proper kind of education is provided. Today we see that proper attention has not been given to the development of education in the country. In our plans that we undertook for the economic development ever since 1950, very little amount has been provided for education. This is the reason why the percentage of literacy in the country is only 33 even after the completion of three plans.

Even for the current year money that has been provided for raising the standard of education in the country is very little in comparison to the importance of the work required to be done.

Mahatma Gandhi used to say that the objective of education would be attained only when it would be imparted through the medium of industry or some work, which was to be given through the Basic Education, but proper attention has not been given. No doubt we have made progress in the field of education, but we have not imparted proper education to our children. If there is an atmosphere of violence in the country today it is because the youth of this country are very much frustrated. By this education they cannot get service, so they are frustrated.

There are two alternatives ; one of them is to nationalize our programme of education.

The other alternative is to inculcate in the minds of the students that the education being given to them was not meant enabling them for service but for making their character.

Thus I appeal that administration should try its utmost to encourage the students to build their character, so that the prestige of India might rise.

श्री कृ० मा० कौशिक (चांदा) : 1951 में अशिक्षित लोगों की संख्या 590 लाख थी, जब कि 1959 में 1051 लाख थी और 1961 में इनकी संख्या 3340 लाख थी। इन आंकड़ों से निष्कर्ष यह निकलेगा हालांकि 1951-61 के दशक में साक्षरता विकास 0·7 प्रतिशत था, फिर भी अशिक्षित की संख्या बढ़ती जा रही है।

इस प्रौढ़ शिक्षा में भी दोष पाये जाते हैं। पहली बात यह है कि वयस्क मताधिकार जो संसदीय लोकतंत्र से प्राप्त हुये हैं और प्रौढ़ लोगों में निरक्षरता साथ-साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि वयस्क मताधिकार का मतलब यह है कि लोग भिन्न-भिन्न दलों के कार्यक्रमों और विचारों को समझते हैं और इसके बाद इन्हीं विचारों के आधार पर वे अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि निरक्षर लोग किसी भी कार्यक्रम और विचारधारा को ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं। इसलिये निरक्षरता को समाप्त करना आवश्यक है।

दूसरी बात यह है कि प्रौढ़ निरक्षरता से परिवार नियोजन कार्यक्रमों में भी बाधा पड़ रही है और इस सम्बन्ध में जिस परिणाम की हमने आशा की थी, वह नहीं हो पाया है।

हमने बहुत अधिक सामाजिक तथा आर्थिक योजनायें बनाई हुई थी। ग्रामीण अशिक्षित आबादी कृषि सम्बन्धी तथा अन्य विकास योजनाओं में सहयोग देने और भाग लेने में असमर्थ है। इसलिये हमारे उद्देश्यों और प्राप्तियों में बहुत अधिक अन्तर मिलता है।

निरक्षरता के सम्बन्ध में अन्तिम और बहुत गम्भीर त्रुटि यह है कि व्यापारियों, मजदूर संघों और अन्य तत्वों द्वारा प्रौढ़ निरक्षर जनसंख्या का शोषण किया जा रहा है। इस प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिये यह अनिवार्य है कि निरक्षरता को समाप्त किया जाये।

हम प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करना चाहते हैं। कुछ राज्यों में एक कानून है, जिससे प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, परन्तु इसको कठोरता से लागू नहीं किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 45 के होते हुये भी हम दो दशक बाद भी वहीं हैं, जहाँ पहले थे। केन्द्रीय सरकार इस बात का आश्रय नहीं ले सकती कि यह राज्य का विषय है। यदि राज्य इसे नहीं करते हैं, तो

केन्द्रीय सरकार को इसे समवर्ती विषय बना देना चाहिये और हमारे देश के प्रत्येक कोने में अनिवार्य शिक्षा को लागू करना चाहिये ।

स्कूली शिक्षा जिला परिषदों तथा पंचायत राज के नियन्त्रण में है। यह राजनीतिज्ञों के लिये खेल का मैदान बन गया है। नियुक्तियां और स्थानानतंरण भी राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित होकर किये जाते हैं। यह देखने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये कि शैक्षिक संस्थाओं से राजनीति को दूर रखा जाये ।

प्राथमिक शिक्षा का अध्यापन अपने आप में एक कला है। 20 लाख में से 6 लाख अप्रशिक्षित को प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन का कार्य करने की अनुमति दी जा रही है। मेरे विचार में इस पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिये । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सम्बन्ध में समान्तार पत्रों और इस सभा में काफी अधिक आलोचना की गई है। यह ज्ञात नहीं है कि किस आधार पर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशक समाचार पत्रों के संवाद-दाताओं से भेंट करते हैं। यह एक मामला है, जिस पर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये ।

एक स्कूल आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। हमारे प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक असंतुष्ट हैं। उनके वेतन बहुत ही कम हैं। वे कठिन परिश्रम नहीं कर सकते। उनकी सेवा की शर्तें अच्छी नहीं हैं। पाठ्यपुस्तकों को निर्धारित करने में भी भाई भतीजावाद और पक्षपात का आधार लिया जाता है। यह उचित नहीं हैं। पुस्तकें आवश्यक स्तर की नहीं हैं। उनमें बहुत सी गलत बातें और तथ्यों का अयथार्थ वर्णन होता है। इसलिये एक आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिये, जो अध्यापकों के सेवा शर्तों की छानबीन करें और उनको नियत करें। इस सभा में कई बार यह प्रश्न आया है कि दोषपूर्ण मानचित्र में काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं दिखाया गया है।

माध्यमिक स्कूलों और कालिजों की बहुत अधिक वृद्धि हुई है। यदि वे अध्यापक को 100 रुपये देते हैं, तो उनसे टिकट लगे कागज पर 150 रुपये की रसीद ले ली जाती है। इसलिये मैं कहूंगा कि ऐसी बातों को रोका जाना चाहिये कि उन संस्थाओं को बन्द कर देना चाहिये । मन्त्री महोदय को इन बातों में सुधार करना चाहिये ।

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले सभा में बताया गया था कि समीक्षा समिति, जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के कार्य के बारे में विचार करने के लिये नियुक्त किया गया था, के प्रतिवेदन को लागू किया जायेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रतिवेदन को ताक पर रख दिया गया है और इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है ।

वह परिषद क्षेत्रीय कालेजों के नाम से प्रसिद्ध कुछ कालेज चला रही है, जिनमें प्रत्येक छात्र को 70 या 75 रुपये प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जाती है। समिति ने स्पष्ट रूप से यह सिफारिश की थी कि शिक्षा के क्षेत्रीय कालेजों में चार वर्षीय पाठ्यक्रमों के लिये नया दाखिला 1969-70 से समाप्त कर दिया जाना चाहिये और इस तरह जो साधन और सुविधायें प्राप्त हों, उनको एक वर्षीय सेवा प्रशिक्षण-कार्यक्रमों और विस्तार सेवाओं आदि के अनुसंधान और विकास के लिये उपयोग में लाया जाना चाहिये । इस सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है ।

इस समीक्षा समिति की एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में केवल चार विभाग, अर्थात् विज्ञान, शिक्षा तथा विज्ञान-कार्य विभाग, सामाजिक शिक्षा और मानवीय विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग और शैक्षिक मनोविज्ञान विभाग होने चाहिये। शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद के कार्य-पत्र में कहा गया है कि सात विभाग होंगे। यह स्पष्ट रूप से समिति की सिफारिश का उल्लंघन है।

एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश यह की गई कि शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद का एक निदेशक होना चाहिये। यह सच है कि इस परिषद में एक निदेशक को नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन बात यह है कि क्या उसका चुनाव और उसकी नियुक्ति उसी ढंग से की गई है जिस ढंग से अन्य विश्वविद्यालयों में होती है। मन्त्री महोदय को यह स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

समिति की सिफारिश यह भी है कि शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद को अनिवार्य रूप से मन्त्रालय के तकनीकी खण्ड के रूप में जारी नहीं रहना चाहिये। लेकिन यह निर्णय किया गया है कि यह परिषद शिक्षा मंत्रालय के एक खण्ड के रूप में जारी रहेगी। यहाँ फिर समीक्षा समिति की एक सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश का उल्लंघन किया गया है।

जहाँ तक शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद की उपलब्धियों का सम्बन्ध है, कुछ पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने के अलावा वहाँ कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। यह भी लगभग विदेशी पाठ्यपुस्तकों के अनुवाद ही हैं जो भारतीय वातावरण के लिये सर्वथा अनुपयुक्त हैं। पहले कुछ अच्छा अनुसंधान कार्य किया जा रहा था, लेकिन इस प्रतिवेदन को प्रकाशित करने और उस प्रतिवेदन का उल्लंघन किये जाने के बाद इस संस्था में पूर्णतया निराशा और उदासी का वातावरण छाया हुआ है। कुछ अच्छा अनुसंधान करने वाले लोग, जो बाहर से आये थे, वापस जा रहे हैं और शेष शिक्षा शास्त्री और अन्य लोगों को यह मालूम नहीं है कि वे क्या करें।

इस समिति के अनुसार संस्थान का पहला कर्त्तव्य यह था कि वह छात्रों के ज्ञान, प्रेरणा और अभिरुचियों को अनुसंधान के लिये प्रेरित करता और बाद में प्राथमिक शिक्षा को लेता। लेकिन इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर समिति ने कहा है कि इस संस्थान को चाहिये कि वह अनुसंधान तथा परीक्षा सम्बन्धी सुधारों की ओर अपने आपको केन्द्रित करे। लेकिन कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह समीक्षा समिति की सभी सिफारिशों को अक्षरशः और भावना से लागू करें अथवा इसे समाप्त कर दें और प्रतिवर्ष राजकोष के चार करोड़ रुपये की बचत करें।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न हमारे सामने अपने आप आता है, वह यह है कि भारत में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त वैज्ञानिकों के लिये भी क्या कोई स्थान है? वैज्ञानिक हमारे देश में वापस क्यों नहीं आना चाहते हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि मन्त्री जी हमारे देश में वर्तमान नौकरशाही सम्बन्धी वातावरण के विषय में कुछ भी करने में असमर्थ हैं।

हमारे देश में वैज्ञानिकों का एक पूल बना है। लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ है। प्रधान मन्त्री ने एक बार कहा था : "प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण कुछ कार्यों को नहीं किया जा सका है। सरकार के मुख्यालयों और मंत्रालयों में नौकरशाही की अनावश्यक उत्तेजना व्याप्त है। हमें विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान में पूंजी लगाने के संभव लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं और हम युवकों की प्रतिभा का उपयोग भी अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं।" प्रधान मन्त्री ने ये शब्द खड़गपुर के विज्ञान कांग्रेस में कहे थे।

जहाँ तक सरकार समिति का सम्बन्ध है, यह एक तथ्य-गोपन का मामला है। हमारे सामने तथ्य नहीं रखे गये हैं। इससे इस देश में विज्ञान सम्बन्धी तथा औद्योगिक अनुसन्धान के स्तर को उठाने सम्बन्धी संसद के वास्तविक और शक्तिशाली प्रयत्न को रोके जाने की संभावना है। ऐसा मालूम होता है कि सरकार समिति ने उत्तरदायित्व को निर्धारित करने और स्थिति के संकट को समझने से इंकार किया है जहाँ कि इतने अधिक धन का प्रयोग किया गया है।

हम मन्त्री महोदय से जानना चाहते हैं कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल क्यों रही है ? उन्हें हमें यह भी बताना चाहिये कि क्या वहाँ संसाधनों को बेकार किया गया है या नहीं। हमारा अनुभव तो यह है कि इसने कोई भी नया विचार सामने नहीं रखा है। मन्त्री जी पुराने विचारों में पड़े हुए हैं और वह एक शिक्षा शास्त्री के रूप में कुछ भी पहल करने में असमर्थ हैं। अतः जहाँ तक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का सम्बन्ध है, जो भी दस्तावेज उसके ध्यान या अधिकार में आये हैं, वे स्पष्टतया इस सभा के सामने रखे जाने चाहिये। यदि इस परिषद में अनियमित रूप से नियुक्तियां की गई हैं, तो सम्बन्धित लोगों को इन पदों पर बने नहीं रहने दिया जाना चाहिये, जिन पदों पर उन्होंने वैज्ञानिक प्रशासन के ठोस सिद्धांतों का उल्लंघन करके अधिकार किया है।

मंत्री जी ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निदेशकों के साथ अपनी बैठकों में यह आग्रह किया था कि वे अपनी परम्परागत व्यवस्थाओं को न कर अर्ध-विश्वविद्यालय के ढंग की प्रयोगशालाओं के लिये शैक्षणिक परिषदों की स्थापना करें, लेकिन पुरानी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

प्रतिवेदन में विमति-टिप्पण नत्थी था। पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने इसकी प्रशंसा की। हमें इस संसद में यह संकल्प करना चाहिये कि हम निहित स्वार्थों को, चाहे वे कहीं भी हों, जड़ से समाप्त करने के लिये संघर्ष करें। मैं यह चेतावनी दूंगा कि यदि सरकार देश के उच्चतम वैज्ञानिक संस्था के आचरण को इस तरह गिरने देगी, तो वह काहिल होगी।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की एक शृंखला है। श्री नेहरू ने उनको आधुनिक भारत के मन्दिर कहा था, लेकिन आज ये प्रयोगशालायें भारतीय नौकरशाही का अखाड़ा बन गई हैं। मन्त्री महोदय यह बतायें कि इस प्रश्न पर उनके क्या विचार हैं ?

सरकार समिति का प्रतिवेदन अत्यन्त खेदपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि इसमें अनियमितताओं का तो उल्लेख किया गया है, परन्तु फिर भी उनकी पूरी तरह जांच नहीं की गई। मन्त्री महोदय ने बताया था कि इन सभी मामलों की जांच करने के लिये एक अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

लेकिन जहाँ तक वैज्ञानिक प्रबन्ध सम्बन्धी गम्भीर मामलों का प्रश्न है, उन पर इस तरह कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

जब हम प्रतिभा-निकास के मामले पर विचार करते हैं तब हमें समझना चाहिये कि ऐसा क्यों होता है । जो वैज्ञानिक लोग सक्षम और योग्य है, उनमें निराशा है ।

विमति-टिप्पण में कहा गया है कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें सामने नहीं लाया गया है । प्रारम्भ में ही टिप्पण में यह कहा गया है "सबसे पहले हम यह पाते हैं कि समिति के समक्ष डा० जहीर द्वारा दिये गये वक्तव्यों को आलोचना के बिना मान्यता दे दी गई और उन्हें अनावश्यक महत्व दिया गया । दूसरे जिन अनेक तथ्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि डा० जहीर ने हैदराबाद के पी० आर० एल० के अपने सहयोगियों के साथ पक्षपात किया, उसे या तो पूरी तरह से छोड़ दिया गया है या उनका उल्लेख बिल्कुल सरसरी तौर पर किया गया है ।" इस सारे मामले की जांच की जानी चाहिये ।

अब मैं आपका ध्यान देश में शिक्षा की उच्च संस्थाओं की ओर दिलाता हूँ, क्योंकि ये दूसरों के लिए आदर्श के रूप में कार्य करती हैं । हमारे यहाँ देश के विभिन्न भागों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाएं हैं । ये संस्थाएं तकनीकी सहयोग से स्थापित की गई हैं । इनको आत्मनिर्भर बनाने में क्या कठिनाइयां हैं ? सरकार ने इन संस्थाओं के लिए अपनी स्वयं की प्रशासन पद्धति बनाई हुई है । अनुसंधान कार्य के लिए आवश्यक प्रोत्साहन लोगों को नहीं दिया जाता है । इनके पाठ्यक्रम तय करने में काफी अधिक हस्ताक्षेप किया जाता है । निदेशकों की नियुक्तियां तथा उनके कर्तव्य केन्द्रीय सरकार द्वारा तय किये जाते हैं । निदेशकों के अपने कोई अधिकार नहीं है और मूल अनुसंधान की उपेक्षा की जाती है । मन्त्री महोदय यह बतायें कि इस संस्थाओं के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त क्या हैं ? इस मन्त्रालय को शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय कहा जाता है, परन्तु मेरे विचार में यह शिक्षा तथा पुराने-कार्य मन्त्रालय हैं ।

अब मैं ग्रन्थालय के प्रश्न का उल्लेख करता हूँ क्योंकि बिना ग्रन्थालय के उच्च शिक्षा नहीं दी जा सकती है । इन ग्रन्थालयों के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ? 1966 में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री की अध्यक्षता में ग्रन्थालय पर राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना देश में ग्रन्थालयों की स्थापना करने, उनके विकास, उन्हें लोकप्रिय बनाने और उनमें सुधार करने के लिए की गई । परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति दिखाई नहीं दी है । मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में भी कुछ बताना चाहिए ।

इण्डिया आफिस लाइब्रेरी के बारे में प्रारम्भ में हमने बातचीत के दौरान कड़ा रवैया अपनाया था । परन्तु बाद में हमने इसे छोड़ दिया । हमने ब्रिटिश सरकार और पाकिस्तान सरकार के आगे घुटने टेक दिये और इस सम्बन्ध में 1965 में हमने न्यायाधिकरण की मध्यस्थता का सिद्धांत स्वीकृत कर लिया और इस मामले में ताजा प्रगति क्या हुई है, यह अभी भी रहस्यपूर्ण है ।

भारत के राष्ट्रीय ग्रन्थालय पर लिखते समय संसद की प्राक्कलन समिति ने यह रहस्योद्घाटन किया है कि कुल 2,00,000 कार्यों की दो-तिहाई पुस्तकें अभी दर्ज नहीं की गई हैं । उनके

पास यह कार्य करने के लिए कर्मचारी ही नहीं हैं। उनको वहाँ लाकर एकत्रित कर दिया गया है। मैं मन्त्री महोदय से यह मांग करता हूँ कि इस त्रुटि को दूर करने के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए ग्रन्थालय-विशेषज्ञों की एक ग़ैर-सरकारी समिति नियुक्त की जाये। राष्ट्रीय ग्रन्थालय के प्रश्न पर मन्त्री महोदय को ध्यान देने की आवश्यकता है। सभा में कई बार यह मामला उठाया गया परन्तु हमें यह नहीं मालूम कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई। तनावपूर्ण सम्बन्धों पर विचार करने के लिए खोसला समिति की नियुक्ति की गई। परन्तु उसके बाद क्या प्रगति हुई, यह हमें मालूम नहीं।

हमें यह मालूम नहीं है कि जो पुस्तकें हमारे देश में बाहर से आती हैं उनको कौन तय करता है, पुस्तक विक्रेता करते हैं या अमरीकी सूचना सेवा (यू० एस० आई० एस०) या वैदेशिक दूतावास में कोई और उनका निर्धारण करते हैं। हम मन्त्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि हमने संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य सूचना सेवा (यू० एस० आई० एस०) सोवियत संघ के साथ जो प्रबंध व्यवस्थाएं की हैं उनसे हमें कुछ लाभ हो भी रहा है या नहीं ?

जहाँ तक विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का सम्बन्ध है, हम प्रायः अपने आप से यह पूछते हैं कि विद्यार्थियों के क्या दोष हैं। मेरे विचार में उनमें कोई दोष नहीं है। हमारे अपने में दोष हैं।

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa) : Mr. Deputy Speaker, Sir, there has not been the desired progress in the field of education. Yet no concrete steps are being taken by Government to increase literacy in the country. Not only that but even the allotted amount under the heads of education are not being fully utilised. It shows sheer negligence on the part of Government so far as the education is concerned.

One of the functions of the Ministry of Education is to develop and propagate the use of Hindi. Hindi is our official language. But it is a matter of regret that the Ministry has not paid proper attention to the development and propagation of Hindi. The Annual Report of Ministry says that even the allotted amount for Hindi has not been fully made use of. The amount allotted for the voluntary organization for undertaking the work of developing and propagating Hindi has not been used in full.

Proper attention has also not been paid towards the fact that the allotted money or preparation of Hindi version of the office mannuals, etc., is to be utilized.

Also, there was a provision for preparing university books in Hindi. There again, the work has been laging behind.

I would like to draw attention of the hon. Minister that the tendency of violence is on the increase in the country, it is spreading amongst the students also. It is a very dangerous development. Steps must be taken to check it. It is said that students participation in College management would help solve the problems. But I think it is not going to solve the problem. In this connection the Kothari Commission has said the following :

"Whatever else the educationl system may or may not do, it should at least strive to enable youngmen and women to learn and practise civilised norms of behaviour and commit themselves honestly to social values of significance."

Our teachers have had a very low standard of living. They have been demanding higher scales of pay. If it is not possible to revise their scales of pay, at least some facilities like accommodation or scholarships to their wards can be granted to them.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरे कई एक माननीय मित्रों ने इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि हिन्दी के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। शिक्षा मन्त्रालय की बजट अनुदानों को देखने से पता चलता है कि 1969-70 के लिए विभिन्न रूपों में हिन्दी पर 1.85 करोड़ रुपया और 13 अन्य भाषाओं पर 7.8 लाख रुपया व्यय किया गया है।

इस वर्ष सरकार ने राष्ट्र की स्वर्गीय विभूतियों पर कुछ धन व्यय किया है। वह इस प्रकार है :—गांधी जी—1.01 करोड़ रुपये; पंडित नेहरू—3.119 करोड़ रुपये; लाल बहादुर शास्त्री—39.79 लाख रुपये; जाकिर हुसैन—2 लाख रुपये और नेताजी पर 5000 रुपये। ये आंकड़े सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये को स्पष्ट करते हैं।

1968-69 में नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए बजट प्राक्कलन 20,000 रुपये था। 1969-70 और 1970-71 में इसके लिए कुछ भी धनराशि निर्धारित नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि सरकार नैतिक शिक्षा की ओर कितना ध्यान दे रही है।

'सरकार समिति' का अन्तिम प्रतिवेदन जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्य की जांच से सम्बन्धित था वह उस मूल प्रतिवेदन से भिन्न था जो समिति के सदस्यों को दिया गया था। यह अन्तिम प्रतिवेदन अत्यन्त रहस्यमय था और इसमें उन लोगों की काली करतूतों को छुपाने का प्रयत्न किया गया है जिन्होंने इस महान संस्था को भ्रष्टाचार, अकुशलता, पक्षपात, और सत्ता को पूजने की राजनीति का अखाड़ा बना दिया जबकि इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के लाभ के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का ऊंचा आदर्श था।

श्री डी० एस० जौहर द्वारा श्री किदवई के नाम का एक पत्र समिति को दिया गया था, परन्तु मूल प्रतिवेदन में जो, समिति को दिया गया था, उसे शामिल नहीं किया गया है।

यह पत्र सदस्यों को दिया गया था, परन्तु इसे मूल तथा अन्तिम दोनों ही प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया गया।

श्रीमन् मैं ऐसे अनेक अन्य मामलों का उदाहरण दे सकता हूँ। श्री भारत भूषण जो बी० एस० सी० (आनर्स) तीसरी श्रेणी में और दूसरी श्रेणी में एम० एस० सी० थे उन्होंने अपने आपको पी० एच० डी० बताकर धोखाधड़ी से हैदराबाद के सहायक निदेशक का पद प्राप्त कर लिया। इन के बारे में जो प्रतिवेदन था उसका उल्लेख मूल प्रारूप में था परन्तु अन्तिम प्रतिवेदन में इसे स्थान नहीं दिया गया। क्षेत्रीय प्रयोगशाला, जोरहाट के निदेशक डा० एम० एस० आयंगर का गोपनीय प्रतिवेदन का उल्लेख मूल प्रारूप में किया गया परन्तु अन्तिम प्रतिवेदन में उसका कोई उल्लेख नहीं था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें तथ्यों को हटा दिया गया है।

डा० हुसैन जहीर ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बनने के बाद चार महीने के अन्दर ही हैदराबाद प्रयोगशाला से 8 आदमियों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख पदों पर नियुक्त किया। ये नियुक्तियां बिना किसी विज्ञापन आदि दिये गए ही कर दी गईं।

डा० जहीर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में अनेक बुराइयों के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने कुछ स्थानों को कुछ समय के लिए जान बूझकर खाली रखा और फिर सहसा उन स्थानों पर अपने आदमियों की नियुक्ति कर दी। दूसरे, वर्तमान पदाधिकारियों को ऊंचा वेतन देकर दो नये पदों को बनाया गया तथा ऐसे पदों को भी बनाया गया जो आवश्यक नहीं थे। अपने चुने हुए आदमियों के लिए स्थान बनाने के लिए लोगों को एक प्रयोग शाला से दूसरी प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला से प्रमुख कार्यालय में स्थान्तरित किया गया। अनेक वरिष्ठ पदों के लिए बिना कोई विज्ञापन दिये चुनाव समितियां गठित किये बिना और कोई भी प्रतियोगिता आयोजित किये बिना पहले से ही चुने हुए व्यक्तियों को रख लिया गया। उन्होंने इन ऊंचे पदों पर ऐसे लोगों को नियुक्त किया जिन्होंने न तो इन पदों के लिए अभ्यावेदन दिया और न ही वे साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए।

जांच समिति के सभापति ने जो गलतियां की है उनको प्रकाश में लाने के लिए मन्त्री महोदय को मूल प्रतिवेदन सभा पटल पर रखना चाहिए।

जयपुर के परा-मनोवैज्ञानिक संस्थान के निदेशक 21 नवम्बर को अमरीका के दौरे पर गए। उनकी अनुपस्थिति में अधिकारियों ने इस यूनिट को अधिकृत कर लिया, इसे सील कर दिया और उनकी पाण्डुलिपि, और उन्होंने जो आंकड़े एकत्रित किए थे तथा अन्य मूल्यवान अनुसंधान उपकरणों को एक अमरीकी अनुसंधान कर्ता के हाथ बेच दिया। विश्वविद्यालय के अधिकारियों से ऐसा करने की अपेक्षा कदापि नहीं थी। अभी तक उन्हें अपनी पाण्डुलिपि, पुस्तकें, आंकड़े और उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

कलकत्ता के प्रेसीडेन्सी कालेज ने एक पत्रिका प्रकाशित की है जिसका पूरा व्यय सरकार द्वारा दिया गया! इस पत्रिका में लेनिन, माओन्से तुंग, हो ची मिन्ह और अन्य लोगों के चित्र हैं। इसमें बताया गया है कि क्रांति कैसे प्रारम्भ की जा सकती है। उसमें पहली नक्सलपंथी नेता चारू मजूमदार, श्री काकुलम, नेताओं आदि के चित्र हैं।

मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वे तुरन्त ही एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करें जो कम से कम कुछ कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों के मामले का अध्ययन करे कि आखिर वे लोग क्यों देशद्रोही और राष्ट्रविरोधी बन जाते हैं।

Shrimati Laxmi Bai (Medak) : Mr. Speaker, Sir, I support this demand.

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
SHRI K. N. TIWARI *in the chair*]

The ministry of education had appointed a number of commissions and committees and spent lakhs of rupees over them. But it is regrettable that the recommendations of these commissions have remained unimplemented.

The ministry has not been able to do much in the field of education. They have no control over the State Governments. The ministry pleaded helplessness in regard to many matters. What is the use of having an Education Ministry at the Centre if it could have no influence with the state governments? This ministry should be wound up if it could not serve any purpose.

Percentage of literacy in our country is very low. While it is 24% in the country as a whole it is 20% in Andhra Pradesh. It is only 11% in Telengana. Percentage of literacy among women is only 12 percent. The Government should do something to cater to the needs of educationally backward areas.

Today in Andhra Pradesh 2 lakh teachers are on strike but have you ever intervened ? Before independance religious and moral education were imparted in the schools but after independance it has dissapeared. There is no spiritual spirit now in the educated persons but to some extent it is found in illeterate persons. I, therefore, think that illeterate persons are better than the literate.

Now I want to say something about teachers. Kothari Commission was appointed but its recommendation regarding payscales have been implemented in the Central Institutions and not in others. The government should take steps so that the scales recommended by the Commission are implemented in all educational institutions. There is discontent among teachers on this account and is should be removed.

There are a number of schools in rural areas which have no buildings. The state governments are doing nothing in the matter. The Central Government should provide adequate funds for providing school buildings.

There are many primary schools which do not have adequate number of teachers. Lady teachers should be appointed in the primary schools. Vocational schools do not have teachers and necessary equipments. The Government should improve the educational system of basic schools.

The ministry should pay due attention to women education. Unless women in our country are educated our society cannot improve. The Education Minister has said that a sum of Rs. 20 crores has been allocated for women education in the Fourth Plan. This money should be spent in accordance with the suggestion made in the report of Womens National Commission.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Chairman, I rise on a point of order. The report which was prepared by the Committee of inquiry headed by Shri A. C. Sarkar to go into the funcitoning of the CSIR, has been changed under pressure from the former Director General of Council of Scientific and Industrial Research and the Prime Minister. Shri Sarkar has been presurised in the matter. Hon. Minister should clarify the whole position. Till that is done the discussion on the Demands of the Ministry should be postponed or the Minister should give an assurance that a separate discussion would be held on the Council of Scientfiic and Industrial Research Committee report.

May I lay this original report on the Table of the House with your permission.

Mr. Chairman : It would be laid on the Table of the House with the permission of the Speaker. But you can submit it.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : There should be a discussion on the whole report.

Mr. Chairman : The minister would reply to the points raised while replying to the discussion on Demands for Grants.

श्री अंबाजागन (तिरुचेंगोड) : सभापति महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद 22 वर्षों से सरकार यह दलील देती रही है कि चूंकि शिक्षा को संघ सूची में स्थान नहीं मिला है, अतः शिक्षा विषय उनके प्रशासन क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है ।

मूल तमिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित

Translated from the English Translation of Speech delivered in Tamil

अनुदानों की मांगों पर गत वर्ष हुए वाद-विवाद का उत्तर देते हुए शिक्षा मन्त्री ने बताया था कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के संवैधानिक दायित्वों को पूरा न करने का कारण और लोगों के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जिन्होंने अपने कर्त्तव्यों का भलीभांति पालन नहीं कियाहै। यदि शिक्षा मन्त्री महोदय यह तर्क देकर अपने आपको मुक्त करना चाहते हैं कि शिक्षा की समस्या राज्य सरकारों द्वारा निपटाई जानी है, तो वे संवैधानिक दायित्वों को छोड़ने के दोषी ठहराये जायेंगे। संविधान में बताये गये राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों को निस्सन्देह राज्यों द्वारा बनाये गये कार्यक्रमों द्वारा ही कार्यान्वित किया जाना है, लेकिन अन्त में उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से केन्द्रीय सरकार पर आता है।

मैं समझता हूँ कि केन्द्रीय सरकार शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं कर सकी, क्योंकि इन सभी वर्षों में उसका ध्यान राजनीतिक मामलों की ओर अधिक केन्द्रित रहा है। जहां कहीं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है, वहाँ जनता में लोकतंत्रीय मूलवृत्तियों का विकास हुआ है। जहाँ कहीं शिक्षा के विकास और शिक्षा का स्तर बढ़ाने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, वहां हम देखते हैं कि लोकतन्त्र को कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी बंगाल के मामले में लोगों पर राजनीतिक दलों के प्रभाव से ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने हिंसात्मक आन्दोलनों को अपनाया है। कारण यह है कि जिस कांग्रेस दल ने 18 वर्ष की लम्बी अवधि तक राज्य पर शासन किया है, उसने राज्य में शिक्षा के विकास के लिये पर्याप्त प्रयास नहीं किये और इस तरह उसने छात्रों और युवकों को अपनी शक्ति अवज्ञापूर्ण गतिविधियों में लगाने का अवसर दिया।

हमारे देश की अधिकांश जनता को प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित रखे जाने का कारण बच्चों को अच्छी शिक्षा न देने, व्यापक रूप से पौढ़ शिक्षा का प्रसार न करने और जनता में व्यापक शिक्षा की व्यवस्था न करने में सरकार की असफलता है। केन्द्रीय सरकार इसमें होने वाले खर्च को सहन करने के लिये तैयार नहीं है। हम अपने वार्षिक बजट अनुमानों में शिक्षा के लिये 3 प्रतिशत की भी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। संशोधित चौथी योजना में 840 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। विराट कार्य की तुलना में यह धनराशि बहुत ही नगण्य है।

अगले 10 वर्षों में हमें लगभग 25 करोड़ बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। केन्द्रीय सरकार को समझना चाहिये कि यह केवल बहुत बड़ी जिम्मेदारी ही नहीं है, अपितु एक कर्त्तव्य भी है जो कि उस पर डाला गया है। यदि केन्द्रीय सरकार यह दलील देती है कि शिक्षा राज्यों का विषय है और राज्यों को इस पर ध्यान देना चाहिये, तो एक समय ऐसा आ सकता है जब कि संविधान में बताये गये राज्य के नीति निदेशक तत्वों की मर्यादा कायम नहीं रहेगी।

केन्द्रीय सरकार एक समाजवादी सरकार होने का दावा तब तक नहीं कर सकती, जब तक वह शिक्षा के लिये अधिक धनराशि की व्यवस्था नहीं करती। यदि सरकार अपनी समाजवादी

घोषणाओं पर अटल रहना चाहती है, तो उसे बजट में शिक्षा संबंधी वर्तमान 3 प्रतिशत आवंटन को पांच गुना तक बढ़ा देना चाहिये । यदि सरकार समूचे देश में समाजवाद के प्रति विश्वास पैदा करना चाहती है, तो उसे यह प्रयास करना चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी समाजवाद के बारे में पूरी-पूरी जानकारी हो ।

केन्द्रीय सरकार को शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्यों को प्रोत्साहन देना चाहिये । यदि कोई राज्य सरकार अपने बजट का 20 प्रतिशत से अधिक भाग शिक्षा पर खर्च करना चाहती है, तो केन्द्रीय सरकार को 20 प्रतिशत आवंटन के अलावा अतिरिक्त व्यय का 50 प्रतिशत भाग पूरा करना स्वीकार करना चाहिये । केन्द्रीय सरकार को यह प्रोत्साहन वित्तीय अनुदान के रूप में देना चाहिये । केवल तभी शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों से समाज को लाभ होगा ।

अब मैं सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अनेक आयोगों और समितियों के बारे में उल्लेख करूंगा । यद्यपि हमने शिक्षा की पूरी तरह समीक्षा की है, तथापि हम जो करना चाहते हैं, वह करने में हमें सफलता नहीं मिली है । इसका मूल कारण यह है कि इन आयोगों में से किसी का भी उनके विचारार्थ विषय में इस प्रकार का उद्देश्य नहीं था कि पांच वर्ष की निर्धारित अवधि में क्या कुछ पूरा होना संभव है । उन्होंने केवल यह कहा कि किसी अच्छे आदर्श के लिये प्रयत्न करना चाहिये । 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक आदर्श है और इसे एक निश्चित अवधि तक प्राप्त किया जाना चाहिये । कुछ राज्यों में 11 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिये भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है । भले ही इन आयोगों में महान शिक्षा शास्त्री हों लेकिन हमें अनेक क्षेत्रों में सफलता नहीं मिली है, क्योंकि उन्होंने आज की स्थिति का यथार्थ रूप से मूल्यांकन नहीं किया है और यह अगले पांच वर्षों में किस तरह सुधर सकती है ।

श्री नाग चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के बारे में अपने प्रतिवेदन में इस परिषद की कमियों का अच्छी तरह विश्लेषण किया है । यदि मन्त्रालय इस प्रतिवेदन को ताक पर रखना चाहता है तो सरकार समिति नियुक्त ही क्यों करती है ? आज इस परिषद पर अनेक घोटालों के सम्बन्ध में आरोप लगाये गये हैं लेकिन फिर भी वह निःशंक होकर काम करता आ रहा है ।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने हमारे प्रतिभा निकास को रोकने के विचार से राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना को लागू करने में अपने आपको व्यस्त रखा है । इस योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक अभिरुचि तथा प्रतिभा रखने वाले बच्चों को चुना जाता है, उनको वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे अपने पसन्द के क्षेत्र में प्रगति कर सकें । इस योजना के अन्तर्गत अधिकांश छात्र दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे राजधानी नगरों में से चुने जाते हैं । ऐसा दिखाई देता है कि इस योजना को इन नगरों के लोगों के लिये लागू किया गया है ।

अब मैं इस बात का उल्लेख करूंगा कि सभी केन्द्रीय स्कूलों में क्षेत्रीय भाषायें नहीं सिखाई जाती हैं । तमिलनाडु की सरकार केन्द्रीय स्कूलों में क्षेत्रीयभाषाओं की शिक्षा दिये जाने के लिये बार-बार अनुरोध करती रही है । यदि सरकार इस प्रयोजन के लिये एक शिक्षक

नियुक्त करे, तो पर्याप्त हो। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार एक विचित्र दलील दे रही है कि राज्य सरकार को इस शिक्षक के वेतन का 50 प्रतिशत भाग देना चाहिये और शेष 50 प्रतिशत भाग छात्रों द्वारा पूरा किया जाना चाहिये। इससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि क्षेत्रीय भाषाओं का कितना आदर किया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद के दिल्ली में स्थित होने के कारण विभिन्न राज्यों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के उसके सारे प्रयत्न असफल सिद्ध हुए हैं। जब शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये कोई योजना बनाई जाती है, तो यह विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त विशेष समितियों के परामर्श तथा समन्वय से बनाई जानी चाहिये। इसी तरह अनूदित तथा मौलिक रचनाओं के प्रकाशन के लिये दी जाने वाली वित्तीय सहायता को विश्वविद्यालय के माध्यम से दिया जाना चाहिये। शिक्षा मन्त्री ने यह प्रस्ताव उपकुलपतियों के सम्मेलन में स्वीकार किया था। यदि यह प्रणाली अपना ली जाये तो अभी जो कमियां या त्रुटियां हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है। प्रादेशिक भाषाओं को भी देश के शिक्षा सम्बन्धी विकास में वह स्थान मिलेगा जो उन्हें मिलना चाहिये। इसके साथ ही साथ हम अच्छी पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित कर सकेंगे।

मैं माननीय शिक्षा मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि वह इस नये दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर उपयोगी कार्यक्रमों को आरम्भ करें।

श्री अ० सिं० सहगल (बिलासपुर) : मैं उन माननीय सदस्य को सूचित कर दूँ, जो अभी बोले हैं कि माध्यमिक उच्चतर बोर्ड की परीक्षाओं में तामिल, तेलगु कन्नड़ और बंगाली, इन सभी भाषाओं में परीक्षा पत्र तैयार किये जाते हैं और विद्यार्थियों को उन परीक्षाओं में बैठने की अनुमति मिली हुई है।

श्री शिवचंडिका प्रसाद (जमशेदपुर) : बिहार में भी ऐसा किया जा रहा है।

Mr. Speaker : Hon' ble Members, who speak, may please keep in mind that they may kindly finish their speech within the allotted time so that others may also get chance to speak on this important subject.

Shri Nar Deo Shatak (Hathras) : Today any learned person understands very well that culture is very important for the progress of any nation and the culture is based on the language. During British Rule, they wanted that Indian should become Englishmen in each and every respect. The same defective system of education of British continues even today. Unless that system of education is radically changed, no real progess is possible in this country.

We became free 22 years ago, but very little has been done to change the system of education and English still remains the medium of instruction in the field of higher education. In the past, people from foreign countries used to come to India for getting every kind of education, but now Indian people are going to America and other countries for the sake of Degrees. If this argument is given that there are no books in Hindi and other regional languages, then the school and colleges should be closed for sometime and the books should be prepared first and then the educational institutions should be reopened.

Unfortunately, the people in the Central as well as in the State Governments say that without English our work cannot be done, they do not want Hindi to become official

language. Unless some effective steps are taken by the Government, Hindi cannot get due place in the country.

The present system of examination does not serve any purpose and it should be changed. The Students do not remain busy in their studies and still they pass the examination by going through the cheap notes etc. for few days.

I want to say about Sanskrit also, which is said to be mother of all the Indian languages. But it is being neglected. The grants, which is given to Sanskrit Institutions are not sufficient. Government should pay proper attention towards the propagation and development of the Sanskrit Language.

The salaries of Gurus, Professors and Teachers are very low, but their place in the conntry is very important. When they ask for more emoluments, the Government say that they have got no money for this purpose.

I want that Hindi and Sanskrit should be developed and propagated and the system of education must be changed, so that the people of this country may be developed in proper way.

Some coleagues of ours have said that we were not successful for making the people literate. I want that compulsary and free education should be imparted upto Primary and Middle stage.

In the end I support the grant of demand for the education ministry.

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : Mr. Speaker, the aim of education has not been fulfilled so far. The main aim of education is to develop the human qualities of an individual. If we see the results, which we have achieved so far, they are not satisfactory. After independence the Graduates coming out of the colleges and schools do not have the good qualities of good character and honesty. We are very much disappointed, when we see that they indulge in the activitves of loot, arson, theft, dacoities etc. Therefor it is the appropriate time that something must be done to change the present system of education which is producing such type of citizens.

It is absolutely necessary to employ good quality of teachers, if we want to improve the quality of our students. Until teachers themselves do not become good, the students can't become good. Keeping in view this, if the system of education is changed, only then we will see some change in life and atmosphere of the country.

So for as the medium of instruction is concerned, it must be the child's mother tonges, which he understands from the beginning and it is spoken at his home, so that it may not put extra burden on the Child.

We all learn the Sanskrit language, but it is not being taught in a proper way due to three language formula. During British Rule it was being neglected. Even today the same thing is continued. The Education Ministry should take responsibility for protecting this language.

The Minister has stated that the amount of Rs. 255 Lakhs has been allocated for the development and propagation of the Sanskrit language during next Plan. In this connection I want to say that on the one hand the Government give Rs 50 Lakhs to all the Gurukuls and Pathshalas and on the other a some of Rs. 25 Lakhs has been given to Lal Bahadur National Sanskrit Vidyapeeth of Delhi. The Government should consider that our Gurukuls and small Pathsalas are doing so much good work. What is the acheivement of this Vidyapeeth of Delhi.

A Sanskrit Conference was held in Calcutta for which a sum of Rs. 1 Lakh had been collected. After the conference a sum of Rs. 70-75 thousands remained unspent. It was told in the beginning that it would be spent on the construction of a building for Sanskrit Sammelan, but now it is being told that the amount has been spent for some other useful pupose. It should be seen that the public money should not be misspent and misused.

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : अध्यक्ष महोदय, इस बात पर दो मत नहीं हो सकते कि शिक्षा शास्त्री और दूसरे लोग, जो शिक्षा विभाग का संचालन कर रहे हैं, वे राष्ट्र और भावी पीढ़ी के हित के लिये कार्य करने में असफल रहे हैं। वे स्वतंत्र भारत की आवश्यकता पूरी करने में पूरी तरह असफल रहे हैं।

हमें बेरोज़गारी कृषि आदि समस्यायों का सामना करना पड़ रहा हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति से समस्या सुधरने के बजाय और खराब होती जा रही है।

हमारी शिक्षा पद्धति के अनुसार एक बच्चे को तीन या चार भाषायें पढ़ाई जाती हैं—प्रादेशिक भाषा, विदेशी भाषा, और यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रीय भाषा। इस प्रकार बच्चों पर अधिक बोझ डालने से अच्छा भारत नहीं बनाया जा सकता। मेरे विचार में इस प्रकार से देश में फूट डाली जा रही है।

वर्तमान शिक्षा पद्धति का विकास अंग्रेजों ने किया था जिसके अनुसार वे एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे, जो उनका वफ़ादार हो और साथ ही अपने देशवासियों का भी ध्यान रखे। ऐसी शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हमारी बेरोज़गारी की समस्या को हल किया जा सके। परन्तु विश्वविद्यालयों से निकले हुये 5 प्रतिशत लोग भी कृषि को व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाते और वे नौकरियों की माँग करते है। इसका कारण यह है कि जो शिक्षा उनकी दी गई है, जिससे वे खेतों में काम करने के बजाय नौकरी ही अधिक अच्छी समझते हैं। वास्तविकता यह है कि वर्तमान समूची शिक्षा पद्धति अन्य स्वतंत्र व्यवसायों की अपेक्षा नौकरी को अधिक श्रेष्ठता प्रदान करती है। यदि 5-7 एकड़ भूमि प्रत्येक कृषि स्नातक को दे दी जाये और उनको खेत पर कम से कम 10 साल तक काम करने दिया जाये, ताकि वह अपनी जानकारी कार्यान्वित कर सके।

इसी प्रकार इंजीनियरी कालिजों को देखिये, आप के पास 40,000 बेरोजगार इंजीनियर हैं। ऐसा इस लिये है कि उनको ऐसी शिक्षा दी गई है, जो नौकरी को महत्ता प्रदान करती है और स्वतंत्र रोज़गारों की उपेक्षा करती है। यदि नौकरियों और प्रादेशिक प्रकृतियों को महत्ता प्रदान न की जाये, तो 5 से 10 वर्ष के अन्दर वर्तमान बेरोज़गारी की समस्या को पूरी तरह हल किया जा सकता है।

वर्तमान शिक्षा पद्धति ऐसी हैं कि परीक्षा पास कर लेने के पश्चात् हम सब कुछ सीखा हुआ भूल जाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति का क्या लाभ ? इस परीक्षा पद्धति को बदलने में क्या कठिनाई है ? विद्यार्थियों को केवल व्यवहारिक पहलू को समझने दिया जाये। परीक्षा की पद्धति को बदलने के लिये मैं प्रार्थना करता हूँ।

मैं मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ ।

श्री ज्योर्तिमय बसु (डायमंड हार्बर) : एक शिक्षा-शास्त्री ने कहा है कि शिक्षा उद्योग के समान केवल लाभ मात्र के लिये नहीं है । शिक्षा अच्छे जीवन का आधार है, यह आर्थिक परियोजनाओं में निवेश का विकल्य नहीं है । शिक्षा को एक राष्ट्रीय निवेश के रूप में समझा जाना चाहिये । पिछले 15 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने क्या किया है, उसका विवरण हमें बताया जाना चाहिये ।

शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्षों के पश्चात् और भारत में शिक्षा पद्धति के आयोजन के बाद भी साम्राज्यवादी प्रशासन की आवश्यकतायें अधिकांश ज्यों की त्यों बनी हुई हैं । सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के और सक्रिय प्रयत्न करने के बजाय इस शिक्षा पद्धति से फूट डालने वाली प्रवृतियों और कई गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में जातीयता की भावना को प्रोत्साहन मिला है ।

हमारी शिक्षा प्रणाली में विदेशी साम्राज्यवादी शिक्षा प्रणाली ने प्रभाव डाला है । मैं 15 वर्ष से अधिक आयु के (पुरुषों) की साक्षरता के प्रतिशत के अर्न्तराष्ट्रीय आंकड़े देता हूँ । ब्राजील–65 प्रतिशत, फ्रांस–96.7 प्रतिशत, इन्डिया–41.5 प्रतिशत, जापान–99 प्रतिशत, मैस्क्किो–70.2 प्रतिशत, अमेरिका 97.5 प्रतिशत, सोवियत संघ–99.3 प्रतिशत ।

1960-62 में कुल राष्ट्रीय आय का शिक्षा पर व्यय की प्रतिशतता इस प्रकार रही :– जापान–5.5 प्रतिशत, मिश्र–4.7 प्रतिशत, अमेरिका–6.6 प्रतिशत और सोवियत संघ–6.1 प्रतिशत ।

सरकार ने 23 वर्षों में क्या किया ? संविधान के निदेशक सिद्धान्तों से यह आशा की गई थी कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सारे बच्चों को 1962 तक पूर्ण रूप से अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा दी जायेगी । योजना आयोग के अनुसार 1968-69 तक केवल 63 प्रतिशत बच्चे जिनकी आयु 6-14 वर्ष की आयु तक की है स्कूलों में जा रहे होंगे । इसके अतिरिक्त गाँव में स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत शहरों की तुलना में बहुत कम है । हमने आशा की थी योजना बनाने वाले निदेशक सिद्धान्तों की चौथी योजना के अन्त तक कार्यान्वित कर देंगे । किन्तु योजना प्रारूप में ऐसा कुछ नहीं किया गया है ।

1973-74 में 6—11 वर्ष की आयु तक के बच्चों की संख्या प्रारम्भिक स्कूलों में तथा 11-14 वर्ष तक के बच्चों की मिडल स्कूलों में संख्या 85 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

माध्यमिक शिक्षा के विषय में 14 से 17 वर्ष की आयु तक के बच्चों की संख्या 1960-61 में 3.03 लाख, 1965-66 में 5.19 लाख, 1968.69 में 6.59 लाख है ।

विश्व-विद्यालय शिक्षा की क्या दशा है । डा० कोठारी के अनुसार भारत में प्रति वर्ष, प्रति छात्र व्यय 2 डालर है जबकि अमेरिका में यह 300 डालर है ।

"प्रारम्भिक स्तर पर पिछड़े वर्गों को शिक्षा का बहुत कम लाभ हुआ है । बड़ोदा जिले में यह पता चला है कि यहाँ के स्कूलों में अधिकांश छात्र बड़ी जातियों के हैं । इसी प्रकार के

एक और अध्ययन से पता चला कि कैरा जिले में 80 प्रतिशत छात्र स्कूलों में सवर्ण जातियों के हैं।"

मुझे विश्वास है कि डा० राव इस स्थिति को ध्यान में रखेंगे।

आपने कलकत्ता तथा पश्चिमी बंगाल को मिलाकर पिछड़े हुए पूर्वी राज्यों के लिए क्या किया है। शिक्षा मन्त्री द्वारा मेरे लिए लिखे गए एक पत्र से मैं कुछ बातें बताता हूँ।

"पश्चिमी बंगाल में प्रारम्भिक शिक्षा की दशा सोचनीय है। भारत के अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ के प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन बहुत कम है। कलकत्ता जैसे बड़े शहर में मुफ्त प्रारम्भिक शिक्षा का बहुत कम प्रबन्ध है। शिक्षा को आठवीं कक्षा तक मुफ्त करने के लिए लगभग 9 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है" कुछ समय पहले पहली और दूसरी श्रेणियों के लिए बंगाली तथा नेपाली पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण शुरू किया गया था। इस तरह की व्यवस्था अन्य भाषा बोलने वाले वर्गों के छात्रों के लिए भी तत्काल की जानी चाहिए इस कार्य के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा था कि वह भारत के विभिन्न राज्यों के लिए एक स्वीकृति प्रदान करने वाले एजेंट के रूप में कार्य करे और बंगाली पुस्तकों के बदले में उसके लिए उर्दू, हिन्दी और मलयालम आदि जैसी अन्य भाषाओं की पुस्तकें प्राप्त करे, लेकिन यह मामला छोड़ दिया गया है।

इस समय राजनीतिक पीड़ितों के केवल एक बच्चे को वजीफा दिया जाता है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उनके वित्तीय सहायता के कोटे को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है, ताकि यह सुविधा बिना किसी रुकावट के दी जा सके।

श्रीमान जी शिक्षा के क्षेत्र में जो उपेक्षा दिखाई गई है वह डा० राव के मन्त्रालय के अनुसार इस प्रकार है :--

"शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार चौथी योजना में शिक्षा मन्त्रालय को इसमें सबसे कम राशि दी गई है।"

क्या शर्मनाक बात है।

यह भी उपहास पूर्ण बात है कि नई नीति के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र द्वारा की जाने वाली योजनाएँ समाप्त की जा रही हैं या उनकी संख्या घटाई जा रही है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारत सरकार संविधान के अनुसार अपनी शिक्षा नीति पर कार्य कर सकता है। आप कहते हैं कि शिक्षा का कार्य राज्यों का काम है। अतः सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 270 अधिकारियों को रखने की क्या आवश्यकता है।

अब मैं अध्यापकों की स्थिति पर आता हूँ। आपने अध्यापकों के दर्जे में सुधार लाने के लिए क्या किया है ? मैं शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन से कुछ निम्नलिखित उद्धरण देता हूँ :--

"स्वतन्त्रता के पश्चात प्रत्येक योजना में निरंतर रूप से हर स्तर पर अध्यापकों के वेतनों में सुधार लाने के लिए प्रयत्न किए गए, परन्तु परिणामों में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई।"

आप किस प्रकार यह आशा रखते हैं कि अध्यापक बच्चों को पढ़ाते रहेंगे, जबकि उनको दो समय का खाना भी उपलब्ध नहीं होता।

पन्त मार्ग पर एक बहुत बड़ा आश्रम बनाया गया है, जिस पर शिक्षा मन्त्रालय द्वारा खर्च करने के लिए दिया जा रहा है। उनके पास इन कामों के लिए पैसा है। शिक्षा मन्त्रालय ने योगाश्रम के लिए दो एकड़ भूमि भी दी है।

राष्ट्रीय संग्रहालय में 1968 में निदेशक का पद खाली हुआ। लोक सेवा संघ आयोग ने इसके लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की लेकिन भूतपूर्व राज्यपाल के हस्तक्षेप से समूची बात को छोड़ दिया गया और अवकाश प्राप्त व्यक्ति अभी भी इस पत्र पर कार्य कर रहा है।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ पर भूतपूर्व निदेशक अभी कार्य कर रहा है, इस देश में कुछ भी ठीक नहीं किया जाता।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में पूरी जांच करने की मांग की है।

कलकत्ता राष्ट्रीय पुस्तकालय में स्थिति अव्यवस्थित है, अधिकारी के अपने स्टाफ के साथ अच्छे सम्बन्ध नहीं है।

हमने मांग की है कि केन्द्रीय बजट का 10% शिक्षा के लिए नियत किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर 60% व्यय वहन करना चाहिए। तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए भी उसे वही उत्तरदाइत्व निभाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा के साधनों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और केन्द्रीय सरकार को समस्थ देश में महिलाओं की शिक्षा की योजना को कार्यान्वित करने के लिए अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

मैं यह पूछते हुए निष्कर्ष पर पहुँचूंगा कि क्या माननीय शिक्षा मन्त्री यह बतायेंगे कि पिछले बीस वर्षों में राज्य जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हैं उनकी सहायता के लिए क्या कदम उठाये गये हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल, इन पांच पूर्वी राज्यों, जो कि कांग्रेस सरकार के अनुचित शासन से बीस वर्षों में भी उन्नत नहीं हो पाये, उनको सहायता देने के लिए क्या विचार है?

Shri Manibhai J. Patel (Damoh) : Mr. Speaker, I want to draw attention of Hon. ble Minister to some important facts. I want to request that there should be planned education in the Country. In the last five year plans, budget was allocated but had not been utilized for this purpose.

Besides this in U.S.S.R. (Moscow) University fourty five languages are taught to students. In India except Delhi and Bombey no University is having such system.

Now I want to state something about primary education. The rejected poeple are teachers for first to eightth standard. Due to this there is no improvement in the standard of the primary education. The selection system of the teachers is defective which I totaly hate. Because it is a question of primary education and a sort of foundation.

Some members have just now stated that a little part of the total budget isunmarked for education and only two Dollars are spent for a student in a year.

Now I come to adult women's education. In our Country there is arrangement of adult education for men but there is no arrangement for adult women education. In this budget also there is no provision for adult women's education. I want that more and more attention should be given to it.

If we see the figures of the past 20 years, we find that the amount allotted by the centre to Madhya Pradesh for education was the minimum as compared to those of the other states. This attitude must be changed.

Mr. Speaker : You have taken seven minister.

Shri Manibhai J. Patel : Before Independence, only three percent people were graduates and 89% people were illetrate. After 20 years it has raised to 40%. It is appreciable. Such tremendous development in education has never been in any country under U. N. O. I thank to the Government for this achievement.

श्री बैरो (मनोनीत आंग्ल-भारतीय) समूची शिक्षा प्रणाली खेदजनक है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक को एक दूसरे से भय है, यहाँ तक कि नीति निर्माता भी साहसपूर्ण निर्णय लेने से डर रहे हैं, विद्यार्थी परीक्षाओं अथा रोजगार से घबराते हैं अध्यापक और परीक्षक विद्यार्थियों से डरते हैं। सबसे बुरा निर्णय जो किया गया है वह यह है कि 1210 करोड़ रुपये की योजना व्यय में कटौती करके 840 करोड़ कर दिये हैं। दोष पूर्ण बात यह है कि मन्त्रालय प्रारम्भिक शिक्षा के लिए निर्धारित राशि में से कटौती करना चाहता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा हाल ही में किये गये अध्ययन के अनुसार प्रारम्भिक, [तथा मिडल स्कूलों में स्थिरता रहो है, प्रारम्भिक] मिडल, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर गत बारह वर्षों में 220 करोड़ से अधिक रुपये व्यय हुए हैं। अतः एक विकासशील देश तथा निर्धन राष्ट्र के लिए इतनी बड़ी राशि तथा शक्ति का अपव्यय करना कहाँ तक सम्भव है ? मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूँगा कि इसप्रकार के अपव्यय को कम करने तथा समाप्त करने के लिए उनका क्या विचार है ?

एक बात जो मेरे मित्र श्री ज्योतिमय बसु ने कही कि मन्त्री जी ने प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में कहा कि यह राज्य सरकार का कार्य है। मैं आशा करता हूँ कि वे अब ऐसा नहीं कहेंगे।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व मेरे ऊपर पड़ा है। परन्तु प्रतिवेदन में यह क्यों कहा गया है कि कुप्रभाव शिक्षा की अच्छी किस्म पर पड़ा है ? जब धन व्यवस्था की कमी है तो इस कार्यक्रम को प्राथमिकता देनी आवश्यक है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : यह राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

श्री बैरो : एक बार फिर मन्त्री जी वही कह रहे हैं जोकि मैंने कहा कि यह राज्य का कार्य है। देश में 3,000 कॉलेज हैं। केन्द्रीय सरकार 50 या 60 कॉलेज और 500 प्रारम्भिक स्कूलों को लेकर उन्हें अच्छे किस्म की संस्थायें बनाये तो कोई भी राज्य मना नहीं करेगा। यही कार्य माध्यमिक स्कूलों के साथ भी किया जाय। यदि ऐसा किया जाता है, तो इन संस्थाओं में

प्रवेश कार्यक्रम केवल योग्यता और प्रतिभा पर आधारित होना चाहिए। वास्तव में ये प्रमुख संस्थायें उन योग्य और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए होनी चाहिए जो दलित वर्ग के हैं, इसके बाद छात्रवृति की योजना विश्वविद्यालय शिक्षा तक की जानी चाहिए, यदि अन्य लोग विश्वविद्यालय शिक्षा लेना चाहते हैं, तो उन्हें अन्य कॉलेजों में जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रारम्भिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। प्रत्येक छात्र जो 40% अंक प्राप्त करता है उसको दाखिला दिया जाना चाहिए। मेरे मित्र श्री फखरुद्दीन अली अहमद सस्ती कारों का उत्पादन तो न कर सके जबकि शिक्षा मन्त्रालय ने सस्ते तथा अव्यवस्थित कॉलेजों को बनाना सीख लिया है जिसको कि हम उच्चतम शिक्षा कहते हैं, यह न तो उच्चतर है और न शिक्षा है।

हमें व्यवसायिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हर कोई यह कहेगा कि व्यावसायिक शिक्षा असफल रही है लेकिन यह असफल क्यों रही है? इसकी असफलता के दो कारण हैं, पहला यह कि किसी विशेष उद्योग में जनशक्ति की आवश्यकताओं और शिक्षा संस्थाओं के खोलने के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरा कारण यह है कि ये उत्तम तकनीकी सस्थायें आवृति युवक प्रक्रिया पर आधारित तणोमय शिक्षा देती रही, अतः देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से इन संस्थाओं को छात्रों को इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि वे तेजी से आगे बढ़ें और अपने समाज के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकें।

केवल दो बातें हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, पहली परिक्षायें और दूसरी विद्यार्थियों द्वारा आन्दोलन, मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा परिशिक्षण परिषद परीक्षाओं की परिक्रिया को उचित बनाने में अच्छा कार्य कर रही है। किन्तु परीक्षा तथा तकनीकी प्रक्रिया में परिष्करण, हमारी परीक्षा प्रणाली में कोई सहायता नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें अत्यधिक स्थूलता है। हम लाखों विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं कर सकते हैं और ऐसी परीक्षा नहीं ले सकते जो मान्य तथा विश्वस्नीय हो। ऐसा करने का केवल एक ही तरीका है कि परीक्षा लेने वाले बोर्ड अपने अधिकार जिला स्तर के छोटे बोर्डों को दे दें।

विद्यार्थियों द्वारा किये जाने वाले हिसांत्मक कार्यों का सामना किया जाना चाहिए। हम विद्यार्थियों द्वारा जान और माल की क्षति के लिए की जाने वाली हिंसात्मक कार्यवाही, बर्वसा या धमकियों को जारी नहीं रख सकते हैं, शिक्षा मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में जो फ्रांस के लोग करना चाहते हैं उसका अनुसरण करना चाहिए। वे विद्यार्थियों की हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के लिए प्रासाशनिक कार्यवाही करने जा रहे हैं। उन्होंने प्रसाशनिक प्रक्रियाओं में से जो एक कदम उठाया वह यह है कि सड़कों पर जितने भी पत्थर थे उनको दबा दिया गया है ताकि विद्यार्थी खिड़कियों की तोड़ फोड़ न कर सकें, वे एक विश्वविद्यालय पुलिस बना रहे हैं, जो कि विश्वविद्यालय रोक्टर के आधीन होगी और उसी क्षेत्र में रहेगी।

Shri M. A. Khan (Kasganj) : Rising on a point of order, I would like to say that when the time allotted for other Ministries has been increased, the time allotted for the Ministry of Education, which is a very important Ministry, should also be increased from 6 hours to 9 hours.

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : Mr. Speaker, Sir, it has been said that the directive principles in our Constitution in regard to providing free and compulsory primary education have not been implemented. The Government are also distressed over this matter. We had decided that free and compulsory education would be provided to all children between the age group of 6 to 14 years upto 1960. But, inspite of the interest evinced by Central Government and the cooperation extended by the State Government, this objective could not be achieved. Therefore, the Education commission has modified the target and has expressed the hope that by the year 1970 all Children upto the age of 11 years will be provided free and compulsory education and by 1986 children upto 14 years of age will be covered. It appears that even these targets will not be fulfilled because of steep increase in our population and paucity of resources.

The percentage of literacy in the country is decreasing as women's education is being ignored in the Hindi speaking States.

As regards women's education, the National Council of Education has been asked to give suggestions for improving it. It is hoped that with the cooperation of the State Governments those suggestions would be acted upon and the position in regard to women's education would definitely be improved .

The Government of India have full sympathy for the teachers and wish that they should get better pay scales. They should get respect in society and more and more facilities. Several State Governments have tried to implement the recommendations of the Education Commission in this regard. Of course, much still remains to be done.

Many members have made the demand for uniform pay scales for teachers throughout the country. This suggestion does not appear to be practicable. There are wide inter-state variations in the pay scales of Government servants and as such there are bound to be variations in the pay scales of teachers as well. We are making efforts to have a triple benefit scheme for teachers of private schools.

It has been suggested that the teachers should be paid thier salaries from Government Treasury, so that they may get their full pay and the practice of fictitious receipts may be eliminated. The position is this that the treasuries are under the control of the State Government. The suggestions made in this regard would be forwarded to the State Governments, which are already seized of the problem.

In the case of Union Territories the Government have decided that salaries of all categories of employees including teachers would be at par with those of Central Government employees. The Third Pay Commission, which is going to be set up soon, would also go into the question of pay scales of employees of Union Territories. This would benefit the teachers also.

A few years back the Parliament had passed a resolution about imparting higher education through the medium of Indian languages. The Planning Commission has also made a strong recommendation in this regard, The education ministry has formulated a new scheme under which all the states except the State of Nagaland and the Union Territories would get financial assistance upto Rs. 1 crore during a period of 5 to 6 years for this purpose. We have assured the State Governments that there will be no dearth of finances for this purpose, but the State Governments have taken a long time in setting up autonomous Boards. Now these Boards have been set up and the work will go ahead at a faster pace. Copyright for the translation of thousands of books would soon be

available from publishers in the U. S. A and the U. K. on very liberal terms, which would help in the work of switching over to regional languages as the medium of instruction for higher education.

The Commission for Scientific and Technical Terminology, which was set up a few years back, has prepared a vocabulary of about 3 lakh words.

The work relating to fixing of terminology in the case of a few engineering terms is expected to be completed in a few days. Hindi speaking states have completely adopted this vocabulary. We have also asked other states to keep this vocabulary in view while translating books.

The Terminology Commission has almost completed the work of coining new words. The new words are being used for translating books for University stage. If there is any difficulty in using these words, they will be suitably altered. A scheme is being formulated for reorganization of Central Hindi Directorate and the Terminology Commission so that more work can be done at less cost.

It was stated here that voluntary organizations are not being given full help so far as development and propagation of Hindi is concerned. I may point out that in 1951-52 when the programme for providing aid to voluntary organization was introduced the amount allocated was Rs. 96,000/-. In 1964-65 this amount was increased to Rs. 9,66,000/-. In 1968-69 it rose to Rs. 11,41,150/- and in 1969-70 to Rs. 14 lakhs. Besides, the expenditure in respect of all the Hindi teachers, who are appointed in the non-Hindi speaking areas to teach Hindi, is borne by the Central Government.

Reference has also been made to slow progress in the translation of mannuals. The position is this that we do not have adequate staff. We have brought this matter to the notice of Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance.

It has been said that there is no provision for teaching regional languages in Central Schools. It should be kept in mind that the Central Schools were set up on the recommendations of the Second Pay Commission so that the students of the Government employees do not face difficulty in the matter of medium of instruction on being transferred from one state to another. The Commission had recommended that these schools should have uniform syllabus, text-books and medium of instruction.

Shri P. Antony Reddy has stated that due attention is not being paid to the promotion of sports and physical development of students. I would, thereore, like to draw his attention to the fact that the Ministry is paying due attention towards this. National Fitness Corps Scheme has been introduced for schools. A National Sports Organization has been started for University students. The students who do not want to take-up N. C. C. can participate in sports. Apart from this there is a scheme of sports talent research scholarships. National Physical Efficiency drive is also going on successfully. In 1968-69 about 11 lakh persons participated in this drive, whereas, about 17 lakh persons participated in this drive last year.

We are trying to develop Rural Sports Centres during the Fourth Plan so that the students and non-student youths could be provided with the facilities, which are not made available to them in rural areas.

Two institutes have been set up for improving the general standard of sports. In Gwalior Lakshmibai College of Physical Education and in Patiala National Institute

of Sports have been set up. A 110-acre stadium is being built at Rajghat in Delhi, which could be the venue of some future Asiads and Olympiads.

Shri Ishaq Sambhali : As far as 'Yoga' is concerned, I want to know.....*

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोलीकोड) : महोदय, शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है तथा यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका सम्बन्ध 25 करोड़ से अधिक हमारी नवयुवक जनसंख्या से है, जिन्होंने आगे चलकर इस महान् देश के भाग्य को निर्माण करना है। परन्तु दुर्भाग्यवश हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली कुछ हद तक अच्छी नहीं है। अधिक से अधिक विद्वान तथा तकनीशन पैदा करने की बजाय, वर्तमान शिक्षा प्रणाली से अधिकाधिक निराशा मिलती है, जो कि विद्यार्थी गण में विद्यमान है और जिसका परिमाण हमारी शिक्षा संस्थाओं में बढ़ती हुई अनुशासन हीनता से मिलता है।

इन त्रुटियों को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए जो सभी वर्गों के लोगों को मान्य हो तथा हमारी समस्याओं को दूर करने में सक्षम हो। देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए तथा वास्तविक लोकतंत्र और शिक्षित समाज बनाने के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। लेकिन हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली उस महत्वपूर्ण तथा महान भूमिका को अदा करने में असफल रही है।

हमारा देश एक बहुसांस्कृतिक तथा बहुभाषीय देश है। हमें अपने आपको एक दूसरे के अधिक निकट लाने के लिए अनिवार्य रूप से एक ऐसी प्रणाली और नीति को अपनाना चाहिए, जो हमारी जनता के सभी सम्प्रदायों और वर्गों को स्वीकार्य हो। इस सम्बन्ध में न केवल नीति ही, बल्कि अध्यापक और पाठ्य पुस्तकें भी काफी महत्व रखते हैं।

हमने अपने आपको एक धर्म निरपेक्ष देश घोषित कर रखा है। मगर इस प्रकार की घोषणा के बाद कुछ प्रदेशों में यह प्रयास हो रहा है कि शिक्षा संस्थाओं के द्वारा बहुमत के धार्मिक विश्वासों और पौराणिक विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष प्रयास किये जाये। उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की गई हैं, जिनमें इस्लाम के सिद्धान्तों के बारे में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो इस्लाम के बिल्कुल विरुद्ध है और इन संस्थाओं के द्वारा जनसंख्या के एक वर्ग के धार्मिक विश्वासों का प्रचार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त इतिहास की पुस्तकों में विशेषकर ऐतिहासिक तथ्यों को गलत प्रदर्शित किया गया है। विभिन्न सम्प्रदाओं के बीच घृणा तथा दुर्भावना पैदा करने के लिए ही शायद इन्हें लिखा गया है।

इस सम्बन्ध में राजनीतिक संगठनों, विशेषकर उत्तर प्रदेश की दीनी तालीमी कौंसिल द्वारा बार-बार स्थानीय अधिकारियों, राज्य और केन्द्रीय सरकारों को अभ्यावेदन भेजे गये हैं। परन्तु, किसी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं। अन्त में 9 और 10 सितम्बर, 1966 को राज्य सभा में इस मामले पर चर्चा की गई और प्रोफेसर के० जी० सैयदेन की अध्यक्षता में

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। दो वर्ष पहले अर्थात् 1968 में समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। परन्तु, इसे अभी तक न तो संसद में ही प्रस्तुत किया गया है और न ही इसे प्रकाशित किया गया है। इसलिए मैं इस बात की पुर-ज़ोर मांग करता हूँ कि इस प्रतिवेदन को शीघ्र ही संसद् में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि हमारी शिक्षा प्रणाली में विद्यमान मूल त्रुटियों को दूर करने के लिए की गई सिफारिशों से हम लाभ उठा सकें।

मुझे यह कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासन वर्ष 1965 से एक अध्यादेश के अन्तर्गत चलाया जा रहा है। गत पांच वर्ष से वहाँ न तो कोई निर्वाचान कार्यकारी परिषद् है और न कोई कोर्ट है तथा उप कुलपति एक तानाशाह की भाँति काम करता है। स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने वर्ष 1965 में एक विधेयक लाने का वचन दिया था, परन्तु वह विधेयक अभी तक नहीं लाया गया है। सरकार केवल वचन देती रहती है, परन्तु विश्वविद्यालय के लिये कोई अधिनियम नहीं बनाती। मैं मांग करता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम विधेयक शीघ्रातिशीघ्र संसद् में लाया जाये।

जहाँ तक नाम का सम्बन्ध है, इसके नाम को ज्यों का त्यों रखा जाना चाहिये। जब देश में इतनी अधिक संस्थायें विभिन्न समुदायों के नाम पर हो सकती है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ही क्यों नहीं हो सकता। यह नाम अवश्य ज्यों का त्यों रहना चाहिये, क्यों कि यह हमारी धर्मनिरपेक्षता की एक जीती जागती उदाहरण होगा।

मैं शिक्षा मन्त्री को याद दिलाना चाहता हूँ कि इस वर्ष दिसम्बर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयन्ती मनाई जा रही है। मेरा मन्त्री महोदय से यह अनुरोध है कि वादविवाद का उत्तर देते समय वह यह आश्वासन दें कि स्वर्ण जयन्ती से पूर्व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में संसद् में विधेयक लाया जायेगा तथा उसे पारित कराया जायेगा ताकि वहाँ उचित वातावरण पैदा हो सके। यह एक प्रजातांत्रिक मांग हैं तथा इसे अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिये।

उर्दू के बारे में, मुझे विस्तार पूर्वक यह कहने की जरूरत नहीं है कि इसकी अत्याधिक अवहेलना की जाती रही है और इसे वह दर्जा नहीं दिया गया है, जो संविधान के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय भाषा होने के नाते इसे दिया जाना चाहिये था। उर्दू मूलतः एक भारतीय भाषा है और यह 8 करोड़ से अधिक हिन्दुओं, सिक्खों तथा मुसलमानों की मातृभाषा है। उर्दू के समर्थन में गत बीस वर्षों में संसद् सदस्यों, विद्वानों तथा जनता द्वारा, अनेक अभ्यावेदन जिन पर करोड़ों व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे, राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री को प्रस्तुत किये गये हैं। अब समय आ गया है, जब कि संविधान के अनुच्छेद 347 के अन्तर्गत उर्दू को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की प्रादेशिक भाषा स्वीकार किया जाना चाहिये तथा इसे कानूनी तौर पर लागू किया जाना चाहिये। इससे उन बच्चों को जिनकी मातृभाषा उर्दू है, उर्दू में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। सरकारी कार्यों के लिये भी उर्दू के प्रयोग का लोगों को अधिकार दिया जाना चाहिये। ऐसा करना देश तथा समाज के हित में है।

Shri Onkar Nath Bohra (Chittor garh) : Education plays a very important role in our national life and the future of our Country entirely depends upon the young men produced by our educational institutions. That is why the Demands for Grants of the Ministry of Education are of more important than the Demands of grants of the Ministry of Industrial Development etc. The future of our Country entirely depends upon our Youths and if the character and moral of our young men are high, our Country is sure to make progress. The responsibility of moulding the character of our young generation rests with the Ministry of Education. But it is unfortunate that we have not been successful in this regard. No doupt some expansion had taken place in the feild of Education, but what we actually require is that alongwith the expansion of education, quality of education should also improve so that the younger generation has the necessary training and guidance to be able to shoulder the future responsibilities of the country. The basic policy of the Ministry of Education should be to improve the quality of Education.

There is unrest amongst the students in the country and they are indulging in all sorts of activities. The strikes have become the order of the day. They have no respect for their teachers. But the students alone are not responsible for this state of affairs. The Teacher, Professors and Deans of the Universities being very conservative in their thinking are unable to appreciate the reqiements of the youths of today and as such they are also responsible for the present state of affairs. So this entire question should be considered de-noro. A Commission should be appointed to go into the causes of unrest amongst the students and to suggest remedial measures.

There is no relations between our education and employment opportunities. More and more schools and colleges are being opened and more and more Universities are being establised and these educational institutions are only multiplying the number of unemployment persons. Unemployment of the educated persons is a problem which the Education Ministry has to take note of and tackle it in coordination with the Ministry of Employment and other concerned departments. After all it is Government's duty to ensure employment for our educated youth. There is no point in producing graduates and post graduates from the Universities without our being able to give them suitable jobs. In fact we should increase the number of Students in Colleges and Universities only in accordance with our capacity for giving them employment.

Today we are seeing that Schools and Colleges are being opened without seeing whether even necessary facilities are there or not. This is being done for getting political gains. This has led to a very sad state of affairs. The condition of hundreds of Schools, particularly that of private Schools is very deplorable. I recommend that education should be nationalised. There should be no control of any particular class or community over education. All should be given opportunities for getting education. It has been provided in our constitution. But the position is far from it. We find that the standard of education in public schools is very high, but only the rich can send their children to those schools and as such there is much discrimination in the matter of education, though our constitution envisages equal opportunities and uniform education for every one. This state of affairs cannot be tolerated any longer. Now time has come when education should be nationalised.

Teachers in our country should be given the respect and status which they deserved, otherwise we could not expect them to impart a good training and education to our children. It is unfortunate that teachers are not given the respect which they

deserve. In this connection the government should take steps to implement the recommendations of the Kothari Commission.

In Rajasthan there had been several cases of theft of ancient statues and idols, which are very valuable from the point of view of culture and history. The theft of these things is a crime against the nation which must be curbed with a strong hand. The hon. minister should give special attention to this problem.

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : Mr. Chairman, Sir, before I.....

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Mr. Chairman, Sir, there is no quorum.

सभापति महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है । सभा को कल तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार 22 अप्रैल, 1970 / 2, वैशाख, 1892 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday the 22nd April, 1970/2nd Vaisakha, 1892 (Saka).

Tirthraj Press, Allahabad.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]